खण्ड-148, अंक-6
बुधवार, 27 माघ, शक संवत् 1876
(16 फरवरी, 1955 ई0)

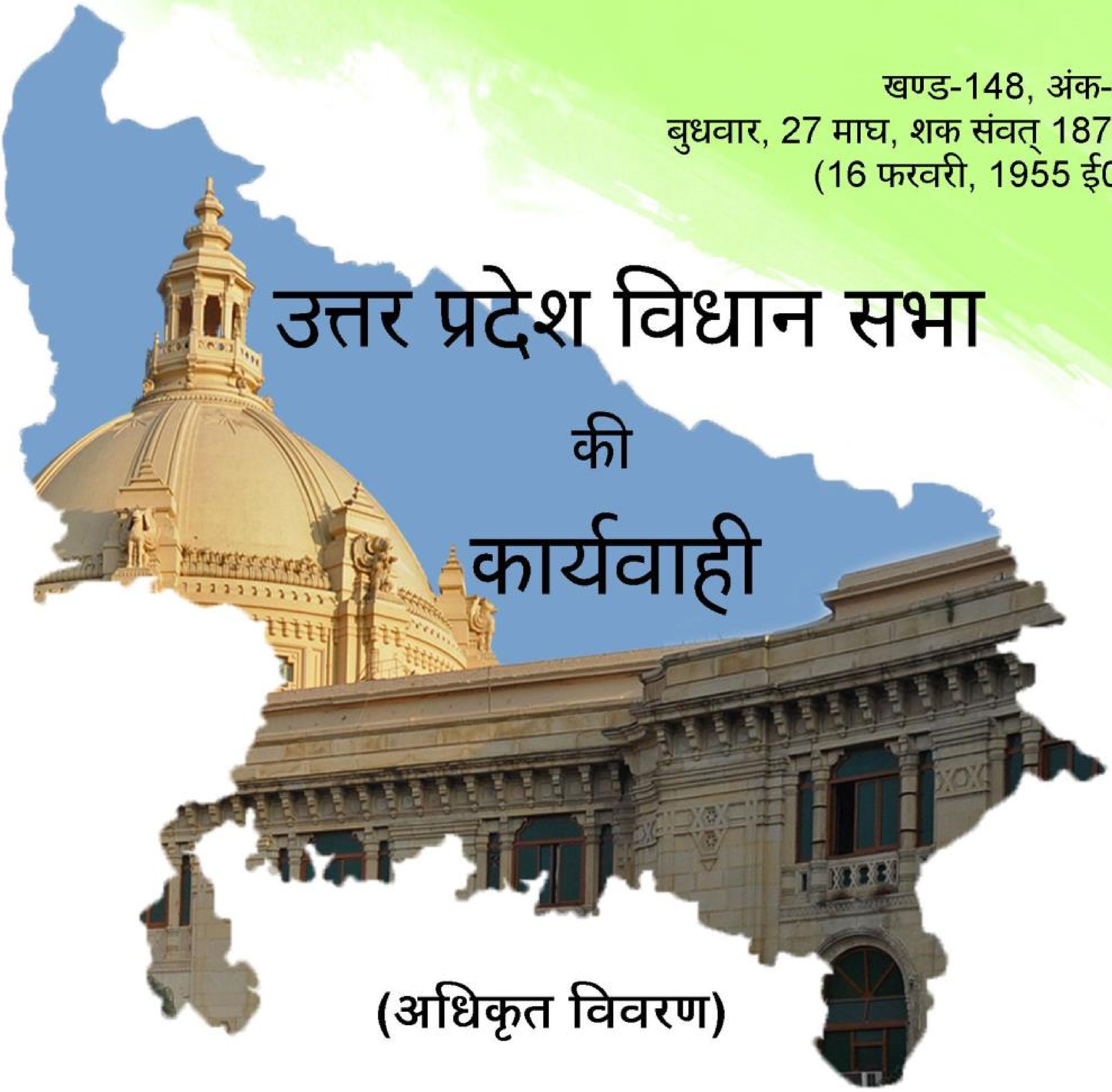

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 148 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या १५—लेखा शीर्षक २७—न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	३७९—३८०
अनुदान संख्या १६—लेखा शीर्षक २८—जेल और बन्दी बारितयां (स्वीकृत)	३८०
अनुदान संख्या १७—लेखा शीर्षक २९—पुलिस (स्वीकृत) ..	३८०—३८५
अनुदान संख्या १८—लेखा शीर्षक ३६—वैज्ञानिक विभाग और ३७—शिक्षा (स्वीकृत)	३८५—३८९
अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा (स्वीकृत) ..	३८९
अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत) ..	३८९—३९०
अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज तथा अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि-इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (स्वीकृत)	३९०—३९३
अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु चिकित्सा (स्वीकृत) ..	३९४
अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत) ..	३९४—३९५
अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१ और ८१—क—विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय (स्वीकृत)	३९५—३९६
अनुदान संख्या २६—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता (स्वीकृत) ..	३९६
अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग (स्वीकृत) ..	३९६—४०२
अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (श्रम और संख्या) (स्वीकृत)	४०२
अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (वाहन विभाग) (स्वीकृत)	४०२—४०३
अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं (स्वीकृत) ..	४०३—४०४
अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) (स्वीकृत) ..	४०४
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—सार्वजनिक निर्माण कार्य, स्थापना पर व्यय और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत)	४०४—४०५
अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य (स्वीकृत)	४०६
अनुदान संख्या ३४—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि (स्वीकृत).. ..	४०६—४१२
विभिन्न अनुदानों के लिये निर्धारित समय में परिवर्तन ..	४१२
अनुदान संख्या ३६—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	४१२
अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५६—लेखन सामग्री और छपाई तथा सुरक्षित निधि सरकारी छापाखाना (स्वीकृत) ..	४१२—४१३
अनुदान संख्या ३८—लेखा शीर्षक ५७—विविध व्यय (स्वीकृत) ..	४१३
अनुदान संख्या ३९—लेखा शीर्षक ५७—अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	४१३—४१५
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय (स्वीकृत)	४१५
अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय—६३—ख—सामूहिक योजनायें (स्वीकृत) ..	४१५
अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण (स्वीकृत) ..	४१६
अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत (स्वीकृत)	४१६
अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़कर) (स्वीकृत) ..	४१६
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	४१६
अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की योजनायें (स्वीकृत)	४१६
अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक ८—ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	४१७
१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४—५५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक (पारित)	४१७—४२५
अस्थियां	४२६—४२७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १६ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२२)

अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ़ ख़ां, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
(सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रा मलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय, शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रास्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीदखां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १६ फरवरी, १९५५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारानपुर की हड़ताल

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि लार्ड-कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर के मजदूरों ने कुछ दिनों से आम हड़ताल कर रखी है ? यदि हां, तो क्यों , और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के हेतु क्या कदम उठाया है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—मजदूरों ने २८ जनवरी, १९५५ई० से हड़ताल कर दी थी, जो २ फरवरी को आपसी समझौते के आधार पर समाप्त हो गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि आपसी समझौते के आधार पर मजदूरों की कौन सी मांग मंजूर की गयी ?

आचार्य जुगल किशोर—यह मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। कमेटी आपस में बैठकर जो फैसला करेगी वह मंजूर कर लिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लार्ड कृष्णा शुगर मिल ने जो ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं माना था उसको मनवाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में माननीय मंत्री ने कह दिया कि एक कमेटी बिठाई गई है वह सब बातों पर विचार करेगी, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिकों ने हड़ताल के दिनों का पैसा मजदूरों को दिये जाने की शर्त मान ली है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप अलग नया प्रश्न कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—जो कमेटी बनी है उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—उनके नाम यह हैं—(१) बलवन्त सिंह, एस० डी० ए०, (२) के० के० पांडेय, आर० सी० ओ०, मेरठ, (३) एक रिप्रेजेन्टेटिव शुगर मिल्स, (४) एक रिप्रेजेन्टेटिव मिल वर्कर्स यूनियन, (५) श्री प्रेमनाथ गर्ग, पब्लिक वर्कर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह आपसी समझौता जिला मैजिस्ट्रेट ने कराया था और उनके ही मकान पर यह समझौता ड्राफ्ट हुआ था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ था।

कुम्भ काण्ड जांच समिति की रिपोर्ट का फल

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने कुम्भ काण्ड जांच कमेटी की रिपोर्ट पर क्या निश्चय किया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—कमेटी के सुझावों को सम्बन्धित विभागों के पास भेज दिया गया है और उन्हें आदेश दिया गया है कि भविष्य में कुम्भ मेला सम्बन्धी प्रबन्ध करते समय उनको ध्यान में रक्खें। इसी प्रकार भारत सरकार से भी प्रार्थना की गई है कि वे केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सुझावों पर समुचित ध्यान दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस विषय में सम्बन्धित विभागों को दिये गये सुझावों और आदेशों तथा केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी प्रार्थना की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा भविष्य में करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---प्रतिलिपि रखने की कोई खास जरूरत नहीं है यह बता दिया गया है कि उसमें यही लिखा गया है कि जब आगे इन्तजाम करें तो उन बातों का खयाल रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कुम्भ दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए तथा जो मिनिस्टरों को दुर्घटना की सूचना वक्त पर नहीं मिली, उसके सम्बन्ध में कोई जांच अलहदा कराने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---इन सब बातों की जांच हुई है। उन पर कमेटी की रिपोर्ट है अगर माननीय सदस्य उसको देख लें तो उनको मालूम हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि कमेटी के चेयरमैन की ओर से यह निकला है कि इस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में कितने मरे और घायल हुए, यह नहीं था, मिनिस्टरों को वक्त पर सूचना क्यों नहीं मिली यह भी नहीं था, इसलिये कमेटी ने उस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसका खयाल नहीं है कि उन्होंने यह लिखा है। बहरहाल, जो कुछ उन्होंने लिखा है उसके मुताल्लिक जांच कराने से अब कोई फायदा नहीं है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---यह सही है कि कमेटी के चेयरमैन ने कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस की तरफ ध्यान दिलाया है लेकिन जहां तक लोगों के मरने और उनके घायल होने की बात है उसकी बाबत सदन में पहले भी बयान दिया जा चुका है और उसकी जांच हो चुकी है। जितने भी जरिये हो सकते थे जिनके आधार पर जांच हो सकती थी जांच की गयीं और अब उस घटना पर इतने दिनों के बाद कोई नयी रोशनी पड़ने की रत्ती भर भी सम्भावना नहीं है। और जहां तक वक्त पर सूचना न मिलने की बात है, प्रत्यक्ष रूप से किसी टर्म्स आफ रिफरेंस में हो या न हो कमेटी ने आयन्दा के लिये सुझाव दिया है कि किस-किस तरीके से प्रबन्ध किया जाय और उसके लिये क्या-क्या इन्तजाम किया जाय जिससे मिनिस्टरों को या जो अधिकारी हों, उनको सूचना वक्त पर पहुंच सके। जैसा कि माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि जो भी सम्बन्धित विभाग हैं उनके पास ये चीजें भेज दी गयी हैं और ऐसी आशा की जाती है कि आयन्दा उनके ऊपर ध्यान रखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि भूतपूर्व स्वशासन मंत्री श्री मोहन लाल गौतम ने प्रश्नोत्तर में यह आश्वासन दिया था कि कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में कितने मरे, कितने घायल हुए तथा मिनिस्ट्रों को ठीक समय पर सूचना क्यों नहीं मिली, यह भी शामिल है ?

श्री अध्यक्ष---आपको स्वयं आश्वासन दिया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष---तब तो यह प्रश्न ही नहीं पूछा जा सकता है कि सरकार की तरफ से उक्त बात कही गयी थी या नहीं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कुम्भ दुर्घटना जांच कमेटी की रिपोर्ट पर विवाद करने के लिये कोई समय या दिन निश्चित करने के लिये तैयार है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त तो ऐसा खयाल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की है?

श्री सैयद अली जहीर---यदि माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को देखेंगे तो स्पष्ट जाहिर होता है कि किसी खास सरकारी अधिकारी की ऐसी कोई जिम्मेदारी उस कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है जिससे उसके खिलाफ विशेष रूप से अनुशासन की कार्यवाही की जाय।

आजमगढ़ जिले में थाना मऊ की पुलिस द्वारा फायरिंग

**३---श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि १ फरवरी, ५५ को थाना मऊ आजमगढ़ में पुलिस की फायरिंग से ३ व्यक्ति सख्त घायल हो गये हैं और वे मरणासन्न अवस्था में हैं?

पुलिस उप-मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---यह घटना ३१ जनवरी, सन् १९५५ को हुई थी। पुलिस फायरिंग से केवल दो व्यक्ति घायल हुए। वे इस समय जेल अस्पताल में हैं और खतरे से बाहर हैं।

**४---श्री जोरावर वर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस फायरिंग के क्या कारण थे?

श्री जगन प्रसाद रावत---लगभग ४,००० आदमियों की एक भीड़ ने थाना मऊ को घेर लिया और उसमें घुसने की कोशिश की। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भीड़ आगे बढ़ती गई और उसने पुलिस दल पर ईंट-पत्थर फेंके। ऐसी दशा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थाने पर इतनी बड़ी भीड़ होने का क्या कारण था?

श्री जगन प्रसाद रावत---मऊ में एक जगह एक पहाड़ी चौकीदार पहरे पर था जिसको कुछ चोरों ने पीटा। इस पर कुछ लोगों को इस बात का भ्रम हुआ या उन लोगों ने जानबूझ कर राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये इस प्रकार का भ्रम फैलाया कि इसमें पुलिस वाले शामिल थे। लोगों से बजाय सीधी बात कहने के उनमें उत्तेजना पैदा की गयी। इस पर सुपरिंटेंडेंट ने वहां पहुंच कर उस चौकीदार से जो भी पुलिस कांस्टेबिल वहां थे उनको सामने करके पहचनवाया और जिनको वह पहचान सका उसको गिरफ्तार करके जांच करने की कार्यवाही फौरन की। लेकिन इसके बावजूद भी वहां कुछ राजनैतिक दल के व्यक्तियों ने जो मौजूद थे बजाय शान्ति और अमन कायम रखने के भीड़ को उत्तेजित किया और भीड़ को थाने पर हमला करने के लिये प्रोत्साहित किया। ऐसी हालत में मजबूर होकर पुलिस को गोली चलानी पड़ी और उतनी शक्ति का प्रयोग किया गया जितनी कम से कम शक्ति हो सकती थी।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी इस घटना की जुडीशियल इनक्वायरी कराने का इरादा रखते हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी नहीं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ३ सिपाहियों के नाम चौकीदार ने अपने बयान में दिये थे, उनके खिलाफ उस समय क्या कार्यवाही की गई थी?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी तफतीश हो रही है और उसका नतीजा निकलने पर ही कोई कार्यवाही हो सकती है।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एस० पी० के वहां पहुंचने के पहले थानेदार की ओर से कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जब घटनास्थल पर ऊंचे अधिकारी पहुंच गये तो सब-इन्सपेक्टर को एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन ३ कान्सिटेबिल गिरफ्तार किये गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनके नाम रिपोर्ट में हैं लेकिन मुझसे अधिक प्रश्नकर्ता महोदय को नाम मालूम है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि मऊ की भीड़ ने जब थाने पर हमला किया तो कितने कान्स्टिबिल या पुलिस वाले उसमें घायल हुये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--ईंट-पत्थर से ऐसे घायल नहीं हुये कि अस्पताल भेजना पड़ा हो लेकिन काफी घायल हुये।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो कुछ लोग भ्रम फैलाने वाले थे वह किसी राजनैतिक दल से संबंध रखते थे ? यदि हां, तो वह कौन सा राजनैतिक दल था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उनमें अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जांच की उस समय पी० एस० पी०, जन संघ और हिन्दू महासभा के खास खास व्यक्तियों ने इस फायरिंग का समर्थन किया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि क्या वह उन लोगों का डाक्टरी मुआयना करायेगी जो जनता के ईंट-पत्थरों से घायल हुये ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मैंने उत्तर दिया कि कुछ लोगों के ईंट-पत्थरों से चोटें आईं लेकिन अब उस घटना को काफी दिन बीत गये हैं और अब डाक्टरी मुआयने से कोई लाभ नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--जो व्यक्ति घायल हुये हैं वह कौन हैं क्या सरकार बतायेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कुछ पुलिस के व्यक्ति थे और कुछ जनता के भी थे।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि गोली चलाने के पहले मऊ म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन श्री अब्दुल लतीफ साहब और जिला कांग्रेस के आर्गेनाइजर श्री आग़ा जैदी थाने में गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी हां।

श्री झारखंडे राय--क्या यह सही है कि गोली चलाने के पहले लड़कों की छुट्टी हो गयी थी और वहां लड़कों की भीड़ थी और वहां जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों तक के लड़के शामिल हो गये थे ?

श्री जगन प्रसाद रावत--हां, कुछ लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई थी और कुछ शामिल हो भी गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २ घायल व्यक्ति हैं उनकी अवस्था क्या है?

श्री अध्यक्ष--आप हालत पूछ रहे हैं या उम्र?

श्री रामसुन्दर पांडेय--उम्र के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत--उम्र के बारे में तो कोई सूचना इस समय नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो लड़के घायल हुये हैं अजहर और बसन्त, वे स्कूल के बच्चे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न ३ के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछा था कि वे २ घायल कौन हैं, किसी विशेष पार्टी से संबंधित हैं या यों ही हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत--ये कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स हैं जो घायल हो कर भाग गये थे और फिर पकड़े गये हैं।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो गिरफ्तारियां हुई थीं उनमें कितने हरिजन गिरफ्तार थे?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार ने दुर्जनों को गिरफ्तार किया किसी हरिजन को नहीं गिरफ्तार किया।

श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना मऊ में पुलिस के प्रति वहां की जनता में पहले से असंतोष व्याप्त था?

श्री जगन प्रसाद रावत--ऐसी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ सदर अस्पताल में स्थानाभाव

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के एम्बुलेंस कार के लिये गैराज और ड्राइवर तथा क्लीनर के रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--धनाभाव के कारण अभी प्रबन्ध नहीं हो पाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी वित्तीय वर्ष में यह कमी पूरी कर दी जायगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी हां, इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस कमी को पूरा कर दिया जाय।

"चुर्क सीमेंट फैक्टरी" मिर्जापुर के सीमेंट का वितरण

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "चुर्क सीमेंट फैक्ट्री" मिर्जापुर द्वारा तैयार सीमेंट सम्प्रति किन-किन जिलों को कितना-कितना वितरित कराया जा रहा है?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस चुर्क सीमेंट फैक्टरी में कितना सीमेंट प्रति मास तैयार होता है ?

श्री बनारसी दास---सितम्बर में इसमें उत्पादन शुरू हुआ था और इस वक्त ४८६ टन प्रति दिन का औसत है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---जिलों को जो कोटा मुकर्रर किया गया है, सीमेंट देने का उसका क्या आधार है ?

श्री बनारसी दास---उसके लिये तो हर जिले के लिये कोई कोटा निश्चित नहीं है । आनरेरी सीमेंट एडवाइजर होते हैं और जितना वह सीमेंट एलाट करते हैं इन जिलों में जो एजेंसियां होती हैं उनको उतना ही सीमेंट दे दिया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो तालिका प्रस्तुत की गयी है उसमें जनवरी, दिसम्बर और फरवरी के महीने में जो सीमेंट दिये गये हैं उनमें इतना अन्तर क्यों रखा गया है ?

श्री बनारसी दास---वह तो जैसा कि मैंने अभी बताया आनरेरी सीमेंट ऐडवाइजर इस बात को निश्चित करते हैं कि कितना सीमेंट किस फैक्टरी से दिया जाय । जिलों में हर जगह का कोटा निश्चित है और एक जगह की सीमेंट की सप्लाई के लिये एक से अधिक सोर्सेज हैं ।

श्री रतनलाल जैन---(जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि जो सीमेंट तैयार हो रहा है उसमें से कितना रिहंद डैम को दिया जा रहा है ?

श्री बनारसी दास---रिहंद डैम के लिये अलग से तो नहीं बतला सकता परन्तु सरकार कितना अपने कार्य में लेती है उसके फिगर्स जरूर दिये गये हैं । उसमें से अधिकतर जो सीमेंट है वह वहीं दिया जा रहा है और अन्य विभागों का भी इसमें शामिल है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी उन जिलों की सूची सदन के सम्मुख पढ़ने की कृपा करेंगे जिन जिलों को मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी से सीमेंट दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें काफी समय लग जायगा । माननीय सदस्य बाद में मंत्री जी से उनके दफ्तर से जिलों के नाम ले सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर सीमेंट फैक्टरी द्वारा जिन लोगों को सीमेंट वितरित किया जा रहा है उसमें इस प्रदेश के जिलों और अन्य प्रदेशों के जिलों के सीमेंट की दरों में कुछ अन्तर है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, फासले के हिसाब से थोड़ा अन्तर तो होता ही है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट का वितरण उन्हीं पुरानी एजेंसियों द्वारा हो रहा है या इस फैक्टरी के लिये कोई नये एजेंट नियुक्त किये गये हैं ?

श्री बनारसी दास---इसमें नए एजेंट नियुक्त किये गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि बिहार और उड़ीसा जो सीमेंट भेजा गया तो वहां की सरकारों द्वारा मांग आई थी या सरकार ने स्वयं भेजा ?

श्री बनारसी दास--वह तो ऐसा है कि इसका उत्पादन गवर्नमेंट आफ इंडिया के नियंत्रण में है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मांगा और भेज दिया गया ।

आजमगढ़ जिला नियोजन समिति द्वारा व्यय

*३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आज़-मगढ़ जिले में जनवरी, १९५३ से दिसम्बर, १९५४ तक जिला प्लानिंग कमेटी की मार्फत तहसील-वार कितना रुपया खर्च हुआ ?--

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--मांगी गयी सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रान्ट नं० ७ में तहसीलों में जो रक़म दी गयी है उनमें इतना अन्तर क्यों रक्खा गया है ?

श्री फूलसिंह--यहां से तो ग्रान्ट्स प्लानिंग कमेटीज़ को सुपुर्द कर दी जाती हैं और उसको वे बांटती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ग्रान्ट नं० ३ में हरिजन वाटर सप्लाई के लिये रुपया खर्च किया गया है, तो वह हरिजनों की आबादी के ख़याल से किया गया है या योंही खर्च कर दिया गया ?

श्री फूलसिंह--यह ग्रान्ट भी प्लानिंग कमेटीज़ द्वारा आवश्यकतानुसार खर्च किया जाता है पर तब भी जिला प्लानिंग कमेटीज़ से यह कहा गया है कि वे तमाम जिले का सर्वे करायें, और प्रायरिटी फिक्स करें और जिन-जिन गांवों को आवश्यकता है वहां रुपया दिया जाय ।

श्री उमाशंकर--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि सेल्फ हेल्प के लिये कुछ तहसीलों के सुपुर्द रुपया दिया गया है तो उसमें सदर लालगंज, सगड़ी और घोसी तहसीलों को रुपया क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री फूलसिंह--इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं। यह सब रुपया प्लानिंग कमेटीज़ के अधिकार में है। माननीय सदस्य प्लानिंग कमेटीज़ के सदस्य हैं। वहीं रुपया तकसीम होता है, और उस समय वहीं तय कर दें। यहां से सरकार कोई दखल नहीं देती।

देवरिया जिले में मलेरिया निरोधक कार्यवाहियों की मांग

*४--**श्री बद्रीनारायण मिश्र** (जिला देवलिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला में सलेमपुर तहसील तथा देवरिया शहर में मलेरिया इस वर्ष बहुत रहा ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां मलेरिया विरोधी कार्यवाही शुरू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सलेमपुर तहसील तथा देवरिया शहर में मलेरिया कभी अधिक नहीं रहा, इस कारण इन स्थानों में मलेरिया निरोधक कार्यवाही की न तो आवश्यकता थी और न है। फिर भी देवरिया शहर की नगरपालिका ने इस वर्ष शहर में डी० डी० टी० का छिड़काव किया है।

नोट--तारांकित प्रश्न ४ श्री शिवनारायण ने पूछा।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार देवरिया जिले को तराई का जिला जानकर वहां मलेरिया ड्राइव चलाने का भविष्य में विचार करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि वहां मलेरिया का प्रकोप अधिक नहीं है। देवरिया जिले के कुछ गांवों में मलेरिया निरोधक योजना काम कर रही है। लेकिन सारे जिले में इस योजना की तभी आवश्यकता पड़ती जब कि वहां मलेरिया अधिक मात्रा में होता।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला देवरिया के उत्तरी तराई हिस्से में पडरौना में मलेरिया सदैव रहा करता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वहां मलेरिया जिन-जिन क्षेत्रों में जिस मात्रा में है उनके आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। उससे यह जाहिर नहीं होता कि वहां मलेरिया अधिक मात्रा में है।

मुरादाबाद जिले में शराब के ठेकेदारों से शेष धन की वसूली

*५—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या मादक कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की शराब की दुकानों के ठेके की धनराशि वर्ष १९५२ व १९५३-५४ ई० की अभी तक वसूल नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—थोड़ा सा धन बाक़ी है, जिसका कोई विशेष कारण नहीं है।

*६—**श्री महीलाल**—क्या मादक कर मन्त्री बतलायेंगे कि जिन ठेकेदारों पर रुपया शेष है उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाहियां की गयी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—इन देनदारों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही हो रही है।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना धन बाक़ी है ?

श्री गिरधारीलाल—१९५२-५३ में ७४१ रु० और सन् ५३-५४ में १५,३०७ रु०।

श्री महीलाल—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों पर यह धन बाक़ी है उनके खिलाफ़ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—नियमानुसार उनके ऊपर कुर्की, गिरफ्तारियां और प्रापर्टी बगैरह अटैच होने की कार्यवाही सरकारी तौर पर जो होती है, वह सब की गई।

श्री महीलाल—इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी वगैरह की गई या कुर्की वगैरह की गई ?

श्री गिरधारीलाल—कई एक व्यक्ति इस किस्म के हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुईं।

*७—**श्री महीलाल**—[२१ फरवरी, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*८-९—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—[२ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०-१२—**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—[१६ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर की बिल्डिंग को क्षति

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी (मिर्जापुर) की दीवारें, छतें, चिमनी आदि टूटने-फूटने लगी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सीमेंट फैक्ट्री की दीवारों में इस बीच बहुत सी दरारें होने की शिकायतें गवर्नमेंट के पास पहुंची हैं ?

श्री बनारसी दास—इसका तो उत्तर दिया जा चुका है कि दीवारों में कोई दरार नहीं लेकिन जहां से आग लगायी जाती है उस स्थान पर कुछ ऐसा था कि वहां करीब ५० एस्बस्टास शीट्स को थोड़ी हानि पहुंची।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह हानि किस प्रकार पहुंची ?

श्री बनारसी दास—जैसा मैंने बतलाया कि जिस पहलू से आग दी जाती है वहां पर कूलर जो था उसमें कुछ डस्ट जमा हो गई थी और उससे, डस्ट से, आग लग गयी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो हानि हुई है उसकी पूर्ति के लिये कितने रुपये का ऐस्टीमेट बना ?

श्री बनारसी दास—वह तो मैंने बतलाया कि ऐस्टीमेट तो नहीं लगाया गया है लेकिन केवल ५० एस्बस्टास शीट्स की हानि हुई है।

अलीगढ़ राशनिंग वर्कर्स यूनियन का पत्र

*१४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ राशनिंग वर्क्स यूनियन की ओर से सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र छांटे गये कर्मचारियों की बाबत आया है ? अगर हां, तो सरकार की ओर से उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

गुड़ तथ खांडसारी गृह उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता

*१५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार को गुड़ और खंडसारी गृह उद्योग के विकास के लिये कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है ? अगर हां, तो कितनी और सरकार की योजना उसे किस प्रकार व्यय करने की है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, ४४,२०० रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। इसमें से चालू आर्थिक वर्ष में ३१,१२१ रुपया खर्च करने का आयोजन किया गया है जिसका विवरण यों है :

		रुपया
१—अधिकारियों का वेतन, विकास तथा आकस्मिक व्यय	..	२०,४७५
२—प्रचार तथा प्रोपगेन्डा	..	७५०
३—नये यंत्र चालू करने के लिये आर्थिक सहायता	..	६,१५०
४—स्थानीय कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग	..	३,७४६
योग	..	३१,१२१

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह सहायता कितने लोगों को दी गई है और किस आधार पर ?

श्री बनारसी दास---वैसे इसमें आयोजन तो इस बात का किया गया है कि ५० अवैतनिक कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाय और जितना रुपया इसमें सब्सीडी के लिये रखा गया है उसकी तादाद तो निश्चित है लेकिन कितने आदमियों को दिया जाय, यह कोई निश्चित नहीं है। अभी तक इस के बारे में कोई रिपोर्ट भी नहीं आई है कि इस योजना के अनुसार कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई है क्योंकि अभी जनवरी से ही इसको चालू किया गया है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का [कष्ट करेंगे कि कितने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है या दी जा रही है और उन से किस प्रकार का काम लिया जायगा ?

श्री बनारसी दास---दिसम्बर, १९५४ के अन्त में ही इस योजना को स्वीकार किया गया है और अब वह कार्यान्वित की जा रही है और ३१ मार्च तक ही ट्रेनिंग आदि की जो व्यवस्था इस सम्बन्ध में है, वह सब पूरी होगी। इसलिये इसके बारे में अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी है कि कितना रुपया व्यय किया गया है, कितने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है, आदि। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, ५० कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की इसमें व्यवस्था की गयी है।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह स्कीम किन-किन जिलों में लागू की जायगी ?

श्री बनारसी दास---यह स्कीम तो जहां पर गुड़ बनता है प्रदेश के जिलों में, वहां लागू की जायगी। यह पहले से जारी थी लेकिन सेन्टर की सहायता से इसका कुछ विस्तार किया गया है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५० कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की जो व्यवस्था है, उनके लिये क्या कोई क्वालीफिकेशन है ? यदि है तो, क्या ?

श्री बनारसी दास---इसके लिये कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है। देहातों में जो लोग गुड़ बनाने का कार्य करते हैं उन्हीं को थोडी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है।

'पाइनियर' में श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के भाषण न छपने की शिकायत

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि कल मैंने जो स्पष्टीकरण माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के भाषण के सम्बन्ध में दिया था उसकी कोई रिपोर्टिंग पाइनियर अखबार में नहीं हुई जब कि खास तौर पर उनके भाषण की बातें बहुत काफी स्पष्ट रूप में छापी गई थीं। और इसके अलावा बजट पर भी मैंने कुछ बातें कहीं थीं लेकिन मेरा नाम तक भी पाइनियर अखबार में [उस सिलसिले में नहीं लिया गया। आप का ही एक निर्णय जब कि.....।

श्री अध्यक्ष---मैंने उस निर्णय में एक बात कही थी कि सदन में ऐसा प्रश्न उठाने के पहले माननीय सदस्य कृपा कर के मेरे दफ्तर में लिखित रूप में अगर अपना आक्षेप भेज देते तो मैं तहकीकात कर के उस सम्बन्ध में तैयार हो कर के आ सकता हूं और यह आप के लिये उचित होता कि मेरा ध्यान आप अपने आक्षेप की ओर मेरे कमरे में आकर्षित कराते और तब मैं निर्णय सदन में दे सकता था क्योंकि यह प्रश्न जहां तक कि अखबारों के सम्बंध में है, तो मैंने पहले निर्णय में एक सुझाव दिया था इस बारे में कि सदन का और सदस्यों का संबंध

सहानुभूतिपूर्ण किस तरह का रहना चाहिये और तरीका यह होना चाहिये कि बहुत से झगड़े बाहर ही निपटा दिये जायं बजाय इसके कि हर प्रश्न को विशेषाधिकार का प्रश्न बनाया जाय। इस दृष्टि से मैं अब भी सुझाव दूंगा कि आप इस प्रश्न को मेरे कमरे में पहले पेश कर दें और उसके ऊपर फिर बाद में अगर शिकायत बाकी रही तो सदन में प्रश्न लाया जा सकता है।

१९५४–५५ के विभिन्न द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर विवाद के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष––अब अनुदानों के ऊपर मत लिया जायगा और अगर माननीय सदस्य अनुदानों पर विवाद के लिये समय निर्धारित करना चाहें तो सुझाव दे दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि चूंकि आज एक ही दिन विवाद के लिये है तो मुख्य शीर्षकों को आज ले लिया जाय और उस पर विवाद हो और बाकी ऐसे ही पास कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष––किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(किसी ने आपत्ति नहीं की)

श्री नारायणदत्त तिवारी––एक तो जो एजेन्डा में नम्बर ५ है, अनुदान संख्या ५–लेखा शीर्षक १०––और दूसरे जो कार्य सूची में आठवें नम्बर पर है, अनुदान संख्या ९–'राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य.....।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)––आप क्रम में बतायें तो अच्छा हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी––मैं क्रम से ही बता रहा हूं आप सूची को उठा कर देखिये।

श्री अध्यक्ष––वह क्रम से ही बनते हैं। मतलब यह है कि ४ क्रमांक तक कटौती पर विवाद नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी––उसका अर्थ यह नहीं है कि हम उससे ऐग्री करते हैं। लेकिन चूंकि समय इतना नहीं है इसलिये समय का सदुपयोग करने के लिये यह सुझाव दे रहे हैं। तो ५, ८, ११, १२, १६, १९, २०, २२, २५, २७, ३१, ३२, ३६, ३८, ३९, ४०, ४१, ४३ और ४४, ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष––तो इनके ऊपर, यह जो आपने अनुदान संख्यायें बताईं, इनके ऊपर कितना-कितना समय आप निर्धारित करना चाहते हैं? आप समय बता दें कि कितना-कितना समय किस-किस के लिये रहेगा तो वह मैं निर्धारित कर दूं उन-उन मदों के लिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, इसमें कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे सिंचाई का है दो तीन जगह है। तो अगर आप उचित समझेंगे तो एक ही जगह पर विवाद हो सकता है।

श्री अध्यक्ष––जी हां। आप नम्बर बतायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी––जैसे सामान्य प्रशासन और जिला प्रशासन है वह एक ही से सम्बिन्धित हैं ११ और १२।

श्री अध्यक्ष––यह हो सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—ऐसे ही राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के कार्य हैं और आगे चल कर अनुदान नम्बर ४२ में भी इसका जिक्र है तो.....

श्री अध्यक्ष—आप ऐसा करिये कि मुझे बता दीजिए कि कितना समय आप चाहते हैं कि निर्धारित किया जाय किस किस अनुदान के लिये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—५ के लिये १० मिनट रख दिया जाय। ११, १२ सामान्य प्रशासन, जिला प्रशासन के लिये २० मिनट, ८ के लिये १५ मिनट, १६ के लिये १५ मिनट, १९, २० के लिये १५ मिनट, २२ के लिये १० मिनट....

महाराजा कुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, इस सुझाव के बताने में ही काफी देर हो रही है। मैं एक सुझाव आप की आज्ञा से देना चाहता हूं। शायद नारयणदत्त जी को स्वीकार हो। मेरा सुझाव है कि सब एक साथ प्रस्तुत कर दिये जायं और उसमें जो जिस पर दिलचस्पी रखते हों, उस पर कह दें, मूव सब एक साथ हो जायं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उस वक्त बड़ा झगड़ा हो जायगा। उस वक्त कोई दिलचस्पी किसी के भाषण से ही पैदा हो जाय तो बड़ी मुश्किल होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, २५ के लिये आधा घंटा, २७ को छोड़ दिया जाय, ३१ को भी छोड़िये, दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि के लिये २५ मिनट....

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—श्रीमन्, कभी तो आइटम नम्बर यह बताते हैं और कभी दुर्भिक्ष का नाम लेते हैं, इससे दिक्कत होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप दुर्भिक्ष ज्यादा समझते हैं इसलिये मैं कह रहा हूं। आइटम ३२ के लिये २५ मिनट, आइटम ३६ के लिये २० मिनट, आइटम नं० ३८, जिसमें ४० भी आ जायगा, उसके लिये आध घंटा। इसके बाद जितना समय बचे वह नं० ४३ और ४४ में आ जायगा। पंद्रहवां आइटम रह गया, उसके लिये २० मिनट रखा जाय, जो पुलिस का है।

श्री अध्यक्ष—इस हिसाब से साढ़े तीन घंटा समय तो आपने निर्धारित कर दिया अलावा अनुदान नं० ४३, ४४ के। तो अभी पौने १२ बजे अगर विवाद शुरू होगा तो डेढ़ घंटा तो अभी है और दो घंटे उधर लंच के पश्चात् हो जायगा। इस तरह सवा चार बजे तक कार्य खत्म हो जायगा। अगर यह मान लिया जाय कि १५ मिनट, जो अनुदान बीच बीच में पेश होंगे उनमें लगेगा तो इस तरह से साढ़े चार बजे तक कार्य समाप्त होगा। उसके बाद आधा घंटा ४३ और ४४ अनुदानों के लिये मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तो आखिर में एक आध और ले लेंगे।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रूखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करना चाहता हूं और मेरा सुझाव यह था कि बजाय इसके कि कुछ आइटम्स लिये जायं और कुछ छोड़े जायं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आइटम्स में दिलचस्पी रखते हैं, इस लिये बाक़ी सब आइटम्स तो छोड़ दिये जायं और सिर्फ जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन ले लिया जाय और यह ऐसा आइटम है जिसमें हर शख्स जिसे कुछ पेश करना है वह कर सकता है। इसमें वक्त भी हाउस का बच जायगा और लोग आसानी से अपनी बात कह सकते हैं, यह ज्यादा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—क्या यह मंजूर करते हैं श्री राजनारायण जी, यदि उन्हें स्वीकार हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करने वाला था कि क्या इस पर समय कुछ और बढ़ाया नहीं जा सकता ? आप देखेंगे कि ६ करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट है। अगर सन् १९३६ के पहले के बजट देखें तो यह मूल बजट माना जायगा। तो हम तो यह निवेदन करेंगे कि बहुत मामूली-मामूली बातों के लिये समय बढ़ जाता है तो इसके लिये भी दो घंटे समय बढ़ा दिया जाय। मिसाल के लिये आबकारी है उसमें गांजे पर हमारे माननीय मंत्री जी को बोलना होगा। गुप्ता जी, श्रीमन्, बैठे हुये हैं। वह तो मुख्य मुख्य फंक्शंस और दावत के लिये भी ४ बजे से समय कर देते हैं और हम मान लेते हैं। तो दो घंटे के लिये समय बढ़ाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इसके अलावा तमाम मंत्रीगण हैं जो बोलना चाहेंगे। श्रीमन्, इसको रख दिया जाय और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये तीन घंटे रख दिये जायं।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आप दो घंटे तो बाहर के लिये रखिये।

श्री राजनारायण—जी हां, आज से हम लखनऊ में रहेंगे अब तक तो कानपुर और सीतापुर में रहे थे।

श्री अध्यक्ष—यह तो मुख्य मंत्री से तय हो सकता था और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि समय का जो अलाटमेंट होता है वह मुख्य मंत्री और स्पीकर के कंसल्टेशन से तय होता है। मैंने समय तय कर दिया कि वह आज समाप्त होगा अब यह एक तर्फा नहीं बदला जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—वे चाहें तो अधिक समय निर्धारित कर दें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि इसके लिये उनका कोई सुझाव है या श्री राजनारायण जी का सुझाव स्वीकार करने की उनकी मंशा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि पहले प्रस्ताव आ गया होता तो गौर कर लिया जाता। मैं समझता हूं कि समय बढ़ाने से माननीय राजनारायण जी को भी तकलीफ होगी क्योंकि आज कल वह इलेक्शन के काम में बहुत व्यस्त हैं। उनको भी सुविधा हो इसलिये काम जल्दी खत्म कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम यहां पर जो बोलेंगे वह इलेक्शन में भी काम कर जायेगा।

श्री अध्यक्ष—समय अधिक देना अगर मुमकिन नहीं है तो रहने दिया जाय और जो निश्चित समय है वही रहेगा। सदन को जिसमें सुभीता पड़ता हो वही निश्चय रखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, यह पद्धति बनाने के लिये अच्छा नहीं लग रहा है कि आज सारे दिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ही बहस कर लें।

श्री अध्यक्ष—मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है और मैं भी इसको उचित नहीं समझता हूं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ही कटौती का प्रस्ताव हो कर अनुदान पर राय लेकर स्वीकार करने के कार्य को केवल जनरल डिसकशन बना दिया जाय। इसका अर्थ यह होता है कि हर एक आइटम पर, जिस पर विशेष महत्व सदस्य देना चाहते हैं, विशेषकर विरोधीदल वाले तो वह उसे सिलसिलेवार नहीं दे सकेंगे बल्कि गैर सिलसिलेवार लोग बोलेंगे। किसी अनुदान पर ज्यादा जोर दे दिया गया तो उसी पर अधिकतर बोला जायगा और बाक़ी अनुदानों पर भी कुछ प्रकाश न पड़ कर वे रह जायंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह--जो आध घंटे का समय बच गया है वह "बन" के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं कोशिश करूंगा कि जो समय बतलाया गया है उसी के अन्दर कार्यक्रम समाप्त हो जाय। अगर समय पर नियंत्रण न कर सका और ज्यादा लोग बोल गये तो आखिर में जो अनुदान रह जायंगे उन पर गुलोटिन लागू हो जायगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, शायद कुछ लोगों के सुनने में दिक्कत हो गई हो इसलिये फिर से बतला दीजिये।

श्री अध्यक्ष--मैं सिलसिले से सब अनुदानों को कार्यक्रम के अनुसार लूंगा। जिस पर बहस नहीं करनी होगी उस पर कटमोशन पेश हो जायगा और वोट ले लिये जायंगे और कुछ भी विवाद नहीं होगा। बाक़ी जिन पर सदस्य चाहते हैं कि विवाद हो वे आइटम्स यह हैं। उनके क्रमांक के साथ-साथ मैं समय भी बतलाता जाऊंगा :

आइटम	समय
५	२० मिनट
८	१५ ,,
११ और १२	२० ,,
१५	२० ,,
१६	१५ ,,
१९ और २०	१५ ,,
२२	१० ,,
२५	३० ,,
३२	२५ ,,
३६	२० ,,
३८ और ४०	३० ,,

इनके अतिरिक्त जो और समय बचेगा उसमें आइटम ४३ और ४४ लिये जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, एक निवेदन मेरा यह है कि जिन अनुदानों में हमारा कटौती का प्रस्ताव नहीं आयेगा तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसको निर्विरोध जाने दे रहे हैं बल्कि समय की कमी के कारण वैसा होगा।

श्री अध्यक्ष--आप अपना कटौती का प्रस्ताव पेश कर दीजियेगा और उस पर वोट ले लिया जायगा। भाषण नहीं होंगे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यह तो विरोधीदल का अधिकार है ही लेकिन अगर हम लोग एक आध आइटम में बढ़ाना चाहें तो यह मुनासिब होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--सदन को पूर्ण अधिकार तो है ही लेकिन प्रथा ऐसी बनायी जाती है कि विरोधी दल को ज्यादा मौका बजट के विवाद में मिलना चाहिये और जिन अनुदानों पर वे विवाद उचित समझें वह तो लेना ही चाहियें। आप सुझाव दे दीजिये और वह उन्हें भी स्वीकार हो जायं तो ठीक है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि आइटम नम्बर २३ और २८, ये दोनों एक साथ ले लिये जायं और १० मिनट में हो जायं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर नम्बर '२५ – उद्योग' में जो ३० मिनट दिये हैं उसमें १० मिनट कम कर दिये जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, ४३ और ४४ में आधा घंटा है। तो उसमें आप २० मिनट कर दें, तो दस मिनट निकल आयेंगे।

श्री अध्यक्ष—अच्छी बात है, २३ और २८ को एक साथ लेकर दस मिनट उनके लिये दिये जायंगे।

१९५४–५५ के विभिन्न द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर मतदान—अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रुपये की पूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मंत्री जी, आप को कुछ कहना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब मुझे कोई विशेष कहना नहीं है। बहुत जरूरी मांग है, स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प

श्री गिरधारी लाल—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प के अन्तर्गत ६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प के अन्तर्गत ६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन

वन उप मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक १०—वन के अन्तर्गत १२,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री मदनमोहन उपाध्याय से) आप तिहाई समय लीजिये।

†श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय यह जो १२ लाख ८० हजार रुपये की सप्लीमेन्टरी ग्रांट आज हम से मांगी जा रही है मैं समझता हूं कि ये सारी मद ऐसी हैं जो मद साल के शुरू में ही ऐंटीसिपेट की जा सकती थी और मुझे बड़ा दुख है कि बजट बनाते समय जब मेन बजट बना तो उस समय इन चीजों का खयाल वहां पर नहीं किया गया और आज सप्लीमेंटरी के रूप में हमारे सामने ये चीजें रखी जा रही हैं। हो सकता है कि जो रुपया हम से आज मांगा जा रहा है वह इस बीच में खर्च न हो सके। फिर इसमें भी मैं देख रहा हूं कि अलावेंसेज और कंटिंजेंसी वगैरह में ही काफी रुपया मांगा गया है। एक लाख ५१ हजार रुपया अलावेंसेज और आनरेरिया के लिये है।

"Increase due to touring by officers and staff for controlling forest operation on account of expansion of the departmental activities and dearness allowances for the extra staff employed."

इसमें भी हम यह चाहते थे कि अगर सप्लीमेंटरी मांग भी आये तो फारेस्ट के डेवलपमेंट के लिये। अगर फारेस्ट डेवलपमेंट के लिये रुपया मांगा गया होता जैसे फारेस्ट में सड़कों का इम्प्रूव करने के लिये क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज न होने की वजह से हमारी जो फारेस्ट प्रोड्युसेज हैं काफी कास्टली पड़ जाती हैं। जैसा कि मैंने जनरल डिस्कशन के वक्त भी कहा था अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट अपना विकास करने के लिये जैसे स्पोर्ट इंडस्ट्री है, डेवलप करने के लिये ज्यादा तादाद में रा मैटीरियल अवेलेबिल करा देने के लिये अगर फारेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ रुपया की जरूरत होती तो हम उन्हें वह रुपया दे सकते थे। अध्यक्ष महोदय एक आइटम इसमें २ लाख ९८ हजार ३ सौ रुपया का—फारेस्ट प्रोड्यूस एक्सट्रैक्टेड बाई अदर एजेंसी। जितनी रेजिन आज हमारे यहां के जंगलों से एक्सट्रैक्ट

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जा रही है वह जितनी एक्सट्रैक्ट की जा सकती थी उससे बहुत कम है। और इसका कारण यह है कि हमारी जो फैक्टरी बरेली में टरपेंटाइन आयल की है उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत कम है। उनके पास प्लांट वगैरह न होने की वजह से जितना भी रेजिन वहां जंगलों से एक्सट्रैक्ट होता है वह पूरी कैपेसिटी में क्रश नहीं कर सकती। उससे जितनी तादाद में टरपेंटाइन आयल प्रोड्यूस होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। वह अपना प्लांट लगाने से इंकार करते हैं। दूसरी तरफ जब हम काटेज इंडस्ट्री के विकास के लिये कहते हैं कि फारेस्ट प्रोड्युसेज से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिये, उससे हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगी, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। अध्यक्ष महोदय यही नहीं कि इससे काटेज इंडस्ट्री का विकास होगा जब एक्सट्रैक्शन होता है तो उस समय हजारों आदमी काम करते हैं और काम बराबर ६ महीने का रहता है जिसमें वह लोग अपनी मजदूरी कमा कर रेजिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे दो फायदे हो सकते हैं। एक तो जिन इलाकों में यह रेजिन एक्सट्रैक्ट होती है वहां पर छोटी छोटी काटेज इंडस्ट्रीज बनायी जा सकती हैं, रेजिन वहां पर निकाला जा सकता है जिससे उनमें कुछ लोगों को काम पर लगाया जा सकता है। दूसरे जो एक्सट्रैक्ट का काम है उसमें भी कुछ लोगों को काम मिल जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो फारेस्ट प्रोड्यूसेज हैं, रा मैटीरियल हैं, उसकी ओर ध्यान अधिक से अधिक दिया जाय। काश्मीर के जंगलों में एक वालनट बहुत होता है, वह हमारी आर्डिनेंस फैक्ट्री में बन्दूकों के काम में बहुत आता है। बन्दूकों के बैटक्स उसी लकड़ी के बनाये जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के जंगलों में भी इस किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल हो तो उससे हमारे यहां की इंडस्ट्रीज पनप सकती हैं और उससे काफी हित हमारे प्रदेश का हो सकता है। यहां पर इस समय उद्योग मंत्री जी भी विराजमान हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे फारेस्ट प्रोड्यूसेज और रा मैटीरियल जो हैं उससे हमारे उद्योगधंधे भी पनप सकते हैं, अभी इंडस्ट्रीज में एक जगह हर्बस प्लानटेशन का काम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दिया गया है। वह काम बजाय इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के फारेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिये क्योंकि बन विभाग इसको अच्छी तरह से जानता है कि कहां पर किस तरह से वह पैदा होता है और क्या उसका उपयोग हो सकता है। हर एक काम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में ही नहीं हो सकता है। फारेस्ट डिपार्टमेंट अपने तजुर्बे से तमाम जंगलों का निरीक्षण करके बता सकता है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को वह मदद दे सकता है कि इस इस काम में यह हर्बस आता है। इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया भी सहायता करती है। तो इसको फारेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाय और उसमें यह काम अच्छी तरह से हो सकता है बजाय इसके कि वह इंडस्ट्रीज के अन्दर रहे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। जंगलों में हमारी वैल्थ भरी पड़ी है और यदि हमने इस दिशा में तरक्की करने की कोशिश नहीं की तो यह हमारी वैल्थ बरबाद हो जायगी। यह हमारा रिजर्व है कभी भी आवश्यकता पड़ने पर तमाम जंगल काटकर बेचा जा सकता है और लाखों करोड़ों रुपया उससे पैदा कर सकते हैं। इसलिये इसकी तरक्की के लिये सरकार को ध्यान देना चाहिये।

*महाराजकुमार ललितशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—श्रीमन्, मैं आशा करता था कि हमारे वन मंत्री महोदय अपने इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा बन विभाग के लिये ५० लाख रुपये का अनुदान इस सदन से मांगेंगे लेकिन केवल मात्र उन्होंने १२,८०,००० रुपये की मांग की। मैं अध्यक्ष महोदय आपके सम्मुख अपनी ही नहीं बल्कि सभी पहाड़ी जिलों के निवासियों की असंतोष की भावना प्रकट करना चाहता हूं। जंगलों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से मैं सरकार का ध्यान कुमायूं फारेस्ट कमेटी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने इस फारेस्ट कमेटी को हालांकि एडवाइजरी कैपिसिटी में इस कमेटी को स्थापित किया था किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस फारेस्ट कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको सरकार ने

* वक्ताने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

स्वीकार नहीं किया है। किन कारणों से उनको स्वीकार नहीं किया गया मैं नहीं जानता हूं किन्तु यह अजीब बात है कि सभी आफिशियल कमेटी सिफारिशों को, जिसको कि इतना अधिकार दिया गया था कि वह विभिन्न पहाड़ी जिलों में जाकर दौरा करके अपनी सिफारिशें सरकार के सामने भेजे। इसके साथ इस कमेटी में जो लेमैन के रुप में हम लेजिस्लेचर के सदस्य हैं उनके बावजूद भी उस कमेटी की सिफारिश को स्वीकार न किया जाय और फिर काम के लिहाज से नहीं बल्कि किसी और कारण से और किसी और दृष्टिकोण से उन सिफारिशों को ठुकराया जाय तो यह आश्चर्य की बात होती है। एक मुख्य सिफारिश कुमायूं फारेस्ट कमेटी ने की थी जो जंगलों में डिमार्केशन के सिलसिले में थी। डिमार्केशन के सिलसिले में बहुत बार कहने का अवसर हमको यहां पर मिला और हमेशा बहुत अच्छे रूप में आश्वासन मिलता रहा कि कुछ डिमार्केशन हो रहा है कि जो फारेस्ट बाउन्ड्रीज आबादी के नजदीक हैं वे पीछे खिसकाई जायंगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी संतोषजनक कार्य इस दिशा में नहीं हुआ। मुनारों को नाममात्र के लिये खिसकाया गया है और उनको खिसकाये जाने के बाद भी जनता को कोई सुभीता नहीं हुआ है।

आगे बढ़ कर, अध्यक्ष महोदय टेहरी-गढ़वाल में रेजिन के काम को बढ़ाने के लिये २ लाख ९८ हजार ३०० रुपया मांगे गये हैं। इसके संबंध में मैं कहूंगा कि टेहरी-गढ़वाल में जितनी पोटेंशियलिटीज रेजिन को टैप करने के बारे में हैं उनको पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया गया है। जंगल विभाग को हमारी सरकार का एक कार्मशियल विभाग कहा जा सकता है। यद्यपि सरकार के बहुत से नये कार्मशियल डेवलपमेंट्स हैं लेकिन जिनसे अब भी सरकार को आमदनी हो रही है, जो अब भी एस्टेब्लिश्ड हैं, उनमें मैं समझता हूं जिस प्रकार से केंद्रीय सरकार के पास रेलवे विभाग है उसी प्रकार से हमारी राज्य सरकार के पास फारेस्ट डिपार्टमेंट है। उससे उसे काफी मुनाफा होता है तथा आगे भी और मुनाफा किया जा सकता है। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि पहाड़ी जिलों में ऐसे फारेस्ट्स की तादाद बहुत है जिनको अभी किन्हीं कारणों से टैप नहीं किया जा सका है। सरकार को फारेस्ट से जो प्राफिट ऐन्ड लास होता है उसका हिसाब लगाना चाहिये और उसको यह भी देखना चाहिये कि अब जो सरकार को उस पर खर्च करना पड़ेगा उससे भविष्य में उसको कितनी आमदनी होगी। यह देखकर हमें नये फारेस्ट्स को खोलना चाहिये तथा उनमें पहुंचने के नये साधन बनाना चाहिये। इस संबंध में हम सड़कें बनायें और जितना खर्चा उसके सिलसिले में हो वह करें। यदि भविष्य में अधिक लाभ होने का अनुमान हो तो उनको इमीजियेट इनवेस्टमेंट अधिक होने के कारण इस कार्य को रोक नहीं रखना चाहिये।

फारेस्ट डिपार्टमेंट में जो सर्वे हुआ है उससे स्पष्ट है कि पहाड़ी जिलों में अभी बहुत सी फारेस्ट वैल्थ लाकडअप है। उसको एक्सप्लोर करने के लिये सरकार को अधिक धन व्यय करने में संकोच नहीं करना चाहिये। सरकार एक ही दृष्टिकोण से धन व्यय करती है कि जनता को लाभ पहुंचे। वह यह ध्यान में रखती है कि अधिक से अधिक जनता को लाभ पहुंचे लेकिन उसको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अधिक जनता से अधिक वोटें तो प्राप्त हो सकती हैं परन्तु यह भी कहीं कहीं पाया जायगा कि कम जनता के बीच में भी अधिक आमदनी होने के साधन हो सकते हैं। इसलिये सरकार को सब साधन एक्सप्लोर करना चाहिये और हर पहाड़ी जिले में यद्यपि आबादी कम है लेकिन उससे आमदनी सरकार को बहुत हो सकती है। इसके लिये सड़कों को बनाकर तथा और जरियों से सरकार को उनका सदुपयोग करना चाहिये इससे सरकार को भविष्य में बहुत लाभ हो सकता है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। मुझे अफसोस है कि मेरा गला खराब है लेकिन फिर भी मुझे प्रस्तुत अनुदान पर बोलना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष——मैं आपको ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता।

श्री चन्द्रसिंह रावत——अध्यक्ष महोदय, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं .....

श्री अध्यक्ष——ठीक है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपाध्याय जी और महाराजकुमार बालेन्दुशाह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वन के उत्थान के लिये अपने विचार प्रकट किये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह हमारी एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। आपने अपने भाषण में यह बात कही थी कि वन के उत्पादन के कार्य में उतना व्यय नहीं रखा गया जितना अन्य चीजों में रखा गया है। मगर उन्होंने स्वयं उसको देख लिया है कि बड़ी-बड़ी मदें, एक लाख की और दो लाख की निर्माण कार्य की ही हैं और चीड़ के पेड़ों से लीसे निकाले जा रहे हैं। यह लीसा बड़ी मात्रा में टरपेंटाइन फैक्टरी बरेली में तारपीन बनाने के लिये टेहरी और कुमायूं के जंगलों से निकाला जा रहा है जिसके लिये महाराजकुमार ने कहा कि नहीं निकाला जा रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सब धनराशि मूल बजट में क्यों नहीं रखी गयी। जैसा कि आपको स्वयं मालूम होगा कि इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में इसी वर्ष में इतना फ्लड आ गया था जिसकी वजह से तमाम जंगल की सड़कें और मकानात भी बह गये तो फिर जंगलों के इन कामों के लिये पहले से ही कैसे एंटिसिपेट कर धन मांग लिया जाता? वर्ल्ड फारेस्टरी कांग्रेस हुई उसके लिये भी उचित डेलिगेशन आदि भेजने की बात थी उसमें भी खर्च हुआ। लेकिन जल्दी में आकस्मिक तौर पर ऐसी जो चीजें हो चुकी हैं, वैसी स्थिति में जो कुछ किया जा सका किया गया। फारेस्ट कमेटी के संबंध में भी कहा गया कि उसकी सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना है। मुझे इस बात को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने कहा था कि फारेस्ट कमेटी की उस बैठक की कुछ कोई सिफारिशें गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची हैं और उन विषयों पर कोई सम्मति सरकार ने नहीं दी है। जहां तक संभव होता है, जो मुनासिब बात होती है और राष्ट्र के हित में होती है उसको गवर्नमेंट स्वीकार करती है और उसी दृष्टि से हमेशा उसको स्वीकार करती रहेगी। जहां तक डिमार्केशन का प्रश्न है बनारस में जंगल का सेटलमेंट हो रहा है और प्राइवेट जंगलों का भी सेटलमेंट हो रहा है। टेहरी में जो जंगलों का डिमार्केशन हो रहा है उसके लिये कहा गया कि वहां इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। मुझे इस बात को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनारे जो बाउन्डरीज पर थे उनको गांव वालों की सहूलियत के लिये कुछ पीछे हटा दिया गया। गांव वालों को तकलीफ न हो इसलिये उसको अथवा मुनारों को आदमियों के रहने के स्थान से १५० फीट दूर हटा दिया गया। इसमें रहने के स्थान का अर्थ यह लगाया गया कि रहने के घरों से तात्पर्य है और केवल रहने के घरों से दूर हों, परन्तु सरकार ने बात साफ कर दी है कि आबादी खेतों से भी दूर समझी जाय, जैसा कि मेरे इन दो मित्रों ने कहा कि हमारी सरकार की यह हमेशा कोशिश रहती है कि वह जनता को सुख दे और उनकी जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हुये राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ावे। यही नीति सरकार की है तो मैं इस पर अधिक न बोलते हुये चूंकि समय बहुत कम है और मूल बजट जब प्रस्तुत होगा तो हमको और आपको इस पर बोलने के लिये काफी अवकाश होगा, फिर भी मैं सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि अपनी इस राष्ट्रीय सम्पत्ति के उत्थान के लिये उनके दिल में काफी दिलचस्पी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। डिमार्केशन के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, मुझे याद है कि बहुत सी जमीनें फारेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों से लीं यह कह कर और इस उम्मीद से कि हम इसमें जंगल

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

लगायेंगे। वे जमीनें बहुत दिनों तक बेकार पड़ी रहीं। न उनमें जंगल लग सका और न जनता उनमें खेती ही कर सकी। तो इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि जिन जमीनों को उन्होंने जंगल लगाने के लिये लिया है उनमें जल्दी ही पेड़ लगवाने की कोशिश करें और जब तक पेड़ न लग सकें तब तक के लिये उनमें खेती ही करावें क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्शन बहुत घट रहा है। यही मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं कहना है। हम तो जितना भी हो सके पेड़ लगा रहे हैं और फलदार पेड़ भी लगा रहे हैं। स्पोर्ट्स अथवा खेल की सामग्री बनाने के काम में जो पेड़ काम आते हैं, वे पेड़ भी लगा रहे हैं। और जहां पहले फी एकड़ दो सौ रुपये खर्च पड़ता था उसको घटा कर १५० रु० किया और फिर डेढ़ सौ से १०० रु० और अब ६४ रु० फी एकड़ तक कर दिया है, हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक पेड़ लगें और उतने ही रुपयों से दुगुना तिगुना काम करके दिखा सकें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन के अन्तर्गत १२,८०,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत १७,६०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७--लेखा शीर्षक १२--मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत १७,६०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-१९५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८--लेखा शीर्षक १३--अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १,१०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८-लेखा शीर्षक १३-अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत १,१०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९-लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम मूर्ति)--अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर) लेखा शीर्षक : १७,१८ और १९-ख-के अन्तर्गत ४३,४५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान ४३,४५,१०० रुपये का है और मैं इस संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--इसके लिये १५ मिनट का समय है और मैं उसमें से एक तिहाई यानी ५ मिनट आप को दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं इस पर कटमोशन तो नहीं लाना चाहता था क्योंकि यह एक उपयोगी अनुदान है लेकिन सरकार की ओर से या उसके अधिकारियों की ओर से नाजायज तरीके से जो पैसे का इस्तेमाल होता है, उसके कारण मुझे यह कटौती का प्रस्ताव लाना पड़ा। इसमें बहुत सी मदें हैं और आप देखें कि मद नम्बर ३, नलकूपों के लिये ४ लाख रुपया मांगा गया है। इस संबंध में मैं कहूंगा कि आजमगढ़ में नलकूपों का जाल बिछाया जा रहा है लेकिन वह केवल सड़कों के किनारे ही बनाये जा रहे हैं और अधिकतर सदस्यों को खुश करने के लिये ही बनाये जा रहे हैं। मऊ पावर हाउस के पास काझा के पास ट्यूबवेल नहीं बन सकते और उस से २० मील की दूरी पर मधुबन और मछवारा जो मशहूर हैं रबी की फसल के लिये वहां पर नहीं बनाये जा रहे हैं। लेकिन लहुआ स्थान ऐसा है जहां बेगूगंगी योजना चलाई गई है वहां लाखों रुपया खर्च किया गया है। शाहगंज के पास अतरौलिया के पश्चिम तक नलकूप बनाये जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, चाहता हूं कि नलकूप बिछें लेकिन उसके पास-पास नहरों की योजनायें भी चालू होने जा रही हैं। लेकिन इस तरह से नहरों और नलकूपों दोनों को एक साथ चलना और सरकार का रुपया इस तरह से व्यय करना, जनता का रुपया इस तरह से बेकार हो जाना उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि गंगा शताब्दि समारोह में काफी रुपया रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, समारोह होना चाहिये और हमारे माननीय मंत्रियों को वहां जरूर जाना चाहिये। लेकिन गंगा नहर बहुत पहले से बनी हुई है और अंग्रेजों ने उसे बनवाया था अब उसके लिये ऐसा जलसा नहीं होना चाहिये जिसमें हजारों रुपया खर्च किया गया है। मैं समझता हूं कि जब अल्प बचत योजना सरकार की तरफ से है और उसके लिये चपरासियों

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

की वर्दियां तक काट ली गई हैं तो फिर शताब्दि समारोह में पूरे प्रदेशों और दिल्ली तक के मंत्रियों एवं राष्ट्रपति को इस समारोह में आने के लिये जनता का रुपया इस तरह से व्यय हो यह उचित नहीं है। मैं इस कटमोशन द्वारा सरकार से आग्रह करूंगा कि इस तरह से समारोहों पर रुपया खर्च करना सिर्फ रुपये को बरबाद करना है और उससे जनता को कोई लाभ भी नहीं होता। गंगा नहर योजना को सब लोग जानते हैं। इससे प्रदेश के लोगों को लाभ हो रहा है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। हम यह भी जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने इसे बनवाया था और यह सरकार उसे आगे बढ़ा रही है लेकिन इस तरह से रुपया बरबाद करना खराब बात है और इसको जरूर रोकना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ संबंधी पैमाइश के लिये इसमें रुपया मांगा गया है। लेकिन कार्य बहुत धीमा चल रहा है। सरकार को जितनी गति से इस कार्य में आगे बढ़ना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हर साल, दो तीन सालों से देखा जा रहा है कि बाढ़ संबंधी योजनायें सदन में पेश होती हैं और ज्यों की त्यों रह जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने यहां देखता हूं और इस के अतिरिक्त गोरखपुर जिले में देखता हूं, बगहा एक स्थान है वहां जाकर देखता हूं, अपनी देहात में देखता हूं कि बाढ़ के जमाने ही में नहीं इस समय नदी का जो कटाव है वह इतना तेज है जिसकी इंतिहा नहीं है। माननीय माल मंत्री जी की चिट्ठी मेरे पास है जिसमें उन्होंने मुझको लिखा है कि कटाव रोकने के लिये सिंचाई विभाग की ओर से इन्तजाम हो रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की ओर से क्या इंतिजाम हो रहा है अब जब कि बाढ़ नहीं है जब भी वहां तेजी से भूमि कटती जा रही है। सरकार की ओर से यह होना चाहिये कि उसके लिये जल्दी से कोई प्रयत्न हो। जो बड़े-बड़े कस्बे हैं जैसे बरहज बाजार एक बहुत अच्छा स्थान है, दोहरीघाट है, बड़हलगंज है, यहां सब जगह बहुत जोरों पर कटाव है। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में सरकार को बहुत जल्दी करनी चाहिये।

अब अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं पंचायतों के और ग्राम क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और सफाई की योजना के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सी ऐसी हरिजन बस्तियां हैं जहां पर लोगों को पानी नहीं मिलता। लेकिन इस मद से जो पाइप लगाये जा रहे हैं उनको देखें तो जहां कुयें हैं वहीं पाइप लगाये गये हैं और जहां कुओं की कमी है वहां पाइप नहीं हैं तो रुपया इस तरह से बेकार खर्च किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर इस कटमोशन के जरिये से विचार करेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे तो कटमोशन उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो कटमोशन उपस्थित किया गया है उसी संबंध में कुछ बातें निवेदन कर दूं। पहली बात तो यह है कि नलकूपों के लिये ढाई लाख रुपये की मांग की गई है। वैसे तो नलकूप का विरोध तो मुझे करना नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अपने जिले में देखा है कि नलकूप तो लगे हैं लेकिन वहां ही पड़े हैं जहां-जहां विद्युत नहीं मिल रहा है। मैंने देखे हैं कि नलकूप तो तैयार हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि सिंचाई विभाग को कोई और देखें और विद्युत् किसी और के हाथ में है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं है और कोई जिम्मेदारी इस बात की महसूस नहीं की जा रही है कि इतना रुपया जो नलकूपों पर लग गया यह सालों इस तरह से पड़े रहें और वह काम में भी न आयें। तो ऐसा कोई कोआर्डिनेशन जरूर होना चाहिये, नलकूप लगाये जायं तो फौरन चालू हो जायं और विद्युत की व्यवस्था रहे। दोनों विभाग मिल कर काम करें। यह मैं सुझाव देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह कि खरीद फरोख्त के मामले में सरकारी कर्मचारी जो सामानों की खरीद फरोख्त करते हैं उस पर नियंत्रण होना चाहिये। मैंने एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट्स में देखा है कि सरकार को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। इस खरीद फरोख्त के

मामले में मिसाल के तौर पर मैं सिंचाई विभाग की नलकूप शाखा की बात कहता हूं। एक इंजीनियर महोदय ने स्लूस बल्बस् और रिफ्लेक्स बल्ब के चार्ट कई कम्पनियों से मंगवाये। मुरादाबाद के जाहिद हुसैन एन्ड ब्रादर्स ने १०५ रु० कीमत लिखी और उन पर १० रुपये खर्चे के चारजेज लिखे। सी० ए० इटेलिया कोटलेवाला, दिल्ली और रिलायंस इंजीनियरिंग कम्पनी, मेरठ ने उसी के दाम ९५ रुपये लिखे। इंजीनियर महोदय ने तीनों कम्पनीज से माल खरीदा और जितना माल जाहिद हुसैन एंड ब्रादर्स से खरीदा गया उसमें सरकार को २५ हजार का घाटा उठाना पड़ा। पता नहीं मुरादाबाद के जाहिद हुसैन एंड ब्रादर्स को इस तरह से क्यों ओबलाइज किया, या क्या किया लेकिन इतना माल खरीदा कि २५ हजार रुपये का सरकार को घाटा हुआ। इस तरह से बहुत सी मिसालें हैं जिनमें सरकार को खरीद फरोख्त में घाटा उठाना पड़ जाता है। इसकी ओर सरकार को विशेष तवज्जह देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह जो मैंने सुझाव दिया है कि विद्युत को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाय। अगर विद्युत तैयार नहीं है तो फिर नलकूप न लगाये जायं। अगर नलकूप लगाये जायं तो विद्युत का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये इससे काश्तकारों में असंतोष बढ़ता है और सरकार के लिये टीकाटिप्पणी की गुंजाइश हो जाती है।

श्री राममूर्ति——अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि इस सदन के लगभग सभी माननीय सदस्य और विशेषकर विरोधी दल के सज्जन सिंचाई विभाग के कामों से बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। उससे सारे डिपार्टमेंट के लोगों को इनकरेजमेंट और उत्साह मिलता है। जहां तक कि आज इस अनुदान के संबंध में चरचा की गई आजमगढ़ के जिले में तो इतना ज्यादा काम हो रहा है और इतने अधिक नलकूप बन रहे हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि पांडेय जी को शिकायत क्योंकर हुई। यह हो सकता है कि सड़कों के किनारे नलकूप बन गये हों लेकिन जहां नलकूप बनते हैं वहां तो सड़कें बनाई ही जाती हैं और इससे तो खुश होना चाहिये कि नलकूप ऐसी जगह बनाये गये।

एक सदस्य——उचित स्थान नहीं है।

श्री राममूर्ति——मेरी समझ में अनुचित स्थान कोई भी नहीं है हर जगह लोग पानी चाहते हैं। अगर माननीय सदस्य के क्षेत्र में नलकूप न लगे हों तो वह हमारी योजना में न होंगे। मैं उन्हें उम्मीद दिलाता हूं कि जहां आज नहीं लगा हैं तो कल लग जायेंगे कल नहीं लगे हैं तो परसों लग जायेंगे। ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी जहां पानी का इन्तजाम न किया जाय।

मौर्य जी ने जिक्र किया कि जौनपुर में नलकूप लगे हैं लेकिन बिजली का इन्तजाम नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि जितने भी नलकूप लगे हैं वहां बिजली का इन्तजाम बनारस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा हुआ है और उनको करजे में रुपया भी दिया गया है और बड़ी तेजी से वे बिजली का प्रबन्ध कर रहे हैं। बहुत से नलकूप एनरजाइज भी हो गये हैं। जहां नहीं हुआ है वहां कोशिश की जा रही है कि जल्दी काम हो।

इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि बिजली का सामान मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि सामान बाहर से आता है। जैसे जैसे सामान मिलता जाता है वैसे वैसे बिजली पहुंचाने का इन्तजाम हो रहा है और इस बात की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उन्हें एनरजाइज कर दिया जाय। हेल्थ के सिलसिले में जो पानी की योजना है वास्तव में तो यह हेल्थ डिपार्टमेंट की योजना थी लेकिन हमारे यहां आ गई है और हम इस बात की कोशिश में हैं कि इस योजना को पूरे तौर से कामयाब बनायें। जहां ट्यूबवेल्स बनते हैं वहां पानी बहुत नीचे से लिया जाता है और बड़ा स्वस्थ्य होता है इसी लिये यह योजना हमारे सुपुर्द की गई है। कुयें जहां जहां बने हुये हैं वहां पानी इतना नीचे स्तर पर नहीं होता और ट्यूबवेल का पानी स्वास्थ्य के लिये बहुत अच्छा होता है इसलिये इन ट्यूबवेल्स से पानी लिया जा रहा है।

[श्री राममूर्ति]

मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से माननीय सदस्य अपना सहयोग इस डिपार्टमेंट के लिये देते चले आये हैं और उसके कामों में दिलचस्पी रखते हैं, और जो बात हमारे नोटिस में नहीं होती है वह ला देते हैं उसके लिये मैं अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी सब भाई अपनी दिलचस्पी इसी तरह से बनाये रखेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)--लेखा शीर्षक १७,१८ और १९--ख के अन्तर्गत ४३,४५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४--५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई स्थापना पर व्यय

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत ९,९०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४--५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,१८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ९,९०,५०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४--५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक १८---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय--लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४--५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ११ में एक रुपये की कटौटी का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११ में एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११---रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय--लेखा शीर्षक १८ के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४--५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय और अनुदान संख्या १३ लेखा शीर्षक २५-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय। मैं दूसरी मांग भी पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष--जी हां।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा इसमें एक अच्छी खासी रकम ऐसी है ४०० रुपये की कि उसमें सदन का वोट लेने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन कानून के मुताबिक हम मजबूर हैं। बाकी इस में २, ३ खास-खास चीजें हैं। एक तो इंफारमेशन डाइरेक्टरेट की बाबत है। बहुत से अच्छे काम प्रदेश में हो रहे हैं जिनकी अभी कुछ मिनट पहले ही तारीफ की गई है सिंचाई वगैरह के संबंध में।

सूचना के संबंध में तो यह आवश्यक बात है कि प्रदेश के सभी हिस्से के लोग उन चीजों को जानें। इसलिये यह उचित समझा गया कि उसके लिये डाकूमेंटरी वगैरह तैयार की जायं जिनको सभी देख सकें और कुछ ज्ञान हासिल कर सकें।

दूसरी चीज है स्माल सैविंग्स स्कीम के संबंध में स्टाफ रखने की बात। हमने अपना स्टाफ रखना उचित समझा इसलिये कि जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से तय है वह यह कि साढ़े चार करोड़ के ऊपर जो कुछ भी इस स्कीम के जरिये वसूल होगा वह उत्तर प्रदेश में रह जायगा। माननीय सदस्यों को जानकर के खुशी होगी कि ३१ जनवरी तक इसमें ६ करोड़ ९७ लाख रुपया आया है जिसमें से साढ़े चार करोड़ कटने के बाद करीब २ करोड़ ४७ लाख रुपया हमारे यहां रह जायगा। और जिस प्रगति से काम हो रहा है उससे हम आशा करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक कम से कम ४ करोड़ रुपया हमारे यहां रह जायगा। तो इसके लिये स्टाफ रखना उचित समझा गया। यह भी इसका एक मुख्य अंग है और मैं कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं समझता जिसके ऊपर ध्यान आकृष्ट किया जाय और मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार होंगे।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या १२-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय, यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, मैं अनुदान संख्या १३-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन भी एक रुपये की कमी कर दी जाय का प्रस्ताव पेश करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा सामान्य प्रशासन पर जो इस समय अनुदान मांगा जा रहा है उसमें केवल जो विकास का कार्य हो रहा है उसके प्रचार के लिये ही मांगा जा रहा है, उतनी ही बात नहीं है। यद्यपि विकास के कार्य का प्रचार समुचित रूप से हो तो हमको आपत्ति नहीं है। मगर इतना ही नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि विकास के कार्य का ही प्रचार नहीं होता पार्टी इन पावर का भी प्रचार होता है। इस पर भी कुछ रोकथाम होनी चाहिये। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को हमें इस पर विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है कि जनतंत्र, जिसको कि हम सब लोग इस समय बढ़ाना चाहते हैं उसमें सरकार और पार्टी और जनता का अन्तर हर समय लक्षित होना चाहिये। और यदि ऐसा नहीं होता तो अनर्थ हो रहा है जैसा कि सरकारी सूचना विभाग के जरिये होता आ रहा है। समय कम है वरना मैं कहता।

दूसरी बात यह है कि श्रीमन्, राज्यपाल महोदय का दौरा व्यापक हो रहा है और उसके लिये भी कुछ रकम हमसे मांगी जा रही है। मैं जरा यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर रोशनी डालते कि आखिर किस मकसद को हासिल करने के लिये राज्यपाल महोदय का यह दौरा होता है।

श्री अध्यक्ष--वह शायद चार्ज्ड है।

श्री राजनारायण--जी नहीं। कुछ है जिसके लिये वोटिंग आवश्यक है। और श्रीमन्, अगर चार्ज्ड भी हो तो रोशनी डाली जा सकती है। तो राज्य पाल का व्यापक दौरा है वह चार्ज्ड की रकम में नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब राज्यपाल महोदय के इतने व्यापक दौरे की क्या आवश्यकता है। मुझे याद है जब यह राज्यपाल यहां आये हुये थे तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि देवरिया जिले के भुखमरी क्षेत्रों का दौरा करने के लिये आयें तो उन्होंने वायदा किया था। मगर बाद में ऐसी परिस्थितियां पैदा की गईं जिससे न जा सके। तो क्या तमाम मंत्रिगण और उनके दूसरे अधिकारीगण इस समय दौरा करेंगे। कुछ थोड़े जिले ऐसे हैं जिनमें माननीय मंत्री हमेशा पहुंचे ही रहते हैं। अब एक तो बनारस का जिला है। हफ्ते में तीन दिन मंत्री वहां रहते हैं, अगर मंत्री नहीं तो उप-मंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री वगैरह रहते ही हैं। अब एक तो काशी नगरी धार्मिक है और राज्यपाल का दौरा होता रहा है। अब इससे हम किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं।

कभी-कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि माननीय राज्यपाल यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं। अब यह यूनीवर्सिटियों के कुलपतियों की मीटिंग बुलाना चाहते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसा दौरा होता है तो उसके खर्चे की रकम कहां से आती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं जब उस काम से उनका दौरा हो और कुलपतियों की मीटिंग वह बुलायें उसमें या और जो इस सिलसिले के कार्यों में खर्च होता है, तो उस खर्चे का भार क्या हम ही को देना पड़ेगा क्योंकि सभी दौरे मैं देखता हूं श्रीमन्, तो इसी सिलसिले में होते हैं। जिस तरह से आजकल शिक्षा की नीति वर्तमान सरकार चला रही है सेंट्रलाइजेशन की उसी नीति का अच्छी तरह से प्रचार माननीय राज्यपाल महोदय अपनी विभिन्न मीटिंगों में करते हैं, अखबारों में उसकी चर्चा आती रहती है तो उस खर्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों पड़े। उसका यूनिवर्सिटी का अपना कोष हो, यूनिवर्सिटी उसको मीट करे। तो इसकी सफाई यहां पर होनी चाहिये थी। उससे हमको आसानी होती अपना मत प्रकाशित करने में। और खैर परदे आदि के बदलने की रकम है, वह भी काफी रकम है। उसमें कुछ शायद चार्ज्ड रकम है, उस पर हमें वोटिंग नहीं देना है। मगर उस पर भी मैं इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसमें भी इतना धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने श्रीमन्, एक आर्टिकिल लिखा था कि हिन्दुस्तान के गवर्नर को कैसे रहना चाहिये और उसमें उन्होंने बताया था कि उसे कैसी सादगी से रहना चाहिये जिससे कि मालूम हो कि हिन्दुस्तान मुल्क कितना गरीब है।

मगर यहां तो अंग्रेजी जमाने की मनोवृत्ति से ओतप्रोत होकर हमारे वर्तमान मंत्रीगण चल रहे हैं और उसी तरह से राज्यपाल महोदय चल रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है उसमें चाहे शब्द जो भी लिख दिये जायं चाहे जनतांत्रिक, समाजवादी व्यवस्था का शब्द लिख दिया जाय, चाहे लोक कल्याणकारी व्यवस्था का शब्द लिख दिया जाय, किसी शब्द को लिख देने से जब तक आचरण में फर्क नहीं आता तब तक वह शब्द लिख देना निरर्थक है।

मैं एक निवेदन और करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी के विवेक के अधीन कुछ रकम मांगी जा रही है जिसको कि माननीय मुख्य मंत्री जी यदि किसी को चाहें तो दे सकें। श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो इस रकम से लोगों की सहायता किया करते थे उसमें अबकी कमी पड़ी और एक ऐसे विशेष कार्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया गया जिससे कि उनको पैसा देने की आवश्यकता महसूस हुई मगर वह क्या विशेष कार्य था जिसके लिये आवश्यकता पड़ी यह इसमें नहीं लिखा गया था। यह भी बताना चाहिये था कि ऐसा कौन सा विशेष कार्य था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी यदि सहायता न करते तो उसमें कौन सा नुकसान होता, देश का नुकसान होता या समाज का नुकसान होता, इस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई है। श्रीमन्, मैं यह देख रहा हूं कि मंत्रियों के पास जो रुपया इस तरह से सहायता देने को रखा गया है उसमें अपनी पार्टी के लोगों को सहायता देते रहते हैं और उसी से अपनी तमाम गुंटियों को ठीक रखते हैं। अगर इसकी सफाई होती तो हम उस पर ज्यादा अच्छी तरह से अपने मत को व्यक्त करते कि यह मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिये। चूंकि सफाई नहीं है इसलिये मेरा यह मत है कि नहीं मिलनी चाहिये।

श्रीमन्, लाल बत्ती हो गई। लेकिन आपने दोनों को एक में मिला दिया है। कुछ उसका भी ख्याल करें।

श्री अध्यक्ष—दोनों को मिलाकर २० मिनट हैं। सात मिनट आपके लिये था। आप नौ मिनट ले लीजिये।

श्री राजनारायण—इसी के साथ-साथ श्रीमन्, अब कमिश्नरों के इस्तेमाल के लिये चार नयी स्टाफ कारों के लिये रुपया रखा गया है जिस पर कि एक-एक पर १९, १९ हजार रुपया खर्च हो रहा है। एक ओर तो बड़ी चर्चा की गई कि कमिश्नरों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर अब कमिश्नर रखे गये और अब उनको रखकर के कितना खर्च उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है जरा उसको भी देखा जाय। इसमें कहा गया है कि अब कमिश्नर की जिम्मेदारी पहले से बदल गई है। शांति और व्यवस्था को सम्मिलित करके वे सार्वजनिक प्रशासन के सभी विभागों का समन्वय करने तथा उनकी देखरेख के लिये भी जिम्मेदार हैं। तो वह अब शांति और व्यवस्था को सम्मिलित करके शांति स्थापित करेंगे और सभी विभागों का समन्वय करेंगे। मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपने पढ़ा होगा श्रीमन्, आन्ध्र के उप निर्वाचन के अवसर पर कुछ पोलिंग स्टेशनों पर वहां के राज्याल महोदय भी गये थे और उन्होंने उसका निरीक्षण किया। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय जरा सीतापुर चले जायं, जरा कानपुर चले जायं और देखें कि जो मंत्रिगण वहां जा रहे हैं, उनका जो प्रचार हो रहा है और जिस तरह से उसमें हस्तक्षेप शुरू हो गया है सरकारी अधिकारियों की तरफ से उससे मैं तो श्रीमन्, परेशान हो गया हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से पुनः कहना चाहता हूं कि जो २९ अप्रैल, सन् ५४ को घटना हुई, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। हमें पूरा-पूरा अंदेशा है कि सरकार की पूरी मशीनरी लगेगी इस चुनाव में गलत ढंग से काम करके कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताने के लिये। मैं सीतापुर गया था, वहां के पुलिस के लोग जा-जा कर के अभी से कोशिश करना शुरू कर दिये हैं। कानपुर में भी यही हालत है। वहां पर हमारी मीटिंग ७ दिन पहले से ही डिक्लेयर कर दी गयी थी। उसी दिन श्री धेवर जी का जलूस निकलने वाला था वहां के पुलिस वाले हमारे पास आये और बोले कि यहां मीटिंग नहीं होनी चाहिये क्योंकि यहीं

[श्री राजनारायण]

से होकर कांग्रेस के सभापति का जलूस जायगा। मैं परेशान हो गया। अन्त में मेरे आरजू मिन्नत करने के बाद सद्बुद्धि आखिर में उनकी आयी। जब उन्होंने देखा कि लोग गिरफ्तारी के लिये तैयार हैं और हमारी मीटिंग ७ दिन पहले से डिक्लेयर थी तो किसी तरह से वहां के वर्तमान पुलिस अधिकारी मान गये कि हम पहले से इनको मीटिंग की इजाजत दे चुके हैं। तो मेरा कहना यह है कि कदम-कदम पर हम को हर जगह हस्तक्षेप मिलता है और हमको दुख तो तब होता है कि जिस समय कि मंत्री लोगों को मालूम रहता है और ये लोग उसका निराकरण नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, कैसे जनतंत्र को चलायेंगे? सोशलिज्म का नाम लेना और सोशलिज्म के पैटर्न पर चलने का दावा करना दूसरी बात है, पहले जो यह सरकार की बुर्जआ मेंटलिटी है उसको दूर करने की जरूरत है तब कहीं शांति व्यवस्था कायम हो सकेगी। मुझे शांति का अर्थ बता दीजिये कि शांति किसको कहते हैं? शांति लिख देने से नहीं होगी। मैं चाहता था कि जब सम्पूर्णानन्द जी मुख्यमंत्री होकर आयें तो जितने पिछले पाप कर्म हुये हैं उनको धोयें और यहां मुक्त कंठ से इस सदन में जनता से उनके लिये माफी मांगें। सन् १९३२ का स्पेशल पावर्स ऐक्ट इसी सरकार ने लगाया था। मैं समझता था कि ऐसे विद्वान मुख्यमंत्री आयेंगे तो उसके बारे में प्रायश्चित करेंगे, लेकिन आजतक नहर रेट के आन्दोलन के सिलसिले में जिन-जिन को जुरमाने हुये थे उनके जुरमाने वापस नहीं हुये।

श्री अध्यक्ष--समय समाप्त हो गया। आप अपना वाक्य पूरा कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन बातों पर विचार करें। हमारा तो हृदय इतना भरा हुआ है, इतना दुखता है इन सरकारी कार्यकलापों को देख कर कि मैं कभी-कभी सोचने लगता हूं कि आखिर इन लोगों को हो क्या गया है? कैसे वे किन्हीं शब्दों को कह कर उनको कार्य रूप में परिणत नहीं करते? समय इतना कम है कि मैं अपने भाव को शब्दों में प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ स्टाफ कारों को कमिश्नर महोदयों को देने से शांति स्थापित नहीं हो जायेगी। सही सही तरीके से, जहां जो गलती है उसे कबूल करके अपने अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करायें, स्वतः जांच पड़ताल करायें और करेंगे तो मालूम हो जायगा कि किसका दोष है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण ने अपने भाषण में कई बातें श्री राज्यपाल के दौरे के संबंध में कहीं और यह आशा भी प्रकट की कि मैं श्री राज्यपाल के दौरों के संबंध में कुछ रोशनी डालूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक दौरों का प्रश्न है जितनी रोशनी या अन्धकार में वे हैं उतना ही मैं हूं। मैं ज्यादा रोशनी नहीं डाल सकता। साथ ही संविधान के मुताबिक राज्यपाल अपने दौरों के संबंध में स्वतंत्र हैं, उन्हें गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके संबंध में हम कैसे कोई रोशनी ढूंढें या उनको कैसे बतलायें तो यह मुझ को अनुचित सी बात प्रतीत हुई। यों आज जो अभी सदन में श्री राजनारायण जी ने कहा है उसकी रिपोर्ट तो उनके पास पहुंचेगी ही और मैं समझता हूं कि वह गौर कर लेंगे कि वर्तमान समय में राज्यपालों को किस तरह से रहना चाहिये, किस प्रकार के दौरे करने चाहिये और इस सदुपदेश से वह लाभ उठाने की कोशिश भी करेंगे।

दो तीन बातें कहीं गयी हैं। एक तो यह कि निश्चय ही जो सरकारी काम विकास के होते हैं.....

श्री अध्यक्ष--संविधान का आर्टिकिल २०३ इस प्रकार है:

"203 (1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in the Legislature of any of those estimates."

तो इसलिये अगर आप सिर्फ प्रकाश डालना चाहें, तो डाल सकते हैं। मैंने इस सम्बन्ध के विवाद को सीमित कर दिया था और ऐस्टीमेट्स के सम्बन्ध में आप चाहें तो प्रकाश डाल सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितना राजनारायण जी प्रकाश में हैं उससे मैं अधिक नहीं हूं और इससे ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता हूं।

श्री राजनारायण--आप तो अक्सर मिलते होंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, मैंने उनसे पूछा नहीं है, अब पूछ लूंगा। श्री राजनारायण जी ने कहा कि जो विकास का कार्य होता है सरकार का उसका तो अवश्य ही प्रचार होना चाहिये लेकिन पार्टी जो पावर में है उसका प्रचार नहीं होना चाहिये। यह ऐसा सिद्धान्त है कि इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकती हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इसके लिये कोशिश करते हैं और अगर कोई कमी है तो हम उसको पूरा करने के लिये तैयार हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इसको रोकना मुश्किल है। जनता समझती है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वह अपनी जेब से तो रुपया खर्च नहीं करते हैं बल्कि पार्टी के प्रचार के लिये सरकारी रुपया खर्च करते हैं। इसको रोकना बड़ा कठिन है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है और सरकारी रुपये से जो पार्टी पावर में है उसका प्रचार नहीं होना चाहिये। यही सिद्धान्त बिल्कुल सही है।

जो कमिश्नरों की बात कही गई उसके सिलसिले में चुनाव का भी जिक्र हुआ। हम चाहते हैं कि चुनाव के सिलसिले में कोई दुर्घटना न हो। यह सबके लिये बड़े अफसोस की बात है जो चाहते हैं कि हमारे देश में और विशेष रूप से हमारे प्रदेश में जनतांत्रिक पद्धति का विकास नहीं होना चाहिये। हमें सीखना चाहिये कि हम चुनाव का काम अपने खूबसूरती के साथ करें। चाहे किसी को वोट दें और चाहे किसी के लिये कन्वेंस करें लेकिन जब आपस में मिलें तो दिलों में कोई फर्क नहीं होना चाहिये और किसी की नीयत पर कभी कोई आक्षेप नहीं करना चाहिये। जो पिछली मर्तबा कानपुर में हुआ उसका पोस्टमार्टम कराना अनुचित होगा। मुझे उसे दोहराना नहीं है। मैं भी इसी आशा को प्रकट करता हूं जो श्री राजाराम जी ने कहा है। जो कुछ भी हुआ वह किस वजह से हुआ और क्यों हुआ और कहां हुआ? कानपुर में हुआ, गोरखपुर में हुआ या लखनऊ में हुआ? लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि ऐसी घटनायें दोहराई न जायं।

जहां सरकारी अहलकारों की बात है मैं समझता हूं कि वह अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पहचानते हैं और मुझे आशा है कि वे अपने कर्तव्य को ठीक तरह से पालन करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी से गल्ती हो जाय तो सदन में बातचीत होती रहती है और सूचना मिलती रहती है और आयन्दा इसका ख्याल रखेंगे।

कमिश्नरों के बारे में यह है, और जो हमने अपने अनुभव से देखा है कि जो हमारे आफिसर्स हैं वह बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं लेकिन काम बढ़ गया है। ऐसे आफिसर जो पुराने हैं, जिनको अनुभव है उनसे यह सलाह मशविरा करते रहें तो अच्छा है। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने जिले की ही बात जानते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आफिसर है जो ४, ५, ६ जिलों का काम देखता है तो एक जिले के अनुभव से दूसरे जिले के अधिकारी फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से ला एंड आर्डर का काम होता है। इसके लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, एस० पी० की जिम्मेदारी है और कमिश्नर कोई दखल नहीं देता है। लेकिन ऐसे अवसर आ सकते हैं जब उसकी सलाह की

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

आवश्यकता हो तो वह अपनी सलाह दे सकता है। यही ऐसे काम हैं जिसकी वजह से आवश्यकता मालूम हुई।

अन्तिम बात डिस्क्रीशनरी ग्रांट के बारे में कही गई है। जान बूझकर मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन अब मैं उसका जिक्र कर देना चाहता हूं। डिस्क्रीशनरी ग्रांट से कोई पार्टी की मदद करने की कोशिश की गई हो ऐसी बात नहीं है बल्कि कई ऐसे खर्च आ पड़ते हैं जो पहले से सोचे नहीं जा सकते हैं और बजट में भी नहीं रखे जा सकते हैं। अब आप देखें कि जुलाई के शुरू में और खास कर अप्रैल के महीने में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको इम्तहान की फीस देनी पड़ती है और इसके साथ-साथ तीन महीने की फीस देनी पड़ती है। बहुत से गरीब विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं। तो इस ग्रांट से ऐसे विद्यार्थियों को मदद दी जाती है चाहे वह किसी भी पार्टी के क्यों न हों। कभी तो वह खुद ही आ जाते हैं और कभी-कभी अपने स्कूल और कालेज के प्रिंसिपल या प्रोफेसर्स की रिकमन्डेशन लेकर आ जाते हैं तो जहां पर हमें विश्वास होता है कि यह केस जैनुइन है उनको मदद दे दी जाती है उसके सम्बन्ध में जो बड़ी-बड़ी रकमें खर्च हुई हैं उनको मैं आपको बतलाऊं और आखिर में मैं ५ हजार रुपये के बारे में बतलाऊंगा कि वह कैसे खर्च हुआ। गोरखपुर में एक कुष्ठ सेवाश्रम है जिसमें औरतों के लिये अलग ब्लाक बनाने के लिये १५०० रुपये दिये गये। कलकत्ते में एक है उत्तर प्रदेशीय छात्र संघ। कलकत्ते की यूनिवर्सिटी में और कालेजों में जो उत्तर प्रदेश के लड़के रहते हैं उनके लिये खासतौर से होस्टल बनवा रहे हैं जिसके लिये मुख्य मंत्री ने ६ हजार रुपये दिये थे। लखनऊ स्पोर्ट्स एसोसिएशन को ५ हजार रुपये की रकम दी गयी है। आगरे में जो मेन्टल हास्पिटल है उसके लिये ५०० रुपये की रकम दी गयी है। कमला नेहरू हरिजन भारतीय इलाहाबाद में कुछ है। तो हरिजन बच्चों के लिये एक मान्टेसरी स्कूल खोला है। उसके लिये ढाई सौ रुपये की रकम दी गयी है। जब से यह काम मेरे सुपुर्द हुआ है मैंने खाली एक स्टूडेंट को पौने दो सौ रुपये दिये हैं। उसकी कई महीने की फीस वगैरह बाकी थी। अब उस ५ हजार रुपये का मैं जिक्र करता हूं जिसके बारे में कहा गया। एक सज्जन थे डिप्टी कलेक्टर ११ वर्ष की उनकी सर्विस थी। यकायक मर गये। जी० पी० फंड में या और कहीं उनके नाम एक पैसा नहीं था। चन्दा करके उनका दाह संस्कार हुआ। उनकी विधवा है, कई बच्चे हैं। तो उनकी विधवा और बच्चों के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने ५ हजार रुपये दिये। नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता लेकिन अगर सब जानना चाहें और आप आज्ञा दें तो मैं नाम भी बतला दूं। पूरा ब्योरा मेरे पास है जो रुपया खर्च किया गया है उसका, जिससे आप देखेंगे कि जो नीडी आदमी हैं उनके लिये यह रुपया खर्च किया जाता है। अब मैं आशा करता हूं कि ये जो मांगें मैंने रखी हैं इनको सदन सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि जहां तक डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात थी विद्यार्थियों की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही। मगर मैं उनको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहीं शिक्षा विभाग की ओर से एक सर्कुलर गया जिसमें यह मांग की गयी है इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स से कि विद्यार्थियों और अध्यापकों की राजनीतिक गतिविधि की बाकायदा रिपोर्ट की जाय। मैं श्रीमन् दावे के साथ कहता हूं कि, अभी हम अपने दफ्तर से निकाल कर दिखा सकते हैं कि बहुत से गरीब विद्यार्थी हैं, रोते चिल्लाते हैं मगर उनको मदद नहीं मिलती है। अब तक हमारे पास ४-६ चिट्ठियां प्रति दिन गरीब विद्यार्थियों की आती हैं जिनको हम बराबर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पास भेजा करते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो केस बतलाये वे बिल्कुल उचित केस थे। उन्होंने दिया, ठीक दिया। मगर मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि

इस तरह की जो शक्तियां ली जाती हैं उनका दुरुपयोग होने की गुंजायश रहती है और दुरुपयोग हो रहा है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी जानकारी करना चाहें तो उनको मालूम होगा कि जो डिज़ीविंग केसेज़ हैं वे रह जाते हैं।

कुम्भ कांड के सम्बन्ध में, श्रीमन्, कुछ चर्चा हुई। उस पर तो बहुत काफ़ी वाद विवाद हो चुका है। इस सम्बन्ध में तो इस समय मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें बहुत काफी पैसा बर्बाद हो चुका है। कुम्भ के सवाल को बार-बार उठाना हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं हो सकती। अन्त में मैं इतना निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह जो देख रहे हैं वही सत्य नहीं है। सत्य को ज़रा खोजने के लिये वह जायं। इतना ही निवेदन करके बैठना चाहता हूं कि अगर वह सत्य को खोजेंगे तो मुझे इसमें शक नहीं है कि वह हमारे साथ आयेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १२ में १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२-सामान्य प्रशासन के कारण व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४--५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३ के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३-कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय-लेखा शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २७-न्याय प्रशासन

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलास प्रकाश)--अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,६१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २७ के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रस्तुत अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५-लेखा शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १,६१,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियां

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत ११,५५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री राम सुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है सम्पूर्ण अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६-लेखा शीर्षक २८-जेल और बन्दी बस्तियों के अन्तर्गत ११,५५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक २९-पुलिस

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७-लेखा शीर्षक २९-पुलिस के अन्तर्गत १८,२३,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

यह मांग एक ऐसे मुहकमे से सम्बन्ध रखती है जिसमें इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को बड़ी दिलचस्पी है और इसमें जो रकमें हैं वह तो ऐसी हैं कि मैं समझता हूं कि उनका समर्थन प्रायः सभी माननीय सदस्य करेंगे। इसमें दो लाख की रकम जो फ्रांटियर पुलिस के बारे में है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त जो रकमें हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा इस सदन की पुलिस विभाग पर जो कृपा है उसी वजह से आज यहां सदन के सामने आया। पिछली मर्तबा बजट के वक्त कई बातों का जिक्र किया गया। एक तो यह कि पुलिस वालों की तनख्वाह बहुत कम मिलती है और उनको काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। दूसरे यह कि उनके रहने के मकान बहुत खराब हैं और बुरी हालत में हैं। थानों की हालत बहुत खराब है। इन सब बातों पर हमने गौर किया और गौर का नतीजा यह अनुपूरक बजट है। जो पुलिस के थाने बहुत खराब हैं उनको एक साथ बनाना या एक दो वर्ष के अन्दर बनाना हमारी शक्ति के बाहर है किन्तु हमारी कोशिश यह है कि हम १० वर्ष का प्रोग्राम रखें और इन दस वर्ष में जहां तक हो सके उनकी मरम्मत कराने की कोशिश करें। इस साल के अन्दर ३१ मार्च तक जितना हो सकता है उसके लिये थोड़ी सी रकम इसमें रखी गयी है।

पुलिस वालों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल बहुत टेढ़ा है क्योंकि इसमें दूसरी सर्विसेज का ख्याल भी करना पड़ेगा। हमने उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस की कुछ और बातों की तरफ हमने ख्याल करने की कोशिश की है। अभी तक जिन थानों में रोशनी का इन्तजाम नहीं था उसका इन्तजाम कर दिया है। पुलिस के अस्पतालों में जो मरीज जाते थे, इनमें गजटेड आफिसरों का जिक्र नहीं है, कांस्टेबिल और हेडकांस्टेबिल जो जाते थे उनको बहुत सी दवइयां नहीं मिलती थीं उनके लिये हमने फ्री मेडिसिन और डाइट का इन्तजाम कर दिया है। इसके अलावा जो मकानों का किराया बहुत कम मिलता था उसको बढ़ाने की कोशिश की है। एक चीज हमने और की है आज से कुछ वर्ष पहले तक पुलिस में यह अधिकार था कि साल में एक बार जब वह अपने घर जाता था तो उसको किराया मिलता था। उनका मकान बहुत दूर होता था तो पुलिस कांस्टेबिल और कांस्टेबिल दूर मकान होने से कभी-कभी जाना होता था तो साल में एक बार उनको किराया मिलता था वह अधिकार हमने उनका फिर इस साल से रिवाइज कर दिया है कि अगर वह साल भर में एक बार घर जायगा तो उसको उसका पैसा मिल जायगा। जो पार साल बजट के समय पुलिस वालों के साथ बहुत सहानुभूति दिखलायी गयी थी तो उसके लिये जहां तक सम्भव हुआ मौजूदा आर्थिक व्यवस्था में उसको हमने कार्यान्वित करने की कोशिश की है। ज्यादातर वही वृद्धि इस बजट में दिखायी पड़ती है और यही उसकी वजह है चूंकि सदन की इच्छा बजट पास करते समय इस प्रकार से दिखायी पड़ी। इसलिये मुझे आशा है कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा और उसको मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार होगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था को कायम रखने के लिये पुलिस का रहना आज के समय में जरूरी है। हमारे भी राज्य में शासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिये और उसमें शान्ति स्थापित रखने के लिये पुलिस का रहना जरूरी है। मगर इस राज्य को आज की पुलिस ने जितना बदनाम कर रखा है उससे तो हमको उतना अफसोस नहीं है जितना अफसोस इस बात का है कि हमने उस विभाग को चलाने के लिये अपने देश के एक महान् नेता को दिया। इससे उस विद्वान आदमी पर लोग शक करने लगे हैं। वह महान् नेता जिसकी विद्वता का लोहा दुनिया मानती है वह भी इस पुलिस के पीछे बदनाम है। पुलिस का काम जिस तरह से आज कल चल रहा है उससे शान्ति और व्यवस्था को भारी धक्का लगा है। आज अगर हम यह कहें कि पुलिस ही देश के अन्दर अराजकता फैला रही है और जनता में वह एक अशान्ति का कारण बन गयी है तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक देहात का रहने वाला इस सदन का सदस्य हूं। मैं घूम कर देखता हूं उससे मुझे मालूम होता है कि जितने जरायम पेशा हो रहे हैं उसके ९९ फीसदी जरायम में पुलिस का हाथ जरूर रहता है। अभी इसी सदन में मऊ के गोलीकांड का जिक्र आया है और हमारे मंत्री महोदय ने उसका जवाब भी दिया। मैंने उस दिन राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी जिक्र किया था और आज भी कह रहा हूं वह यह कि खास तौर से पुलिस के जवानों को अपनी जिन्दगी खतरे में डालनी चाहिये न कि जनता की जिन्दगी को खतरे में डालें, लोकतंत्र राज्य की खूबी यह है कि जनता अपने को ज्यादा सुरक्षित समझे। किन्तु होता इसके विपरीत है। मैंने अभी प्रश्नों के सिलसिले में पूछा था कि पुलिस के कितने आदमी मऊ में घायल हुये थे, यह प्रश्न मऊ गोलीकांड के सिलसिले में था, किन्तु सरकार की तरफ से कोई जवाब सन्तोषजनक नहीं मिल सका। लोकतन्त्र की सरकार को पूरा सबूत रखना चाहिये इस बात का कि अगर कहीं गोली चलानी हो पड़ी तो उसके औचित्य को वह प्रमाणित कर सके, आज इस सदन में यह नहीं बताया जा सका कि पुलिस के किन लोगों को चोट आयी। मेरी जानकारी

[श्री उमाशंकर]

है कि यह जो गोली चली है वह पुलिस के उच्च अधिकारियों की अदूरदर्शिता से चली है नहीं तो अध्यक्ष महोदय, किस कानून में यह लिखा हुआ है कि मुल्जिमान को पकड़ कर जनता की अदालत में पेश किया जाय, पहले जनता फैसला कर ले तब अदालत में भेजा जाय? वहां के एस० पी० ने जनता की अदालत में पेश किया, उसका मतलब यही था कि यह जो मुल्जिमान पकड़े गये हैं उसकी अहमियत कम हो जाय और इस गोली की अहमियत आगे बढ़ जाय तथा लोगों का ध्यान इस ओर आ जाय और जनता इस उपद्रव में शामिल हो जाय। इसलिये यह गोली पुलिस की गलती से चली।

अभी भदौरिया जी मैनपुरी जेल में अनशन कर रहे थे किसी आदमी को इटावा की पुलिस ने बुरी तरह लोहे के सलाखों से दागा है उनका आज के जमाने में सलाख लगा कर दागना घोर अनाचार है। कहानियों में सुना करते थे कभी कि ऐसी सजायें दी जाती थीं। प्रगतिशील सरकारें कारपोरल पनिशमेंट जब कि आज के जमाने में बन्द कर रही हैं, जब कि आज कहा जाता है कि फांसी की सजा बन्द होनी चाहिये उस जमाने में हमारी पुलिस सलाखा लगा कर, आग में उसको गर्म करके लोगों को दागती है। जब कि यह पता भी नहीं है कि वह आदमी मुल्जिम है या नहीं। यह तो बाद में अदालत बतायेगी, लेकिन पुलिस ने पहले से ही उसको सजा दे दिया है।

तारीख १५-१०-५४ को माननीय सम्पूर्णानन्द जी को, जब कि वे गृहमंत्री थे, एक चिट्ठी मैंने लिखी थी उसमें लिखा था कि मेरे गांव के पास एक कप्तानगंज नाम का कस्बा है उसमें सेंध लगाकर ६ चोरियां हुईं और लोगों के घरों में पानी पीने तक के लिये बर्तन नहीं रहे। थाने में रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन जब मैंने सवाल पूछा तो बताया गया कि १ नकब लगी थी। मैंने लिखा था कि अब पुलिस तो अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी है लेकिन आपकी प्रतिष्ठा लुटी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, माफ कीजियेगा कांग्रेस के एकाध आदमियों के अब पुलिस के साथ घूसखोरी में शरीक हो जाने से बहुत गड़बड़ हो रही है। एक हमारे साथी हैं, पुराने कांग्रेसी तो नहीं रहे हैं अब भारी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विरोधीदल के नेता के कमरे में इस बात को कबूल कर लिया, जिसके साक्षी श्री राजबिहारी सिंह हैं कि मेरे घरवालों ने इसमें मिल कर गड़बड़ कराया था। मैंने अपनी चिट्ठी में इस बात को भी लिखा था।

अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे में गया था, उसके सिलसिले में मुझे इतनी चिट्ठियां प्राप्त हुईं जिसमें से एकाध यह हैं, एक साहब, करीमुल्ला हैं उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इत्तला की कि उनकी मड़ई दिन को ही बदमाश उठा ले गये लेकिन मेरी एक भी बात पुलिस रजिस्टर में नहीं लिखी गयी। गरीब लोगों की क्या बतायें कुछ भी नहीं सुनी जाती है। माननीय गृह मंत्री जी के पास इसकी प्रतिलिपि भेज दी गयी है। इसमें लिखा हुआ है कि महाराजगंज में निहोरी लुहार और लोटू चमार को थानेदार साहब ने हाथी के आगे-आगे दौड़ाया। यह भी दरख्वास्त मुख्य मंत्री जी के पास गयी है और उसकी नकल मेरे पास है। एक बार रामसुन्दर जी पांडेय ने कहा था कि मधुबन के एक सब-इन्सपेक्टर ने एक आदमी को घोड़े के पीछे बंधवा कर दौड़ाया तो इस सदन को उस पर बड़ा आश्चर्य था कि ऐसा कैसे हुआ।

मगर यह दरख्वास्त है जिसका मैं स्वयं पता लगा कर आया हूं। यह बात नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूं। हाथी के आगे-आगे उन दोनों आदमियों को सुबह से शाम तक जहां-जहां वह सब इंसपेक्टर गया दौड़ाता गया। एक नहीं पांच छः ऐसी दरख्वास्तें हैं। आपने लाल बत्ती दिखला दी, अब तो मेरी हिम्मत ही टूट गयी, अब मैं पूरी बात भी नहीं कह सकूंगा। पांच, छः आदमियों की ऐसी दरख्वास्तें हैं और इन सब की प्रतिलिपि माननीय गृह मंत्री जी

के पास पहुंच गयी हैं। लेकिन किसी के ऊपर कोई ऐक्शन लिया गया है? एक दरख्वास्त पर किसी चौकीदार को मुअत्तल कर दिया गया लेकिन उसी के अपने सगे भाई को फिर वहीं का चौकीदार बना दिया गया। तो भला बताइये कि इसका क्या मतलब हुआ कि उसी का सगा भाई फिर चौकीदार हो गया? जिस काम के लिये उसको मुअत्तल किया गया था उसका कोई असर पड़ा क्या? तो मैं और कुछ न कह कर केवल यही प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का स्थान इस देश में बहुत ऊंचा है और हम लोग उनको बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं। हम लोग एक तरह से अपनी शुरू जिन्दगी में उन्हीं की तपस्या देख कर स्वराज्य आन्दोलन में शरीक हुये। हम लोगों ने बहुत दिनों तक सम्पूर्णानन्द जी की जय-जय किया है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि अगर वे इस डिपार्टमेंट को नहीं सम्भाल सकते हों, न अंजाम दे सकते हों, क्योंकि हर आदमी हर काम का अंजाम नहीं दे सकता, वे पढ़ने लिखने का काम पढ़ाने लिखाने का काम और हमलोगों को सिखाने का काम जितनी खूबी से और जितनी अच्छाई से कर सकते हैं, मेरा विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट का काम वे उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते हैं। उनको चाहिये कि कोई नया मिनिस्टर उसके लिये बनावें। उनकी मिनिस्टरी में कई मिनिस्टर ऐसे हैं जो पीट पीट कर उस डिपार्टमेंट को दुरुस्त कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनके सुपुर्द इस काम को करके हमारे देश और प्रदेश में अमन और शांति कायम करें।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुये माननीय उमाशंकर जी ने कई पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। यदि मैं उन पुरानी घटनाओं का ब्योरेवार जिक्र करूं तो इस से सदन का समय नष्ट होगा, इसलिये मैं ब्योरेवार जिक्र नहीं करूंगा। उन्होंने दो एक हाल की घटनाओं का जिक्र किया और उनके संबंध में मैं समझता हूं कि मुझे यहां दो शब्द कहने चाहिये। एक तो मऊ की दुर्घटना का जिक्र किया गया और वह सवाल तो तीन चार रोज से किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ रहा है। इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मैं यह तो नहीं जानता कि वहां स्वयं माननीय उमाशंकर जी उपस्थित थे या नहीं लेकिन वहां और कई जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित थे जैसे वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन और उन लोगों ने घटना के बाद ही अपना बयान दिया था। उस के थोड़े ही दिन के बाद हमारे सिंचाई मंत्री माननीय कमलापति त्रिपाठी वहां गये थे, वह भी वहां का हाल जांच कर आये, उन से भी मैं ने वहां का हाल सुना। उन बातों में भी और जो कुछ माननीय कमलापति त्रिपाठी ने मुझे बताया उनमें भी वही बात है जिस का आज प्रश्नों के उत्तर में जिक्र किया गया था और उससे पहले भी किया जा चुका है। इसका कोई कारण नहीं है कि हम ऐसा मानें कि सब ने गलत बयान दिये हैं।

इटावा की घटना का भी जिक्र किया गया। वह घटना भी सीधी सादी है। एक शख्स के शरीर पर चोट के निशान पाये गये इस बात से कोई इन्कार नहीं करता लेकिन इतने ही से यह साबित नहीं होता कि वह चोट उसी जगह किसी थानेदार या किसी पुलिस वालों ने पहुंचाई, दुश्मनी में भी अंगच्छेद या अंगभंग किया जाता है, मार भी डाला जाता है। इसलिये किसी एक आदमी के कहने से कोई कसूरवार साबित नहीं हो सकता। श्री भदौरिया ने अनशन किया और चाहा कि उस थानेदार को सजा होनी चाहिये और कुछ दूसरे लोगों ने जिनमें श्री राजनारायण भी हैं मुझ से कहा कि कम से कम उस थानेदार का उस जगह से तबादला होना चाहिये। मैंने उन से कहा कि महज किसी की शिकायत पर ही किसी का तबादला नहीं हो सकता कोई प्रमाण भी तो होना चाहिये, कुछ तो प्राइमाफेसी होना चाहिये, कुछ रुपये में एक दो आना बात तो होना चाहिये जिसके ऊपर एक्शन लिया जाय। अगर इस तरह से एक आदमी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

की शिकायत पर तबादला किया जाय तो तमाम पुलिस अफसर सफर में ही दिखाई पड़ेंगे और कोई काम नहीं कर सकेगा। एक चीज मुझे सदन को और बताना चाहिये कि आज से आठ नौ दिन पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पी० एस० पी० वाले मिले थे और उन्होंने उन से आफर किया था कि यह तरीका हो सकता है कि हम मेजिस्ट्रेट से जांच करावेंगे और अगर कुछ भी अपराध साबित हुआ किसी पुलिस के आदमी का तो हम उस को जरूर हटा देंगे। लेकिन अगर आप तत्काल ट्रांसफर चाहते हैं तो उस का तरीका यह है कि एक इस्तगासा दायर हो और उस पर हम तत्काल उनको हटाये देते हैं। अब परसों तक की खबर है कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ ३ दिन ही हुये हैं कोई सूचना नहीं है। तो बिना इन बातों की जांच किये, बगैर किसी बात के साबित हुये, बगैर मालूम हुये कि किसका कसूर है मुझे तो इतनी आजादी नहीं है जितनी कि श्री उमाशंकर को है कि किसी को कसूरवार ठहरा सकूं। किसी को अपराधी कह देना, किसी को कसूरवार कह देना और उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट को दोषी ठहरा देना यह मेरी हिम्मत तो नहीं है उनको और उनके साथियों को स्वतंत्रता के बाद आजादी है कि बगैर किसी अदालत के फैसले के जिसको चाहें अपराधी ठहरा दें।

बारबार इसका जिक्र हुआ कि घोर अराजकता है। मैं इसको नहीं मानता हूं क्योंकि अराजकता शब्द का अर्थ समझता हूं। हमने अराजकता नहीं देखी है यद्यपि हमारे देश के कुछ हिस्से में सन् १९४७ में अराजकता रही थी कुछ समय तक, और दुनिया के दूसरे कुछ मुल्कों ने भी अराजकता देखी है लेकिन इस सदन में जिन जिलों के लिये कहा जाता है कि घोर अराजकता वहां है और घोर अंधेर है वहां के लोग भी इस बात के लिये राजी नहीं हो सकते कि वहां से पुलिस को हटा दिया जाय। मैं जानता हूं कि अगर अराजकता देश के किसी कोने में, प्रदेश के किसी कोने में पैदा हो जाय तो किसी स्त्री और पुरुष की इज्जत कैसे ठिकाने रहेगी, किसी की जायदाद कैसे रह सकेगी। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि कहीं-कहीं ज्यादतियां हों, कहीं-कहीं जुल्म होते होंगे और और भी कई तरह की खराबियां होती होंगी जिनका जिक्र यहां पर किया गया लेकिन यह कह देना कि लोग इस बात के लिये तैयार हो गये हैं कि पुलिस को हटा दिया जाय बिलकुल गलत है। मैं मानता हूं निश्चित रूप से परिस्थिति में सुधार हुआ है और जो शख्स भी सच्चाई के साथ निष्पक्षता के साथ देखेगा सारे प्रदेश के देखते हुये उसको इस बात को स्वीकार करना होगा कि पुलिस में इधर कुछ महीने में काफी सुधार हुआ है। लेकिन बात यह है कि अतिरंजित तस्वीर सामने रखी गयी और अतिरंजित तस्वीर के सामने रखने से कोई सुधार नहीं होता और जो सच्ची बात भी होती है वह भी अतिरंजन के अन्दर छिप जाती है। मुश्किल यह है कि जो बात होती है उसको न करके बहुत दफे राजनीतिक उद्देश्य से बातें कही जाती हैं और राजनीतिक उद्देश्य मैं इसलिये कह रहा हूं कि अपना भाषण करते हुये श्री उमाशंकर जी ने कहा कि "अब तो कांग्रेसवाले भी रिश्वत लेने लगे। इस समय पुलिस का बजट पेश था कांग्रेस का बजट तो पेश नहीं था मगर किसी मौके पर माना किसी कांग्रेस वाले ने किसी अधिकारी को किसी को रिश्वत दिलाई या ली तो उसके लिये पूरी संस्था को कहना और उस समय जब उसका कोई अवसर न हो कहां तक उचित है। मैं जानता हूं लेकिन कहना उचित नहीं समझता आजमगढ़ जिले की भी बात जानता हूं कि कौन-कौन पार्टियां हैं किस-किस पार्टियों के कौन-कौन लोग हैं, जो सजायाफ्ता लोगों को प्रश्रय देते हैं मैं जानता हूं कि कौन-कौन से लोग हैं, कौन-कौन सी पार्टियां हैं, जो हिस्ट्रीशीटरों को प्रश्रय दिया करती हैं। जो मुकदमों को बनाने में मुकदमों की गवाहियां ठीक करने में और बिगाड़ने में लगी हुई हैं और कौन पार्टी क्या करती है लेकिन मैं इस तरह की बातें कहने का साहस नहीं कर सकता। जैसा उमाशंकर जी ने कहा कि "अब तो कांग्रेस वाले भी रिश्वत लेने लगे हैं।" पुलिस को क्रिटिसाइज किया गया होता तो पुलिस की दुरुस्ती होती, लेकिन पुलिस तो एक बहाना है। चूंकि पुलिस गवर्नमेंट का एक अंग है और गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है लिहाजा उनको बहाना ढूंढना चाहिये जिससे कांग्रेस को बदनाम किया जाय, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाय तो जहां इस उद्देश्य से बात की जाय तो अगर सच बात भी है तो भी इस तरह से उस बात का असर

जाता रहता है, क्योंकि निश्चय करना मुश्किल हो जाता है कि एक रुपये में कौन सी पाई गलत है और कौन सी पाई सही है। मैं मजबूर हूं बावजूद इस बात की कद्र करते हुये भी कि उनको मेरी विद्या का लिहाज है और इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हुआ भी मजबूर हूं कि जिन बातों को उन्होंने कहा उनमें से किसी एक को भी स्वीकार नहीं कर सकता और मैं मजबूर हूं जो नेक सलाह उन्होंने दी है उसको मैं नहीं मान सकता और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस कटौती के प्रस्ताव को अगर उसको वोट के लिये रखा गया तो अस्वीकार करेगा और जो मांग मैंने पेश की है उसको स्वीकार करेगा।

श्री उमाशंकर––उपाध्यक्ष महोदय माननीय गृह मंत्री जी की बात मैंने सुनी जो उन्होंने मऊ की घटना के बारे में कही।

श्री उपाध्यक्ष––मैं समझता हूं कि एक मिनट में आप समाप्त कर देंगे क्योंकि इस अनुदान का समय समाप्त हो गया है।

श्री उमाशंकर––माननीय गृह मंत्री ने बताया कि [illegible] है, लेकिन मैं तो वहां उपस्थित भी नहीं था और जो वाकयात इस सदन में [illegible] बतलाये हैं उन्हीं का हवाला देते हुये मैंने कहा है कि कानून की किसी किताब में यह नहीं लिखा हुआ है कि जनता की अदालत में कोई मुलजिम पेश किया जाता हो, लेकिन सुपरिंटेंडेंट पुलिस, आजमगढ़ ने तथा कथित जनता की अदालत में मुलजिम को पेश करके सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगाया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––मैंने यह नहीं कहा था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने सुपरिंटेंडेंट पुलिस, आजमगढ़ से कहा कि मुलजिम को कोर्ट आफ दी पीपुल्स के सामने पेश किया जाय और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।

श्री उमाशंकर––जब कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने यह मांग की तो सुपरिंटेंडेंट पुलिस आजमगढ़ ने लाकर कोर्ट आफ दी पीपुल्स के सामने खड़ा कर दिया और तब यह सारा कांड हुआ। यह बात सही है और इसके लिये मैं चैलेंज कर सकता हूं कि किसी मैजिस्ट्रेट को भेज कर एंक्वायरी करा ली जाय कि यह कहां तक सही है या नहीं? अगर कमलापति जी से लोगों से बातचीत हुई होगी तो उनको भी यही बात मालूम हुई होगी।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७–लेखा शीर्षक २९–पुलिस में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७–लेखा शीर्षक २९–पुलिस के अन्तर्गत १८,२३,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८–शिक्षा–लेखा शीर्षक ३६–वैज्ञानिक विभाग और ३७–शिक्षा के अन्तर्गत ६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय। उसका विवरण तो इसमें दिया हुआ है और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में यदि आवश्यकता होगी तो मैं बाद में कुछ कहूंगा।

श्री रामेश्वर लाल—माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १८ के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। श्रीमन, अगर हम अनुदान संख्या १८ को देखें तो इसमें विभिन्न मदों में सदन से रुपये मांगे गये हैं जैसे प्रांत के ५१ प्राइमरी शिक्षा और ५१ हायर सेकेंड्री स्कूलों को सुसज्जित करने के लिये और वहां के अध्यापकों को गुरू का स्थान दिलाने के लिये रुपयों की मांग की गई है। स्काउट आर्गनाइजेशन को बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के लिये १० हजार रुपये की मांग की गई है। लखनऊ शहर में म्युनिसिपैलिटी में अनिवार्य शिक्षा के लिये रुपयों की मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे बजट को ध्यान से देखा जाय तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस बजट में जो सबसे कम पैसा खर्च किया गया है वह शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से हमारा प्रांत कितना बढ़ा हुआ है, जब हम उधर गौर करते हैं तो शर्म से मस्तक झुक जाता है हम जब जानते हैं कि यू० पी० से पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेश के इलाकों में ज्यादा शिक्षा है तो हमें थोड़ा उनके सामने मस्तक को झुका देना होता है। हमारी शिक्षा का प्रतिशत १०.६ अपने देश में है और यदि हम अपने प्रदेश की स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में ध्यान दें तो देखेंगे कि वह ३.९ प्रतिशत है। अगर हम आबादी के दृष्टिकोण से भी अपने देश के अन्य सूबों की शिक्षा व्यवस्था की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जायें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मद्रास में जब कि उनकी आबादी ५ करोड़ के लगभग है १७ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा पर व्यय होता है, बिहार में जब कि उनकी आबादी ४ करोड़ से कुछ ऊपर है ११ करोड़ रुपये के करीब प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय होता है और हमारे प्रांत में जब कि हमारी आबादी सवा ६ करोड़ के करीब है, शिक्षा पर कुल १० करोड़ से कुछ ऊपर रुपया खर्च होता है। हम देखते हैं कि हमारा प्रांत आय में, रेवेन्यू में आगे होते हुये भी अन्य प्रांतों के मुकाबिले में शिक्षा पर व्यय कम करता है, स्त्रियों की शिक्षा पर तो विशेष कर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम स्त्रियों की शिक्षा के बारे में विचार करते हैं तो देखते हैं कि बिहार में ४ करोड़ की आबादी में २,२४० स्त्री शिक्षा संस्थायें हैं, आसाम में एक करोड़ की आबादी में १,५८६ स्त्री शिक्षा संस्थायें हैं और हमारे यहां सवा ६ करोड़ की आबादी में कुल २,८३३ स्त्री शिक्षा संस्थायें हैं, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि शिक्षा की बढ़ोत्तरी की तरफ हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। हमने इस बजट में देखा कि ऊंची शिक्षा पर कालेज और यूनिवर्सिटियों के लिये तो रुपया मांगा गया है, लेकिन हमारी प्राइमरी शिक्षा पर हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है। यह तय हुआ था कि ५ महीने का शिक्षा का शुल्क सूखा, ओला और बाढ़ वाले इलाके के विद्यार्थियों के लिये माफ कर दिया जायगा, लेकिन वह अभी तक माफी नहीं मिली। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि कल इस सदन में जब माननीय गेंदा सिंह जी भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ५० प्रतिशत लोग हमारे जिले में और पूर्वी जिलों में एक वक्त भोजन करते हैं और २० हजार के करीब ५ आने रोज की मजदूरी पर काम करते हैं तो उन्होंने उस तरफ के सदस्यों ने इसका विरोध किया था। इस विरोध का एक मात्र कारण मैं यही समझता हूं कि शायद हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी यह समझते होंगे कि वहां पर सूखा, ओला और बाढ़ से कोई क्षति नहीं हुई है और वहां गरीबी नहीं है और इसीलिये हमें वह सुविधा नहीं मिली है जो कि मिलनी चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री अपने डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह माननीय गेंदा सिंह जी की बात की पुष्टि के लिये स्वयं वहां जायें, पूर्वी जिलों में जायें जहां कि विद्यार्थियों के नाम शिक्षा संस्थाओं से इसलिये कट गये हैं कि वे फीस नहीं दे पाये जहां आधे आदमी एक वक्त भोजन पा रहे हैं और वहां की फसल बरबाद हो गई है, मुख्य मंत्री जी जांच करें और उनको सुविधा देने की व्यवस्था करें। सरकार ने जो घोषणा की थी पांच महीने की फीस माफ करने की वह वहां के विद्यार्थियों के लिये माफ की जाय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस पर, जेल पर जब ज्यादा से ज्यादा रुपया फूंका जा रहा है तो शिक्षा पर क्यों नहीं व्यय किया जाता? प्राइमरी शिक्षा की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जाता? मैंने देखा है कि सम्पूर्णानन्द जी जब शिक्षा मंत्री थे तो आधा सहायता स्कूल के मकानों को बनाने के

लिये सरकार की तरफ से मिल जाती थी लेकिन मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी के शासन काल में वह सहायता शिक्षा संस्थाओं को नहीं मिल पा रही है। आज हमारे विद्यार्थी बरसात के ५ महीने पेड़ों की छाया में बैठ कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सरकार को उधर ध्यान देना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा का संबंध ज्यादातर देहात के गरीब किसानों से है और अगर हमें उनकी हालत को अच्छा करना है, उनकी गरीबी को दूर करना है तो हमें प्राइमरी शिक्षा और मिडिल क्लासेज की शिक्षा को निःशुल्क करना चाहिये। क्या वजह है कि वह निःशुल्क नहीं हो रही है? जब हम से कर लिया जाता है, हम कर से लदे हुये हैं तो ऐसी हालत में सरकार के लिये लाजमी है कि सरकार हमारी अपर प्राइमरी और मिडिल क्लास तक शिक्षा मुफ्त कर दे। और मैं और भी कहना चाहता था, लेकिन चूंकि लाल बत्ती जल चुकी है, इसलिये सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शिक्षा मंत्री मिडिल क्लास तक शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क करने का आदेश दे दें।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य——माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस ग्रांट के जरिये से कुछ चुने हुये हायर सेकेंड्री स्कूलों के सुधार के लिये रुपया मांगने की व्यवस्था की गई है। मेरे जिले में एक स्कूल है उसके लिये १० हजार रुपये की जाने किन-किन मदों पर एक ग्रांट दी गई थी और उस रुपये का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया। चुनान्चे आडिटर ने जब जांच की तो उस १० हजार रुपये की बाबत गल्तियां मिलीं। उसने एक नोट लिखा। स्कूल के अधिकारियों ने दबाव डाला आडिटर के ऊपर कि वह नोट निकाल दिया जाय। लेकिन वह राजी नहीं हुआ। तो उस आडिटर को रिश्वत के मामले में फंसाने का जाल बनाया गया और वह जिस वक्त चौरास्ते पर जा रहा था तो उसकी जेब में १०० रुपये डाले गये थे और वह गिरफ्तार हुआ, मुकद्दमा चला और जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि यह बिलकुल जाल बनाया गया। आडिटर जब नहीं राजी हुआ तो फंसाया गया और चौरस्ते के ऊपर उसकी जेब में रुपया डाला गया और यह भी लिखा कि शिक्षा विभाग को यह तजवीज भेज दी जाय और उस रुपये की बाबत शिक्षा विभाग मुनासिब कार्यवाही करे। लेकिन मैंने डाइरेक्टर महोदय से यहां कहा भी था कि ऐसी-ऐसी बात है क्या कार्यवाही हुई। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा उस १० हजार रुपये की बाबत कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो यह जो चुने हुये स्कूलों को ग्रांट की बाबत है अगर ऐसे ही स्कूल चुने जायं कि वहां रुपये का दुरुपयोग हो, उनके फरनीचर वगैरह के लिये रुपया दिया जाय और उसके बाबत जब कोई गड़बड़ी सरकारी मुहकमें की तरफ से प्रकाश में लायी जाय तो कोई कार्यवाही भी न हो, तो यह मुनासिब चीज नहीं है और ऐसी शिक्षा के ऊपर से भी जनता की आस्था उठती है और फिर टीका टिप्पणी करने का मौका सरकार के ऊपर भी होता है कि इस तरह का ग्रांट क्यों दे दी जिस पर आक्षेप हो। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन सब बातों का ध्यान होना चाहिये ग्रांट मांगने के वक्त। तो स्कूल जब चुनने हों बहुत सोच समझकर स्कूल चुने जायं और ऐसे न चुने जायं जहां पैसे का दुरुपयोग हो और जो उसके अधिकारी हों उनको इस बात का फख्र न हो कि मेरा कोई अधिकारी क्या बिगाड़ सकता है।

श्री हरगोविन्द सिंह——श्रीमन्, श्री रामेश्वर लाल जी ने ऐसे प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयत्न किया, जो मेरी समझ में इस समय नहीं होना चाहिये था। अभी तो बजट के सिलसिले में यह बातें कही जा सकती थीं। मैं तो यह समझता था कि जो अनुदान की व्याख्या दी हुई है उसी के सम्बन्ध में कुछ कटौती के प्रस्ताव की ओर विवाद किया जायगा। उन्होंने यह कहा और प्रान्तों की अपेक्षा हमारे प्रान्त में शिक्षा पर व्यय कम है। मैंने इसको देखने का प्रयत्न किया और मुझे यह मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान के और बहुत से जो प्रान्त हैं वहां शिक्षा सम्बन्धी व्यय हमारे प्रान्त से अधिक शायद ही कहीं हो? लेकिन बजट के अनुदान से यह जरूर हमारे प्रान्त में जाहिर नहीं होता और उसका कारण यह है कि और प्रान्तों में जितना भी खर्चा शिक्षा सम्बन्धी है वह एक अनुदान के अन्तर्गत होता है। हमारे यहां इंजीनियरिंग इसमें नहीं है, मैडिकल इसमें नहीं है, आयुर्वेदिक इसमें नहीं है, टेकनिकल इसमें नहीं है। यह केवल

[श्री हरगोविन्द सिंह]

खाली जो एजुकेशन में युनिवर्सिटीज, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंड्री एजुकेशन है, इतने से ही इसका सम्बन्ध है और इस कारण यह संख्या देखने में कम मालूम होती है। लेकिन यदि मेडिकल का भी आयुर्वेद का भी, टेकनिकल का भी और इंजीनियरिंग का भी सब इसमें जोड़ दिया जाय जैसा कि प्रायः सभी प्रान्तों में किया जाता है तो हमारा अनुदान भी शिक्षा का इतना बढ़ सकता है कि वह शायद कुल बजट का १८ या १९ प्रतिशत पड़ता है। तो इस कारण यह कहना कि हमारे प्रान्त में शिक्षा पर कम व्यय होता है, मैं समझता हूं कि बहुत सत्य नहीं है। प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में भी रामेश्वर प्रसाद जी ने कहा कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं भवन को यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में २७ जिले ऐसे हैं जो कि प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से सेचुरेटेड कहे जाते हैं। सेचुरेटेड का अर्थ यह हुआ कि जिस योजना के अनुसार वह स्कूल खोले गये थे कि किसी बालक को अपने घर से एक मील से अधिक न जाना पड़े किसी प्राइमरी स्कूल के लिए तो इस प्रकार के हमारे यहां २७ जिले हमारे प्रान्त में हैं जहां कि प्राइमरी शिक्षा की दृष्टि से अब यह व्यवस्था हो गई है कि किसी बालक को अपने घर से एक मील से अधिक प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के लिये नहीं जाना पड़ता। तो इस कारण यह तो नहीं कहा जा सकता कि इधर ध्यान नहीं है। हां, जो दूसरे जिले हैं उनमें भी क्रमशः इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि वहां भी ऐसी व्यवस्था हो जाय। इधर दो तीन वर्षों में पहाड़ी इलाके में या दुद्धी के या और ऐसे जो पिछड़े इलाके थे जहां कि शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था वहां तो प्राइमरी स्कूल्स खोले गये लेकिन और जगहों में नहीं खोले गये। उसका कारण एक तो यह था धनाभाव और दूसरे यह था कि जो स्कूल खुल गये हैं उनकी व्यवस्था भी ठीक हो जाय, उनकी सज्जा और सामग्री भी ठीक हो जाय। तो उस ओर तो प्रयत्न किया ही जा रहा है।

स्त्री शिक्षा के बारे में भी आपने कहा कि यहां स्त्री शिक्षा के लिए संस्थाओं की कमी है। तो हमारे यहां प्राइमरी सेक्शंस में बच्चे और बच्चियां दोनों ही पढ़ती हैं। तो प्राइमरी सेक्शंस में तो हमारे यहां स्त्री शिक्षा के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है, वह हर एक जगह बच्चे और बच्चियां साथ-साथ पढ़ती ही हैं। ऐसे स्कूल्स जहां प्राइमरी सेक्शंस में स्त्री शिक्षा अलग है, उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि अपेक्षाकृत हमारे प्रान्त में उनकी शिक्षा का कम प्रबन्ध नहीं है।

आडीटर्स की निस्बत द्वारका प्रसाद जी ने ध्यान आकर्षित किया। मैं भी कम से कम उस आडीटर के बारे में जानता हूं और इस भवन के और सदस्य हैं जिनका कि स्कूलों से सम्बन्ध है, उन्होंने भी कई दफा कहा कि यह आडीटर रिश्वत लेता है, मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, इतना जरूर है कि मैं एक दफा जौनपुर गया था तो पं० भगवती दीन तिवारी, जो कई स्कूलों के मैनेजर हैं, और जिस स्कूल की निस्बत कहा जाता है उसके भी वह मैनेजर हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे सब स्कूलों के बारे में यह आडीटर रिश्वत मांगता है और कहता है कि मैं हिसाब नहीं पास करूंगा जब तक कि हमको रिश्वत नहीं दोगे। हमारे स्कूल के क्लर्क आकर मुझसे इस तरह कहते हैं। उसी वक्त मैं आ रहा था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुझे पहुंचाने आये थे, तो उसी वक्त मैंने उनसे कहा कि यह मुझसे शिकायत की गई है, यह साहब हैं और इसका इन्तजाम करके पकड़वा दीजिए आडीटर को, और दूसरे रोज वह पकड़े गये। अब मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच होने के बाद उसमें क्या फैसला होता है, यह दूसरी बात है। यह हो सकता है, उसमें त्रुटियां हों। लेकिन मैं समझता हूं कि उनका यह ख्याल गलत है कि किसी स्कूल को १०,००० रुपया अनुदान दिया गया था फर्नीचर के लिए। मैं इतना और कह

सकता हूं, साथ ही कि किसी स्कूल को दो हजार या एक हजार से अधिक फर्नीचर के लिए ग्रांट दी गयी यह उनकी इत्तला गलत है और जब हमारे पास जजमेंट आयेगा तो देखेंगे, लेकिन उसमें इतनी इत्तला तो व्यक्तिगत तरीके से मुझको अनुभव है। लेकिन फैसला क्या हुआ? यह तो मैं जानता हूं कि वह छोड़ दिया गया, यह ठीक है, लेकिन उसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप बिल्कुल निराधार था और इस कारण लगाया गया। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि भवन इस अनुदान को पास करेगा।

श्री रामेश्वर लाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भाषण इस पर विशेष नहीं करना है। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान एक तरफ दिलाने की कोशिश की थी जिसमें मैंने चाहा था कि कुछ सुविधाएं और मिल जायंगी। एक तो यह बात कि जो हमारे विद्यार्थियों को आश्वासन दिया गया था सूखा और बाढ़ के इलाके में ५ महीने की फीस माफ कर दी जायगी, उस पर हमारा दावा है कि कोई रिआयत अभी तक नहीं मिली और उस पर माननीय मंत्री जी को बोलना चाहिये था। और एक और भी निवेदन करना चाहूंगा कि स्काउट असोसियेशन को रुपया देने की बात है, उसमें मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसी आर्गेनाइजेशन है कि जिसमें किसी भी पार्टी की बू बास नहीं है और वह स्वतंत्रता पूर्वक देश के हित का काम करने का दावा करती है। तो पुलिस और सी० आई० डी० के लिए जितने शिक्षित लोगों की जरूरत हो उसके लिए श्रेय उन्हीं में से देना चाहिये और उनमें से उन लोगों को लेना चाहिये। सिर्फ रुपया देने से ही उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

मैं इन शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८-लेखा शीर्षक ३६-वैज्ञानिक विभाग और ३७-शिक्षा के अन्तर्गत ६०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत ८,७८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९-लेखा शीर्षक ३८-चिकित्सा के अन्तर्गत ८,७८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जन स्वास्थ्य

श्री बलदेव सिंह आर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०-लेखा शीर्षक ३९-जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास और खोज तथा अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक—४० कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ८,२७,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सुविधाजनक होगा अगर आप दूसरी मांग भी इसी समय उपस्थित कर दें।

श्री हुकुम सिंह—मैं गवर्नर महोदय से सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन—लेखा शीर्षक ४०—कृषि के अन्तर्गत ११,११,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४—५५ के लिये स्वीकार की जाय।

इस सम्बन्ध में दोनों मांगों के लिये केवल १५ मिनट मुकर्रर किये गये हैं। मैं इसमें ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूं। यह मेरे लिये नया विभाग है इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मित्र जो सुझाव देंगे उससे मैं फायदा उठाने की चेष्टा करूं। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि वाल्यूम १ में इन दोनों मांगों के ऊपर विस्तार पूर्वक सब बातें बतला दी गई हैं और हमारे मित्र देख भी चुके हैं। लिहाजा मैं कोई वक्त न लेकर मैं इसको पेश करता हूं। और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २१ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं और अनुदान संख्या २२ में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय, के लिये यह नया विभाग है, लेकिन कैबिनेट की संयुक्त जिम्मेदारी है और बहुत पहले से माननीय मंत्री जी इस मंत्रिमंडल में सुशोभित हैं।

सब से पहली बात तो यह है कि उनके विभाग ने कृषि सम्बन्धी विकास और खोज की बहुत सी स्कीमें चला रखी हैं। हमारे सामने जो यह किताब है उसमें आप देखेंगे कि बुद्धा पैरेजाइटर सेंसर के बारे में तमाम स्कीमें रखी हुई हैं और अब तक जितनी स्कीमें चली हैं उनसे काश्तकार को कोई फायदा नहीं पहुंचा है। यह बुनियादी बात है कि कृषि के विकास के सम्बन्ध में जो खोज की जाय, अन्वेषण किया जाय या रिसर्च की जाय या जो कुछ सर्वे हुआ हो तो उससे काश्तकार को फायदा पहुंचना चाहिये। लाखों रुपयों की स्कीमें चल रही हैं। लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात जो इस अनुदान में है वह बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में, जो तकावी दी है वह २४ लाख रुपये की है। उसमें से एक चौथाई को सबसिडी के रूप में मान लिया गया है यानी ६ लाख रुपया सबसिडी के रूप में मान लिया गया है। माननीय मंत्री जी पूर्वी जिले के रहने वाले हैं इसलिये वहां की परिस्थितियों से वह भली-भांति परिचित हैं। यह चौथाई जो सबसिडी मंजूर की गई है यह बहुत ही कम है। वहां की परिस्थितियों को देखते हुये कम से कम आधी तो सबसिडी मान लिया जाना चाहिये। यह तो मैं बहुत कम कह रहा हूं और इससे भी ज्यादा की जरूरत है। लेकिन जो चौथाई सबसिडी मानी गई है वह तो स्थिति से एक विपरीत बात है।

जहां तक ऐग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और कोलोनाइजेशन का सम्बन्ध है, मुझे स्टेट ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा शिकायत है। मैं चाहूंगा कि इसको सेंट्रल आर्गेनाइजेशन से मिला दिया जाय। यह जो अलग-अलग विभाग के पास अलग-अलग ट्रैक्टर्स हैं, यह ठीक नहीं है। इससे ट्रैक्टर्स की व्यवस्था में बदइन्तजामी होती है और इसके अलावा धन का भी दुरुपयोग होता है। सेंट्रल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन और प्राविंशियल ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन, इन दोनों का एक सम्मिलित वर्कशाप हो तो पैसे की काफी बचत होगी और एक केन्द्रित वर्कशाप में जहां भी ट्रैक्टर्स की आवश्यकता होगी वहां आसानी से भेजे जा सकेंगे।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि जो अमाउंट को रेग्यूलेराइज किया गया है उनमें एक तो ८४,००० रुपये की रकम है जिसके लिये भारत सरकार ने गत वर्ष नामे की धनराशि नहीं बताई। दूसरी रकम १,६३,००० की है। यह तेल और रेल के भाड़े के सम्बन्ध में क्रेडिट नोट है जिनका समायोजन महालेखापाल ने अभी तक नहीं किया है। इसमें एक तो वित्तीय गलती है कि पिछले साल का पेमेंट अब कर रहे हैं। यह इस बात को साबित करता है कि आपके विभाग की यह फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी है।

दूसरे वर्कशाप के बारे में आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ९,१७,००० रुपये की कमी पड़ रही है। समय बहुत कम है। आपके वर्कशाप्स की जो मुझे जानकारी मिली है उनसे साबित होता है कि उनका इन्तजाम ठीक नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष में इसके प्रबन्ध को ठीक करने की चेष्टा की गई है। लेकिन अभी तक एक ही इन्तजाम दुरुस्त हुआ है वह यह है कि इन ट्रैक्टरों को बहुत कम कीमत पर बेंचा जाय। मुझे जो सूचना दी गई है उसके अनुसार यह पता चला है कि दो तिहाई ट्रैक्टर्स बेचे जा चुके हैं। अगर कोई व्यवस्था इस सम्बन्ध में हुई है वह यह है कि उनको बहुत कम कीमत पर बेंचना। तो इस स्टेट ट्रैक्टर्स आर्गेनाइजेशन की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

अब इसमें लखीमपुर खीरी जिले में कालोनाइजेशन स्कीम की बात रखी गयी है कि वहां पर कालोनाइजेशन योजना बनायी जायगी और भूमिहीनों को और ऐग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स को जमीनें दी जायंगी। योजना तो अच्छी है लेकिन जैसी तराई में आपकी योजना हुई अगर वैसी ही होगी तो यह जरूर असफल रहेगी। मैं चाहूंगा कि तराई की योजना चालू करने के सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त हुये हैं उनका पूरा-पूरा फायदा इसमें उठाया जाय। इसमें लिखा है कि एक हजार रुपये की लागत के मकान दिये जायंगे। मैं तराई गया हूं और शायद श्रीमन्, आप भी गये हों, एक हजार रुपये की लागत के क्या क्वार्टर बनेंगे? वहां राजनीतिक-पीड़ितों को आपने एक कमरे का क्वार्टर दिया है। अब कहां पर वह खाना बनायें, कहां पर अपने बच्चों को रखें, कहां पर अनाज को स्टोर करें? उनमें एक छोटा-सा डेढ़ गज का बरामदा है और एक कमरा है। तो अगर उनसे आप कह दें कि हम तुम्हें एक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हजार रुपया देंगे और झोंपड़ी बनाने के लिये सुविधायें देंगे तो वे अच्छा बना लेंगे। और दो कच्ची और एक पक्की ईंट का फार्मूला जो ठेकेदारों ने तराई कालोनाइजेशन में किया है वह नहीं होना चाहिये। इसमें पूरी स्कीम तो नहीं दी हुई है लेकिन जो इस नोट में लिखा है अगर यही रूपरेखा रही तो यह जरूर असफल होगी। समय की कमी की वजह से इन थोड़े से सुझावों के साथ, जिनको माननीय मंत्री जी अवश्य रचनात्मक सुझाव मानेंगे, मैं इस टोकेन कटौती को मूव करता हूं।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र नारायण दत्त जी को इस बात की शिकायत है कि खोज की जो योजनायें हुईं उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। शायद उनका यह ख्याल है कि आज हम खोज शुरू करें और कल नतीजा बरामद हो जाय। ऐसी खोजें हैं जिनमें दस-दस वर्ष लगते हैं तब नतीजा बरामद होता है। इसलिये जब मुकम्मिल होकर फाइनल रेजल्ट हो जाय और उसमें जरा भी कोई शक शुभा बाकी न रह जाय तभी किसानों को बतायेंगे वरना अधूरी बातें बता कर नुकसान होने का अन्देशा रहता है। कांग्रेस सरकार हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि हम ऐसी बातें किसानों को बतायें जिससे उनका फायदा हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--कोई खोज हुई?

श्री हुकुम सिंह--बहुत सी खोजें हुईं। जो हो चुकी हैं उनको हम बताते भी रहे हैं। जो अभी मुकम्मिल नहीं हो पायीं उनका बताना कब्लअजवक्त है इसलिये बजाय फायदे के नुकसान होने का अन्देशा है।

सबसिडी के बारे में उन्होंने कहा। २४ लाख रुपये बांटे गये। ग्रेटुइट्स रिलीफ की शक्ल में भी, तकावी की शक्ल में भी और बीज के लिये भी। मैं समझता हूं कि वहां के लोग जहां रुपया बांटा गया है बड़े मुतमय्यन हैं इस बात से। शायद हमारे मित्र को इस बात की खबर नहीं है। १/४ जो सबसिडी दी गयी है यह किसी तरह से नाकाफी नहीं है। इसमें किसी को शिकायत भी नहीं है। यह पहली शिकायत मुझे आज यहां सुनाई पड़ी, और किसी किसान ने तो शिकायत की नहीं।

एक सुझाव हमारे मित्र का है ट्रैक्टर्स के आर्गेनाइजेशन के बारे में। अनुभव जाती हो या न हो लेकिन कुछ इत्तलात पर उनको कुछ शिकायत है। सरकार ने इसको जो मौजूदा शक्ल में कायम किया था तो कुछ सोच समझ कर कायम किया था और जब नई बातें की जाती हैं तो उसमें कुछ ग़लतियां भी होने की सम्भावना रहती है। यह जब आर्गेनाइजेशन बना तो ग्रो मोर फूड का जमाना था, खाद्य-पदार्थों की कमी थी, नई जमीनों को जोत कर उनमें अन्न उपजाने की समस्या हमारे सामने आयी थी। हमारे पास उस वक्त ५१५ के करीब ट्रैक्टर थे। अव्वल तो बहुत हद तक हमारी तराई और बंजर एरिया की स्कीम पूरी हो चुकी है। अब सरकार उनके बारे में फिर विचार कर रही है और इनका री-आर्गेनाइजेशन करके उनकी एफिशेन्सी को बढ़ाना चाहती है। हमारे यहां एक कमेटी पहले से कायम हो चुकी है। जगन प्रसाद जी रावत, डिप्टी मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हैं और उसमें चीफ इंजीनियर और इर्रीगेशन के चीफ इंजीनियर, कई एक्सपर्ट्स भी उसके सदस्य हैं। उनकी रिपोर्ट का हमें इन्तजार है। रिपोर्ट के आने के पहले भी ट्रैक्टरों की तादाद बहुत कम कर दी गयी है। इस वक्त जहां तक मुझे याद है लगभग ९० ट्रैक्टर इस आर्गेनाइजेशन में हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--वाइंड अप कर रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—वेट ऐंड सी। रिपोर्ट आने दीजिये। मैंने एक कमेटी कायम की है। जो वह सुझाव देंगे उस पर सरकार विचार करेगी और अगर उनका सुझाव यही है कि वाइंड अप कर दिया जाय, आपकी राय से इत्तफाक करके, तो उस पर गौर किया जायगा। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो रिपोर्ट आये उसी को बिलकुल डिटो कर दिया जाय। सरकार उसके प्रास ऐंड कांस पर विचार करके फैसला करेगी।

यह जो ख्याल है कि सेंट्रल आर्गेनाइजेशन में सब मर्ज कर दिये जायं यह इतना आसान नहीं है। ऐसा करने में खतरे नजर आते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाय, हम दूसरे ही राह देखते रहें और हमें मौके पर न मिले और ट्रैक्टर की सर्विस मिलने में दिक्कत हो तो हमारे काम में बाधा पड़ सकती है। तो इस वक्त मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इन सब को सेंट्रल आर्गेनाइजेशन में मर्ज कर दिया जाय। लेकिन फिर भी यह सवाल ऐसा है जिस पर विचार किया जा सकता है।

हमारे मित्र ने एक बात यह बतायी कि तराई की जो कालोनाइजेशन की स्कीम है उसमें एक तो हमारे मित्र को उनके मकानों पर एतराज है यह भी एक ऐसी चीज है जिस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ फाइनेंशल पोजीशन हमको देखनी पड़ेगी। जितनी हमारी चादर होगी उतने हम पैर फैलायेंगे। हमारे मित्र अगर चाहेंगे कि बहुत ज्यादा पैर फैला दें तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। जिन बेचारों के लिए जरा भी छाया या आश्रय नहीं है अगर हम उनको एक कमरे का मकान और छोटा-मोटा बरामदा बना कर दे दें और उसके करीब में कुछ छप्पर वग़ैरह का शेड डालकर के वह अपनी गुजर करें तो यह बात उसके मुकाबले में कि वह मैदान में पड़े रहें उनको कोई प्रोटेक्शन न हो, उससे बेहतर ही है। मैंने तराई में भी देखा कि जो पूर्वी बंगाल के शरणार्थी आये हैं और ऐसे मकानात बनाये गये हैं उनको बहुत कुछ आराम है उन मकानों में, हां दारुलशफा का ऐसा आराम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उनके बच्चों के बैठने के लिए जगह है। हां, एक कच्ची या पक्की ईंट के मैं बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि इस बारे में मेरा भी अनुभव बड़ा खराब है। इस पर हम सोचेंगे और देखेंगे कि कहां तक सहूलियत पहुंचा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि सदन इन दोनों मांगों को स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तुत दोनों अनुदानों के अन्तर्गत एक एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—लेखा शीर्षक ४०—कृषि सम्बन्धी विकास और खोज के अन्तर्गत ८,२७,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—लेखा शीर्षक ४०—कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन के अन्तर्गत ११,११,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा

श्री हुकुम सिंह—श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४१—पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

श्री जगमोहन सिंह नेगी—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ४१ के अन्तर्गत ७,०२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २४ के अन्तर्गत समस्त अनुदान के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। इसमें एक स्पष्ट गलती दिखाई दे रही है और वह यह है कि गंगा ग्रिड डिप्रिसियेशन के लिये २ परसेंट के हिसाब से जो १३ लाख रुपये पारसाल रखे गये थे उसकी आवश्यकता किस प्रकार से पड़ी इसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण इसके अन्दर नहीं दिया गया है, क्योंकि यह तो बिलकुल कैलकुलेशन की बात है। गंगा ग्रिड में कितना कैपिटल लगा है और किस प्रकार से उसका हिसाब आता है तो फिर उसमें यह ४ लाख की कमी कैसे रह गयी? किस प्रकार से यह कैलकुलेशन की गलती हुयी तो यह चीज मैं जानना चाहता था कि माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें।

दूसरे ट्यूबवेल को पावर देने के संबंध में अनुदान मांगा गया है। आगे चल कर इस संबंध में कहा गया है कि मऊ, सोहावल और मैनपुरी में बिजली स्टेशन बनाने के लिये अनुदान मांगा गया है। पिछले साल के बजट में भी रुपया मांगा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह ९९५ ट्यूबवेल जो बनाये जा रहे हैं और जिनको बिजली देने की बात है उनको आज तक बिजली देने में देर क्यों हुई, जब कि बराबर सरकारी रिपोर्ट में इस बात की घोषणा की जाती है कि इनको बिजली देने की योजना अगर उन रिपोर्ट के आधार पर बनायी गयी है तो आज से २ साल पहले उनको बिजली मिल जाती।

दूसरी बात यह है कि स्टीम पावर के जरिये से इनको बिजली जो दी जायगी वह बहुत महंगी होगी और उसके फलस्वरूप इन ट्यूबवेल से मिलने वाला पानी भी इतना महंगा होगा कि शायद किसान उतनी कीमत को और उतने करों के आधार पर पानी न ले सकें। अगर सरकार को अपने आंकड़े याद हैं तो मालूम होना चाहिये कि ट्यूबवेल से सरकार को होने वाली आय हर साल घट रही है ट्यूबवेल तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनसे होने वाली आमदनी घट रही है। पिछले साल के बजट के अवसर पर भी हमारी तरफ से इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे कि किस प्रकार से खासकर पूर्वी जिलों में और दूसरे जिलों में ट्यूबवेल के बढ़ने के बावजूद भी ट्यूबवेल से होने वाली ग्रोस और नेट की आमदनी घटी है और इसका क्या कारण है। ट्यूबवेल से मिलने वाला पानी सस्ता नहीं पड़ता है; इस संबंध में सरकार को अपनी नीति निश्चित रूप से बनानी चाहिये या सरकार सबसिडी देकर उस घाटे को बरदाश्त करे लेकिन वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं स्टीम पावर के जरिये से बिजली दी जाय और पूर्वी जिलों के काश्तकार उस बिजली के ट्यूबवेल से पानी प्राप्त करें। तो मैं समझता हूं कि यह योजना सफल होने वाली नहीं है। आप ट्यूबवेल बना लें और उनको बिजली भी देदें लेकिन काश्तकार उसको लेने वाले नहीं हैं। इसलिये इस संबंध में एक स्पष्ट नीति निर्धारित होनी चाहिये यह मेरा प्रस्ताव है।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पंडित नारायण दत्त जी तिवारी ने प्रश्न उठाया है उसके बारे में मेरा कहना है कि उनको यह तो मालूम ही हो गया होगा कि अकाउन्टेंट जनरल ने सही फिगर्स बाद को भेजी थीं। १३ करोड़ का अनुदान था तो ए० जी० ने १६ करोड़ का कैपीटल आउट ले बतलाया। इस अन्तर के कारण पूरक मांग यह धनराशि मांगी जा रही है।

दूसरी बात जो उन्होंने बतायी वह यह कि पिछले साल जो रुपया था वह खर्च क्यों नहीं हुआ और अब फिर दुबारा क्यों रुपया मांगा जा रहा है। पिछले साल कांसट्रक्शन के लिये रखा गया था, वह मेंटेनेन्स के लिये नहीं था। यह तो रखरखाव पर खर्च करने के लिये मांग है।

तीसरी बात उन्होंने यह बतायी कि तैल इंजिन लगाने में बहुत खर्च हुआ होगा। और यह कि वह बेकार होगा। अभी तक तो शिकायत यह हो रही थी कि गवर्नमेंट कुयें बना देती है और उनको बिजली सप्लाई नहीं करती जैसा कि अभी श्री द्वारिका प्रसाद जी मौर्य ने कहा कि जो कुंये बन गये हैं उनसे जल्द से जल्द काम लिया जाय और दूसरी ओर आप ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। अब आपका यह प्रश्न है कि आमदनी कम हो रही है और खर्चा बढ़ रहा है तो यह प्रश्न तो उस समय लिया जायगा जब कि पूरा बजट हमारे सामने आयेगा। इस समय समय कम होने के कारण इन सब बातों पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता। वैसे मैंने आपकी तीनों बातों का जवाब दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ४१ के अन्तर्गत ७,०२,७०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री राम सुभग वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २५ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में केवल थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि शायद बिजली के चकाचौंध में वित्तीय विभाग को कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं ऐस्टीमेट्स कमेटी को धन्यवाद देता हूं जिसके द्वारा हमें कुछ चीजों पर प्रकाश डाले जाने के कारण कुछ पता चल जाता है कि गड़बड़ी कहां है। आजमगढ़ में जो बिजली घर है उसकी ५०-५१ में ४० प्रतिशत यूनिटों की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई और राजस्व में केवल १.५ की वृद्धि हुई लेकिन ५३-५४ में उसमें ३७ लाख का घाटा हुआ। एक ओर तो बिक्री में वृद्धि होती है और दूसरी ओर राजस्व में घाटा होता है यह समझ में नहीं आया।

एक स्टोर पर्चेज सेक्शन है उसके जरिये से सामान खरीदा जाना चाहिये। हाईडल विभाग में ५२-५३ में १ करोड़ ६३ लाख का माल खरीदने का इंडेन्ट रक्खा था और जो आफीसर उसमें खरीद कर रहा था उससे डेढ़ लाख का घाटा हो रहा था लेकिन बाद में स्टोर परचेज डिपार्टमेंट के जरिये से खरीद की गयी तो डेढ लाख रुपये की बचत हो गयी। लेकिन फिर सरकार ने खरीदारी का अधिकार उस सेक्शन को न देकर हाईडल विभाग को दे दिया है जिसके अधिकारी के खरीद करने से सरकार को लाखों रुपयों का घाटा होने वाला था। मैं नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों किया गया। स्टोर परचेज विभाग से खरीदारी का अधिकार लेकर फिर हाइडल विभाग को क्यों दे दिया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिजली का इतना चकाचौंध सरकार की आंखों में हो जाय और अधिकारीगण तेज देखें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने जितनी बातें कहीं हैं उनका कोई संबंध कटौती के प्रस्ताव से नहीं है और न सप्लीमेंटरी डिमांड से ही इसका कोई ज्यादा संबंध है। समय बहुत कम है और मालूम होता है कि बिजली की चकाचौंध में शायद उन्हीं को कुछ भ्रम सा हो गया है। जब पूरा बजट आयेगा तो समय पर उन सब बातों का उत्तर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय जी की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--लेखा शीर्षक ४२--सहकारिता के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७-लेखा शीर्षक ४३-उद्योग के

अन्तर्गत ७,९६,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, अधिकतर इसमें मांगें प्रतीक हैं। केवल एक ही मुख्य मांग है जो चमड़े के विकास के लिये ७ लाख ३० हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह बड़ी मुख्य आवश्यकता है इसलिये इसकी व्यवस्था की गयी है। यह जो रुपये की व्यवस्था की गयी है उसका बहुत ज्यादा संबंध केंद्रीय सरकार की सहायता से है क्योंकि केंद्रीय सरकार से यह सहायता देर से मिली और इनका उपयोग करना था, इसलिये ये योजनायें बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसको सप्लीमेंटरी बजट में लाना पड़ा। यह रुपया हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता के रूप में मिला है इसलिये मैं इसे सदन के सामने पेश कर रहा हूं।

श्री गंगा धर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सप्लीमेंटरी ग्रांट के अन्तर्गत उद्योग विभाग की विभिन्न योजनायें हैं जिनके लिये ७,९६,८०० रु० की मांग की गयी है। जहां तक इन योजनाओं का संबंध है वे सब कल्याणकारी योजनायें हैं और वे औद्योगिक विकास के लिये हैं। जितनी भी योजनायें हमारे सामने हैं उनसे यह मालूम होता है कि सरकार का ध्यान इस ओर तो गया है लेकिन इसमें जो इतनी लम्बी चौड़ी योजनायें हैं उन सब पर इतने अल्प समय में विस्तृत रूप से कुछ कहना असंभव सा है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वह चमड़े के विकास के लिये ही है और उसका वर्णन इस स्मृति-पत्र में मौजूद है। इसके बाद करघा विकास के लिये खादी की तरक्की के लिये देहरादून में रेशम के कीड़ों के विकास के लिये पर्वतीय जिलों में फल संरक्षण के लिये रामगढ़ में डिब्बे वगैरह तैयार करने के लिये प्रबन्ध है क्योंकि उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह भी फलों के लिये डिब्बे तैयार करने में कास्ट बहुत ज्यादा पड़ता है लेकिन उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। माननीय उद्योग मंत्री उस पर ध्यान देंगे। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों के लिये फ्रूट प्रिजर्वेशन आदि विभाग बनाये गये और वह सन ५३ में बना था लेकिन जहां तक इन ४–५ पहाड़ी जिलों गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और टेहरी वगैरा का ताल्लुक है वहां पर सन् ५३ में यह विभाग जारी हुआ जब कृषि मंत्री जी उद्योग मंत्री थे। जब मैंने प्रश्न पूछा था कि जिला गढ़वाल में एजेंसी क्या है? लेकिन इस विभाग को किसी व्यक्ति ने नहीं देखा और उसी वक्त माननीय मदनमोहन जी ने कहा था कि जब तक वहां प्रोडक्शन विभाग नहीं होगा तब तक यूटिलाइजेशन विभाग कैसे होगा? उस जिले की तरफ कभी कोई जा कर देखता ही नहीं, शायद दो-एक व्यक्ति वहां कभी गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि वहां की ४–५ नर्सरीज में एक पेड़ भी नहीं है और किसी भी नर्सरी में पानी या गूल की सुविधा नहीं है। होता यह है कि नर्सरी खोल दी जाती है लेकिन कोई बड़े अधिकारी वहां जा कर नहीं देखते जब कि गढ़वाल जिले का एरिया प्रदेश में सबसे अधिक है और साढ़े पांच हजार स्क्वायर मील का जहां क्षेत्र है, जो कुछ रुपया वहां के लिये रखा जाता है उसका ठीक से उपयोग नहीं होता। मैं यह भी नहीं कहता कि वहां जो अधिकारी जाते हैं वह भी रद्दी हैं, स्कीमें बनती हैं ठीक बनती हैं, लेकिन वह ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। स्कीम आती हैं लेकिन पूरे तौर से देखा ही नहीं जाता कि वहां पानी की और खाद की क्या व्यवस्था है। गुप्त काशी के पास एक नर्सरी है वहां कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सिवा आड़ू के, वहीं एक दूसरे महाशय की प्राइवेट नर्सरी है जहां चेस्टनट पैदा होते हैं और विभाग को बीज वह देते हैं, लेकिन जो सरकार की नर्सरी है वहां पानी नहीं पहुंचता और बहुत सी बातें हैं जिनका मैं आगे बजट के समय अगर मौका मिला तो जिक्र करूंगा।

एक बात का और जिक्र करूंगा और वह यह है कि जो बोर्डर के लोग हैं उनको कुछ रोजगार देने के बारे में कुछ योजनाएं हैं। वह एक छोटी मोटी स्कीम है जिसमें ३ बातें रखी गयी हैं। एक दो बागवानी, फार्म, ऊन इंडस्ट्री और फ्रूट इंडस्ट्री। एक चीज और है जिसको मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। इस पत्र में लिखा है, "इन तीन जिलों में आठों केन्द्र ग्यांग, बागलिंग

[श्री गंगाधर मैठाणी]

और खाती (अल्मोड़ा), जुम्मा मलारी (गढ़वाल), हरसिल, खरसाली या भरासू (टेहरी) में ऐसे स्थानों में जहां पर वर्ष भर कार्य किया जा सकता है, खोले जायंगे।" मैं पूरे बोर्डर तक तो कभी वहां नहीं गया हूं, लेकिन गढ़वाल की सीमा तक अवश्य गया हूं। मैं जानता हूं कि उन स्थानों में लोग १२ महीने नहीं रहते हैं किन्तु यदि व्यवस्था की जाय तो रह सकते हैं, इसलिये उस इलाके लिये जिला गढ़वाल की कोई स्कीम अवश्य होनी चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां तक हिमालय के बार्डर के इस इलाके का और माना घाटे वगैरह का मामला है उसके लिये कोई स्कीम नहीं बनायी गयी और उसका कारण यह है कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं वह वहां तक पहुंचते ही नहीं हैं, शायद कभी कोई गया हो। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि जो लोग वहां बोर्डर पर रहते हैं वह केवल भोटिया लोग ही नहीं हैं बल्कि वहां उनके अलावा और जातियां भी बसती हैं। वहां पर सब चीज मौजूद है, लेकिन खाली जरा उन लोगों को सुविधा देने की आवश्यकता है और वह यहां रखी गयी है, लेकिन जैसा कि मैं ने नर्सरी के विषय में कहा वही बात इस विषय में भी कहूंगा कि वहां जो स्कीम रखी जाती है उस को इम्पलीमेंट करने में सफलता नहीं होती है, क्योंकि विशेषज्ञों का पूरा ध्यान नहीं है। यह जुमा मलारी ही ऐसा स्थान है जहां तमाम प्रकार की सुविधायें हो सकती हैं और जहां लोग १२ महीने रह सकते हैं। किन्तु इस समय रहते नहीं हैं। जब मैं वहां गया था, मैंने उन लोगों से पूछा, वहां दो-तीन सौ वर्ष पूर्व से लोग बारहों महीने रहते थे, लेकिन आज तक तिब्बत की तरफ लोग सुरक्षित नहीं, इसलिये बारहों महीने लोग वहां नहीं रहते हैं तब भी कई ऐसी योजनायें हैं, जैसे ऊन की योजना को ले लीजिये, वह लोग उस पर अच्छा काम अभी भी करते हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण के लिये भी हमको देखना है। इसके साथ ही शिक्षा के सम्बन्ध में और सड़कों के सम्बन्ध में कहना उचित होगा। एक सड़क सरकार ने हरद्वार से बद्रीनाथ तक बनाने की योजना रखी है। किन्तु तीन लाख रुपये रुड़की, जिला सहारनपुर पर खर्च किया जायगा, जो सड़क हरद्वार से बद्री नाथ तक बनने वाली है। पहले हरद्वार से नीति तक बनने वाली थी, लेकिन पता नहीं इसको बद्रीनाथ डाइवर्ट क्यों किया गया? इस पर अधिकारी लोग ध्यान देंगे। वह रुपया जो भारत सरकार से मिला है यहां के बिजली पर खर्च किया जाय। यहां नीति की घाटी और अन्य घाटियों में बिजली की आवश्यकता है पानी वहां पर्याप्त है।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो स्कीमें बनी हैं उनमें बहुत सी घाटियां छोड़ दी गयी हैं। उन घाटियों में मदनेश्वर की घाटी है, रुद्रनाथ की घाटी है, कालीमठ की घाटी है, तुंगनाथ की घाटी है, क्योंकि रुद्रनाथ से मदनेश्वर होते हुये सीधे नीति की घाटी में जाया जा सकता है, इसलिये चूंकि योजनायें बनीं उसको प्रैक्टिकल रूप दिया जाना आवश्यक है जिससे लोगों को वहां आने-जाने में सुविधा मिले और लोगों में आने जाने से कार्य का प्रसार हो और लोगों की बेकारी दूर हो। इसका कारण यह है कि अन्य घाटियों का नीती घाटी से संबंध है। केदार नाथ की घाटी से मध्य माहेश्वर, रुद्रनाथ, कालीमठ और तुंगनाथ की घाटियों से सब रास्ता तिब्बत के मार्ग पर मिलता है। जिसका वर्णन यहां करना मुश्किल है। तो सभी घाटियां मिलिटरी स्ट्रेटेजी के ध्यान से भी और विकास के ध्यान से भी देखना है। एक घाटी के लोगों को केवल खुश करने से उसके लिये काम करने से पूरा विकास नहीं हो पायेगा। इसको अतिरिक्त नीति की घाटी, केदारनाथ की घाटी, मदनेश्वर की घाटी, रुद्रनाथ की घाटी, और वहां कितनी ही ऐसी घाटियां हैं जिनमें सब में नदियां चलती हैं। सबका सम्बन्ध तिब्बत से किसी न किसी रूप में है। यद्यपि मैंने कुछ समय से अधिक ले लिया है लेकिन वहां के लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी क्या वास्तविक आवश्यकतायें हैं उनके लिये मैं प्रदेशीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि एक कमीशन बैठाया जाय और उनकी हालत को देखा जाय। बारबार उनके लिये कहना और भीख मांगना उचित नहीं जंचता है। वे हमारे देश के अंग हैं, और हमारी प्राचीन संस्कृति के अंग हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगा और यमुना का उद्गम स्थान होने के कारण उनकी आवश्यकताओं को देखना और भी आवश्यक है।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान भवन के सामने प्रस्तुत है यह एक बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है, क्योंकि हमारे सारे भारतवर्ष का क्या, प्रान्त का क्या, पर्वतीय प्रदेश का क्या, सभी का भविष्य सिर्फ उद्योग पर ही निर्भर है। मैं कई मरतबे इस भवन के सामने कह चुका कि पर्वतीय प्रदेश की क्या-क्या समस्यायें हैं, और सरकार द्वारा उन पर ध्यान देना क्यों नितान्त आवश्यक है। समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकूंगा, लेकिन जो अनुदान रखा गया है उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूं। पहले अनुदान लोहाघाट में चमड़े के कारोबार के लिये पहले साल पास हुआ था मगर मुझे दुख है कि सरकार एक तरफ तो चमड़े के कारोबार को बढ़ाना चाहती है और इस सदन में जो अनुदान प्रस्तुत है उससे एक तरफ तो यह आयोजन बढ़ाती जा रही है और दूसरी तरफ जो पुराने लोहाघाट जैसे चमड़े के कारोबार चले आते हैं उनको भी सरकार खत्म करना चाहती है। मुझे इसका बड़ा दुख है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लोहाघाट में जो चमड़े का कारखाना पहले से चला आ रहा है उसको और प्रोत्साहन मिलना चाहिये। दूसरे जड़ी बूटियों के लिये भी इसमें आयोजन किया गया है। मुझे बड़ा हर्ष है कि जड़ी बूटियों के लिये जो आयोजना सरकार ने पर्वतीय प्रदेश के लिये बनवायी उसके लिये भी सरकार का आभारी हूं। लेकिन आयोजना में कई किस्म की गलतियां मालूम होती हैं। यह एक नया डिपार्टमेंट सरकार खोलने जा रही है जिसके जरिये जड़ी बूटियों की नर्सरीज बनायी जायंगी। अच्छा होता कि काश्मीर की तरह यह काम फारेस्ट-डिपार्टमेंट को द दिया गया होता। यह इस तरह से एक्नामिकली चलता। काश्मीर में यह होता है जितने फारस्ट रेस्ट हाउसेज हैं उनके चौकीदार हाथ पर हाथ रक्खे बैठे रहते थे, जो फारेस्ट डिपार्टमेंट ने सब रेस्ट हाउसेज के लिये एक एक नर्सरी खोल दी जिनमें चौकीदार यह काम करता है। सरकार का पैसा भी खर्च नहीं होता और जड़ी-बूटियों का काम भी अच्छी तरह से हो सकता है। हमारी सरकार भी इस ओर ध्यान देगी और जितने पर्वतीय प्रदेश के फारेस्ट रेस्ट हाउसेज हैं वहां एक-एक नर्सरी खोलेगी और चौकीदार देखभाल का काम करेंगे। इसमें विकास का काम भी होगा और धन भी बचेगा।

तीसरी बात ऊन के विकास की योजना है। मैं उसके लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि काटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिये, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिये सरकार ३ आने रुपये सरकारी मदद देती है। लेकिन भोट के इलाके में ऊन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कम्बल, पट्टू, गलीचे वहां बनाये जाते हैं। जो जरूरी चीज मैं सुझाव के रूप में सरकार को देना चाहता हूं वह यही है कि इस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया जाय और ३ आने फी रुपया सरकारी मदद भोट के ऊनी वस्त्र में भी मिले।

एक सुझाव मेरा यह है कि खनिज पदार्थों लोहा, तांबा, अभ्रक कई चीजें हमारे पर्वतीय प्रदेश में मिलती हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुटीर उद्योग धंधों के लिये पर्वतीय प्रदेश में कोई भी रुपया ग्रान्ट ऐण्ड लोन के रूप में नहीं दिया जाता। थोड़ा-सा वहां धन मिला, लेकिन उससे कोई प्रोत्साहन खासतौर से नहीं हुआ। जो कुटीर उद्योग पहले से चले आते हैं उनके लिये कोई आर्थिक व्यवस्था न होने से दिन प्रति दिन वे मरते जा रहे हैं। सरकार को जान लेना चाहिये कि उनको टेक्निकल और फाइनेन्शियल हेल्प की अधिक आवश्यकता है। भोट में ऊन का कारोबार बहुत कदीमी है, लेकिन ऊन की क़ीमत इतनी बढ़ गई है कि मिलों के मालिक ज्यादा से ज्यादा कीमत दे कर उसको खरीद लेते हैं और वहां के लोग ऊन का काम नहीं कर पाते हैं और ऊन की कताई और बुनाई का जो काम वहां होता था वह खत्म होता जा रहा है।

अल्मोड़े में टम्टा एक जाति है। वे ताम्बे का काम करते हैं। उनके लिये मैंने कई मर्तबा लिखा कि उनको लोन एंड ग्रान्ट के रूप में कुछ रुपया दिया जाय, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह से रेजिन टैपिंग के काम की ओर भी सरकार ने

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

ध्यान नहीं दिया। अगर रेजिन टैपिंग के काम को सरकार बढ़ाती तो बूट पालिश और वार्निश का काम उन्नति कर सकता है और यह काम पर्वतीय प्रदेश में आसानी से हो सकता है। ऐसे ही स्पोर्ट्स गुड्स और खेल के सामान, ड्रवायज वगैरह भी वहां बनाये जा सकते हैं। लकड़ी वहां से ला कर ये चीजें मैदानी इलाकों में बनायी जाती हैं जब कि उनको पर्वतीय इलाकों में ही बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। खास कर फारेस्ट से ताल्लुक रखने वाले कई काम वहां आसानी से खोले जा सकते हैं, बजाय इसके कि उनको यहां पर लाकर खोला जाय। फर्नीचर की इंडस्ट्री भी वहां अच्छी तरह से चलाई जा सकती है। अगर सरकार इन काटेज इंडस्ट्रीज की तरक्की करना चाहती है तो ग्रान्ट या लोन के रूप में सरकार उनको रुपया दे। इससे बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी। वहां के लोगों के पास पैसा नहीं है, इस तरह से सरकार उनको एम्पलायमेंट भी दे सकती है। इसके लिये यह जरूरी है कि काटेज इंडस्ट्रीज को वहां खोला जाय जिसके जरिये से वे अपनी आजीविका को आजाद मुल्क के नागरिक की तरह निभा सकें और मैं आशा करता हूं कि सरकार जो बागवानी का काम कर रही है उसकी उन्नति पर पर्वतीय प्रदेश का भविष्य बहुत ऊंचा हो सकता है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व दो हिमालय के भाइयों ने हिमालय पर्वत के उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं मैं विंध्यक्षेत्र के पर्वतों के उद्योगों के विषय में अपने जिले के जंगलों के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं

श्री उपाध्यक्ष—आप तीन मिनट में ही समाप्त कर दें तो अच्छा है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—जी हां, मैं खत्म कर दूंगा। मिर्जापुर जिला जंगली जड़ी-बूटियों के लिये बहुत सम्पन्न है और मेरे पास एक सूची है, जो मैंने बनाई है, उसमें करीब ८० नाम इन जड़ी-बूटियों के लिखे हैं। अभी तक यह होता है कि यह सब जंगल में ही मुरझा जाती हैं और उनसे कोई फायदा नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराते हुये प्रार्थना करूंगा कि वहां का सर्वे करायें और मेरा विश्वास है कि वहां काफी सम्पत्ति पैदा हो सकती है और बहुत से लोगों को काम मिल सकता है और जंगली जनता जो काफी ग़रीब है, अपना एक उद्योग प्राप्त कर सकती है। दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह है रेशम के कीड़ों के बारे में। वह वहां पाले जाते हैं और अहरोरा में रेशम का कुछ कपड़ा भी बनता है। मेरा दावा है कि यह कपड़ा इतना मजबूत होता है कि इसकी टक्कर का दूसरा कोई कपड़ा नहीं होता है। मैंने माननीय मंत्री जी को, ठाकुर हुकुम सिंह जी को वह कपड़ा ला कर दिखलाया भी था। मेरी यह ग़लती हुई कि मैंने उनको दिया नहीं, दिखा कर वापस ले लिया। मेरा विश्वास है कि यदि इसका भी अनुसंधान किया जाय और विकास किया जाय तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह है खादी के विषय में। सरकार का ध्यान इस ओर गया है, मेरे क्षेत्र में भी खादी के कुछ केन्द्र खुले हैं। लेकिन इस विषय में दो शिकायतें हैं। एक तो यह कि जो सब्सिडी दी जाती थी वह नहीं दी जाती है और इस वजह से चरखों की तादाद कम हो गई है और उनकी संख्या घट रही है। मैं वहां की जनता की गरीबी को ध्यान में रखते हुये सरकार से आग्रह करूंगा कि सब्सिडी बन्द न की जाय। दूसरी असुविधा यह है कि जो कपड़ा वहां तैयार होता है उस पर तीन आने रुपये की छूट जो दूसरे कपड़ों में दी जाती है वह हमारे यहां नहीं मिलती है और इस वजह से जो कपड़ा वहां बनता है वह महंगा पड़ता है मैंने खुद जो सूत कात कर भेजा था उस पर छूट नहीं मिलती और लोगों को भी छूट नहीं मिलती। मैं निवेदन करूंगा कि वह छूट वहां जारी की जाय और दूसरी जगहों की सुविधाओं को वहां पर भी दिया जाय।

श्री बनारसी दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैठाणी जी और विष्ट जी ने जो प्रश्न उपस्थित किये हैं, यदि वह गौर से सप्लीमेन्ट्री बजट के स्मरणपत्र को पढ़ें तो देखेंगे कि उस क्षेत्र के विकास के लिये विस्तृत योजना तैयार की गयी है और उसी के अनुसार वहां पर नर्सरीज को कायम करना, हार्टीकल्चर को प्रोत्साहन देने के लिये फार्म्स कायम करना या और दूसरे काम करना जिससे कि जनता को काफी रोजगार मिल पायेगा, और इसमें अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल और गढ़वाल जिले के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। विष्ट जी ने जो प्रश्न उठाया है कि वन विभागों के द्वारा नर्सरी का विकास कीजिये, यह विचारणीय प्रश्न है और मिश्र जी ने जो मिर्जापुर क्षेत्र के लिये कहा कि वहां ड्रग पाई जाती हैं और उनकी खोज होनी चाहिये और वहां पर रेशम के कीड़े पाले जाने चाहिये, उनका विकास किया जा सकता है, उस पर सरकार अवश्य गौर करेगी और उसके लिये कोई योजना बनाने का प्रयत्न किया जायगा जिससे कि उन उद्योग धंधों का विकास हो सके। विष्ट जी ने जैसा कहा है कि गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये और ऐसा न होने के कारण उनके क्षेत्र के उद्योग-धंधे नष्ट हो रहे हैं, सही नहीं है। नये उद्योग-धंधों में जहां कहीं से भी सरकार के पास सहायता के लिये, या कर्ज के लिये प्रार्थना-पत्र आते हैं उन सब पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है और जहां सहायता की आवश्यकता होती है, सहायता भी की जाती है। अभी जैसा कि विष्ट जी ने वहां तांबे का काम करने वालों के बारे में उनके भी कुछ प्रार्थना-पत्र थे और उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ कर्ज और सब्सीडी अभी हाल में ही स्वीकृत भी की गयी है। तो जहां तक लेदर इंडस्ट्री का सवाल है क्या पिथौरागढ़ लोहाघाट सब जगह उद्योग-धंधे हमारे तमाम प्रदेश में काफी समय से हैं। गांव में काफी ऐसे लोग हैं जो चमड़े का कार्य करते हैं और उसमें काफी सुधार की गुंजायश है तो इसीलिये यह योजना बनायी गयी है जिससे चमड़े की फ्लेइंग, क्योरिंग, टैनिंग हो जिससे हमारे प्रदेश की बढ़े। पुराने किसी उद्योग-धंधे को खत्म करने का उद्देश्य नहीं है बल्कि जहां भी प्रदेश में उद्योग-धंधों को सरकार की ओर से ट्रेनिंग देने या अधिक सहायता देने की आवश्यकता है उन सभी प्रश्नों पर गौर किया जा रहा है। मिर्जापुर में खादी पर जो अब तक सहायता दी जाती है वह बन्द हो गयी है उस पर फिर विचार किया जायगा और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि इस अनुदान के सम्बन्ध में मांग पेश की गयी है। मैं कृतज्ञ हूं मैठाणी जी का कि इसका उन्होंने स्वागत किया है और नर्सरी के लिये ध्यान आकर्षित किया। उस पर जरूर ध्यान दिया जायगा ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह अनुदान स्वीकार किया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सरकार ने जो वहां के विकास के लिये बहुत सी स्कीमें बनायी हैं, उसका स्वागत करता हूं। लेकिन जो कुछ हमें आपत्ति होती है वह इसलिये कि आप की सब स्कीमें सुपरफ्लुअस बनायी जाती हैं और ऐसी बनाई जाती हैं कि उनका वास्तविक उपयोग वहां की जनता नहीं कर पाती उसका कारण यह है कि लोगों की वास्तविक दिक्कतें क्या हैं उनको नहीं देखा जाता। और इससे वे योजनायें लोगों के लिये लाभदायक सिद्ध नहीं होंगी और आप के डिपार्टमेंट में लोगों पर, उसका आक्षेप भी जायगा क्योंकि उसकी छानबीन पूरी नहीं की जाती। २२ नवम्बर, १९५४ को पार्लियामेंट में मौलाना आजाद ने कहा था और खास कर के केदार नाथ के इलाके और बद्रीनाथ के इलाके के सम्बन्ध में कि वहां बहुत सा लोहा, तांबा, सोना और चांदी वगैरह मिलता है उसका सरसरी तौर पर सर्वे करने के लिये एक आदमी भेजा गया था वहां और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं जब उस मुल्क में जाता हूं और देखता हूं कि प्रत्येक घाटी के अन्दर, जिसका संबंध तिब्बत से होता है, वहां बड़े-बड़े विशाल मंदिर बने हैं जिन्हें हम आज नहीं बना सकते। लेकिन उनकी कोई उपयोगिता पर ध्यान नहीं दिया जाता और न यही छानबीन की जाती है कि उस जमाने में यह विशाल इमारतें क्यों बनीं और कैसे बनाई गईं। इस पर सरकार का ध्यान नहीं। हम धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कहते। लेकिन जो हिमालय में इतने बड़े-बड़े विशाल स्थान बने उसी दृष्टिकोण से सरकार उन्हें देखे और बताये कि वे क्यों बने थे। जब तक सरकार

[श्री गंगाधर मैठाणी]

लोगों की शिकायतों को दूर करने की तजवीज साउन्ड माइन्ड से नहीं निकालती कि किस प्रकार से उनकी तकलीफें दूर हों तब तक यह सब मेहनत वेस्ट जायगी। रुपया भी वेस्ट जायगा। हम इस भावना का स्वागत करते हैं लेकिन लाभ क्या होगा। मैं आप से कहता हूं कि जब तक इलेक्ट्रीफ़िकेशन वहां का नहीं होगा तब तक यातायात नहीं बढ़ेगा चाहे वह इलेक्ट्रिक रोप हो या कुछ हो तब तक जो भी हम वहां पैदा करेंगे उससे वहां की जनता को कोई लाभ नहीं होगा उसका कारण यह है कि किसी चीज को बाहर ले जाने में काफी भाड़ा पड़ जाता है। मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा था कि जोशीमठ से ऋषिकेश और कोटद्वार रेलहेड तक प्रत्येक मन का १० रुपया भाड़ा पड़ता है। और बाजार में वह काफी महंगी हो जाती है जिसके कारण उसकी खपत भी नहीं होती है।

अब जैसी जड़ी-बूटी आप निकालेंगे तो उसके साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि वहां इरोज़न न हो क्योंकि इसको अगर नहीं देखा गया तो जैसे यहां मैदान में बाढ़ वगैरह आती है और इलाके बहते हैं तो और ज्यादा नुक्सान होगा। इसलिये ऐसी स्कीम वहां बनाने की आवश्यकता है जिससे वहां की मिट्टी न निकल जाय और वहां से फिर गंगा जमुना में इतना पानी न आये जिससे नुक्सान हो। इस बात की आवश्यकता है और मुझे आशा है कि सरकार वहां की वास्तविक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देगी। मैं टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा प्रत्येक के लिये कहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि उनकी क्या आवश्यकता है और खास कर के टेहरी और गढ़वाल के सम्बन्ध में आप के सामने अपनी आवश्यकताओं को रखता हूं और मंत्री महोदय के आश्वासन देने के कारण अपनी कटौती के प्रस्ताव को वापस करता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—लेखा शीर्षक : ४३—उद्योग के अन्तर्गत ७,९६,८०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (श्रम और संख्या)

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—श्रम और संख्या—लेखा शीर्षक ४७— विविध विभाग के अन्तर्गत ९,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—श्रम और संख्या—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत ९,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग (वाहन विभाग)

श्री चतुर्भुज शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९—वाहन विभाग—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुभग वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--वाहन विभाग-लेखा शीर्षक ४७--विविध विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०-लेखा शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं --लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत १,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अनुदान संख्या ३० के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती स्वीकार की जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आप के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, वह इस बात को जरा गौर से सुनें कि इस निर्माण विभाग के लिये जो मांग की गयी है, तो इसमें जो इसकी नियमावली है, निर्माण के सम्बन्ध में वही जब तक ठीक न हो जाय तब तक निर्माण के बाबत और रुपया मंजूर करने की बात भी नहीं होनी चाहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--आप रोक देना चाहते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां। रोकने की बात कह रहा हूं। इस सदन का रोकने का अधिकार है और यह सदन ही सारे रुपये का मालिक है और इसमें अगर कोई खामी होती है रुपये के सम्बन्ध में तो सदन को बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको सुनना चाहिये और उसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिये। संतोषजनक जवाब होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि निर्माण विभाग की नियमावली के पुनर्निरीक्षण के लिये एक माननीय मंत्री का पी० ए० मुकर्रर किया गया उसको रिवाइज करने के लिये।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

और एक नियमावली रिवाइज करने के लिये डेढ़ सौ रुपये का अलाउंस दिया जाता था उस पी० ए० को और तीन चार वर्ष तक वह नियमावली रिवाइज नहीं हुई। इस तरह से अगर जोड़ा जाय तो कितना रुपया अतिरिक्त अलाउंस के रूप में पी० ए० महोदय को दिया गया, जब कि उस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, चीफ इंजीनियर और इंजीनियर हैं और कोई उसको रिवाइज नहीं करने वाला था। जिम्मेदारी किसके ऊपर थी ? एक पी० ए० के ऊपर। और फिर रिवाइज करना कितना बड़ा काम था ? एक महीने, दो महीने, तीन महीने लग जाते, लेकिन तीन-चार वर्ष तक नियमावली रिवाइज नहीं हुई। गवर्नमेंट संतोषजनक उत्तर दे कि यह रुपया क्यों इस तरह से खर्च किया गया, जनता के पैसे का सही-सही हिसाब होना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान संख्या ३० के लिये पहले समय कम रखा गया था, लेकिन श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ने कुछ बातें रखीं, इसलिये यह

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

आवश्यक हो गया कि मैं उत्तर दे दूं। जिस संबंध में माननीय द्वारका प्रसाद जी ने कहा उसका मुझे विशेष ज्ञान नहीं, लेकिन जितना कुछ मुझे ज्ञान है उसके नाते केवल इतनी बातें मैं जानता हूं कि शायद उनका तात्पर्य यह था कि कोई सज्जन विशेष रूप से कुछ मैनुअल्स को ट्रांसलेट करने के लिये नियुक्त किये गये। मुझे, जैसा कि अभी ज्ञात हुआ, वह तीन डिपार्टमेन्ट्स के मैनुअल्स के ट्रांस्लेशन का कार्य करते हैं, उनमें एक हाइडेल है, एक एलेक्ट्रिसिटी है और एक पी० डब्लू० डी० का सार्वजनिक निर्माण विभाग है। तो उसमें कितना समय लग सकता है इसका अन्दाज मुझसे ज्यादा द्वारका प्रसाद जी को होना चाहिये, क्योंकि इस शासन के कार्य से उनका एक अर्से से सम्बन्ध रहा है और वह अन्दाज लगा सकते हैं कि ३ डिपार्टमेंट्स की मैनुअल का जो व्यक्ति ट्रांस्लेशन करे उसके सामने कितना बड़ा और कितना महान् कार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह कहना तो सरल है, श्रीमन्, कि किसी कार्य के सम्बन्ध में आज हम लघुता प्रकट करें और यह कहें कि उपरोक्त कार्य और अमुक कार्य सरल था और यह सरलतापूर्वक हो सकता था, और जिस दिन वह कार्य सामने आये तो उसकी महानता या गुरुता या विशालता का अन्दाज कोई भी सदन का सदस्य कर सके। मैं श्रीमान् के द्वारा इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस कार्य की ओर संकेत श्री द्वारका प्रसाद जी ने किया, वह एक विशाल कार्य है और जिसमें जितना समय लगा शायद उससे कहीं अधिक समय की आवश्यकता है और वह कार्य अभी तक जारी है और उसको करने के लिये कुछ समय लगेगा। आज माननीय द्वारका प्रसाद जी का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सारे कार्यों को, जिनका विवरण इस अनुपूरक मांग में है, समाप्त कर दिया जाय और अभी उन मैनुअल्स को तैयार किया जाय जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। तो अब यह कहूंगा कि यह सदन माननीय द्वारका प्रसाद जी को धन्यवाद दे कि उन्होंने इतना अच्छा सुझाव सदन के सामने रखा, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ शब्द नहीं होंगे। ये १०० रुपये की प्रतीक मांग ११ आवश्यक कार्यों के लिये थी और उनका पूरा विवरण दिया हुआ है। मोटे तौर पर उनमें कुछ मांगें तो बहुत ही आवश्यक थीं और केवल इतनी बात कह कर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि जिन अनुपूरक मांगों के लिये यह मैंने सदन की स्वीकृति श्रीमान् के द्वारा गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्राप्त करने का प्रयास किया वह अत्यन्त आवश्यक और महत्वपूर्ण थीं और एक प्रकार से अनिवार्य हैं। यही कारण है कि उनके लिये जिस धनराशि की आवश्यकता हुई उनको आकस्मिक निधि में से ले कर काम में लिया गया और आज सदन के सम्मुख केवल प्रतीक मांगों के रूप में ये मांगें प्रस्तुत हैं। मुझे आशा है कि यह सदन उन्हें स्वीकार करेगा।

श्री द्वारका प्रसाद भौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया वह संतोषजनक बिलकुल नहीं है। वह तो बात ही जाने कहां कहां की उपमंत्री जी ने कहीं, ट्रांस्लेशन वगैरह की। वह तो रिवाइज करने की बात थी नियमावली को। अगर वह प्राक्कलन समिति एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें तो वह समझ सकेंगे कि मैंने क्या कहा और कहां का जवाब दिया गया। यद्यपि जवाब संतोषजनक नहीं है, लेकिन मैं सौजन्यवश अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०----सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं----लेखा शीर्षक ५०----नागरिक निर्माण कार्य---निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत १,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१-लेखा शीर्षक ५०-यातायात के साधनों का सुधार (केंद्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--यातायात के साधनों का सुधार केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--(केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)-लेखा शीर्षक ५०-- नागरिक निर्माण कार्य-- केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२-लेखा शीर्षक ५०-सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय और ८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण कार्य, स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, जिन दो महत्वपूर्ण कार्यों से यह प्रतीक अनुदान संबंधित है, यह आवश्यक है कि मैं सदन में उनका थोड़ा सा जिक्र कर दूं।

श्री अध्यक्ष--इस पर कोई वाद विवाद होने वाला नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे ठीक स्मरण है, ३२ के लिये २० मिनट का समय रखा गया है।

श्री अध्यक्ष--वह तो ३४ के लिये रखा गया है।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत २०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३-लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य

श्री कैलास प्रकाश--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३,८३,७०० रुपये की पूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३ के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ३,८३,७०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४-लेखा शीर्षक ५४-दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि

श्री चतुर्भुज शर्मा--श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक : ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि में संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत २०,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, इस वर्ष बाढ़ वगैरह आ जाने के कारण जो कि जुलाई और अगस्त में आये, काफी रुपया टेस्ट वर्क्स वगैरह में खर्च करना पड़ा इसलिये मांग की जरूरत हुई। मुझे आशा है कि यह मांग बहुत जरूरी है और सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जितनी पहाड़ों से बड़ी-बड़ी नदियां निकली हैं वे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया बस्ती, गोरखपुर हो कर आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। इन नदियों के इकट्ठा हो जाने के कारण करीब करीब प्रति वर्ष उन जिलों में बाढ़ आ जाया करती है। बाढ़ से कटाव के कारण वहां के लोगों को अनेकों प्रकार से परेशानी होती है। पिछले चार, पांच वर्षों से वहां सूखा पड़ने के कारण बाढ़ आने के कारण और अनेकों दैवी विपत्तियां आने के कारण पूर्वी जिलों में बड़े संकट आये और उन संकटों के कारण सरकार ने वहां पर अनेकों प्रकार की दुर्भिक्ष सहायता करने के लिये जो इसमें २० लाख रुपया रखा है। वह इतना काफी नहीं है जितना कि होना चाहिये।

उन जिलों में जो लोग बाढ़ से पीड़ित और तबाह थे उनकी हालत देखने के लिये जो लोग उस वक्त वहां पहुंचे थे वे हैरत करते थे। वहां के लोगों को तब सरकार ने तक़ावी देने का इन्तजाम किया, लेकिन जब लोग इकट्ठा हो कर तक़ावी लेने के लिये तहसील में आया करते थे तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ करता था। तक़ावी के लिये हफ्तों परेशानी उठाने के बाद जब उनको मिलती थी तो उसमें २०, २० फीसदी तहसील के कर्मचारी वसूल करते थे और तब जाकर वह तक़ावी देते थे। जिन लोगों के बाल बच्चों को खाने को नहीं था उनसे यह रक़म वसूल कर के तकावी का रुपया दिया जाता था। दूसरी तरफ जिन लोगों ने १० गुना दिया था और जिनको सनद नहीं मिली थी उनको भी अपना रुपया वापस लेने के लिये २५ फीसदी रुपया देना पड़ा है। जब कि वहां से रुपया वापसी के आदेश चले गये थे, लेकिन फिर भी उनके साथ यह बर्ताव किया गया।

इस प्रकार से बाढ़ के कारण लगातार कई वर्ष से अनेक बार दैवी प्रकोप के कारण पूर्वी जिलों, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया और बस्ती की दशा बहुत परेशानी की हो गयी है और वहां के लोग बहुत परेशान हो गये हैं। जब वहां पर लोगों को कोई काम नहीं मिलता है तब वह बाहर बम्बई और कलकत्ता जा कर रोजगार ढूंढते हैं और अगर वहां पर भी उनको कोई काम नहीं मिलता है तो वहां से वापस खाली लौट आते हैं। हमारा यह टेस्ट वर्क का जो काम हो रहा है उसमें करीब बीस हजार आदमी काम करने के लिये जाते हैं और उनमें पर्दानशीन औरतें अपने बच्चों को साथ ले कर जाती हैं, लेकिन उनको भी काम नहीं मिलता है, तो फिर वह वापस आ जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल गेंदा सिंह जी ने इसी सदन के अपने भाषण में यह बात बतलायी थी कि हमारे पूर्वी जिलों की ग़रीबी बराबर बढ़ती चली जाती है और हमारे यहां पूर्वी जिलों में ५० फीसदी लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता है, लेकिन मैं आपसे यह भी बतलाना चाहता हूं कि कोई मंत्री जी या कोई साथी मेरे साथ वहां पर चलें, मैं उनको दिखलाऊं कि वहां पर ५० फीसदी लोगों के घरों में ही नहीं बल्कि दोपहर को चूल्हा ८० फीसदी घरों में नहीं जलता है। आज उनकी ऐसी हालत है, वे खाने के लिये मर रहे हैं। आज वहां पर टेस्ट वर्क के होने पर भी लोग उपवास करते हैं और उनको काम नहीं मिलता है और जिनको मिलता भी है उनको १५ दिन तक मजदूरी नहीं मिलती है। वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है और सदन में जिकर आया ही करता है कि पूर्वी जिलों के लोग जो देहात के बसने वाले हैं और उनके पास कोई खेती बाड़ी करने का साधन नहीं है वह बेचारे खलिहान में जा कर गल्ला ढूंढते बहारते हैं और बैसाख के दिनों में उनकी हालत यहां तक होती है कि गोबर से गेहूं और दूसरे अनाज निकाल कर खाते हैं। इस बात को सुन कर पश्चिमी जिलों के लोगों को ताज्जुब होता है, लेकिन यह बात सही है और देखी जा सकती है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जब रबी की फसल काट कर दाई जाती हैं उस वक्त हमारे साथ चल कर देहात में जा कर इस चीज को देखा जा सकता है। उनमें अधिक तर वही लोग मिलेंगे जो बेचारे हरिजन भाई हैं। वह गोबर से अनाज निकाल कर खाते हैं और इसी प्रकार अपना गुजारा करते हैं। इस तरह से वहां पर दिनों दिन गरीबी बढ़ती चली आ रही है। वहां अनेकों बार गांव में जा कर देखा है कि जब थोड़ी सी फसल हुई उस समय ५० फीसदी लोग घर से मांगने के लिये निकलते हैं। छोटे लोगों के पास खेती का साधन नहीं है इसलिए वह बेचारे भूखे मरते हैं। उस भुखमरी को मिटाने के लिये सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। यही नहीं जो औरतें अपने घरों से काम करने के लिये निकलती हैं उनको काम नहीं मिलता है और मजबूर हो कर वह शहर में जाती हैं और वैश्यावृत्ति स्वीकार करती हैं।

मैंने आप के सामने उद्योग का जिकर किया था कि वहां पर छोटे उद्योग–धंधे खोल दिये जायं, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जब तक यह बड़े-बड़े उद्योग–धंधे चलते

[श्री रामसुभग वर्मा]

रहेंगे तो यह छोटे-छोटे उद्योग नहीं चल सकते हैं और यह चरखे और करघे का काम भी उन्नति नहीं कर सकता है। मैंने देखा है कि जो गांवों में बुनकर काम करते हैं जब उनका कपड़ा तैयार होता है तब वह कुछ महंगा पड़ता है, इस वजह से वह बिकता नहीं है और उनके करघे का काम चल नहीं पाता है। इसलिये जो बड़े-बड़े करखाने के कपड़े हैं और बड़े-बड़े मिल है उनके ऊपर किसी तरह से प्रतिबंध लगाया जाय कि इतना कपड़ा तुम तैयार करोगे तब यह सम्भव हो सकता है कि यह छोटा काम आगे बढ़े। इसी तरह का कम्बल का काम है और बहुत से छोटे-छोटे काम हैं। इसी प्रकार से गुड़ का भी काम है। हमारे यहां गन्ना की खेती ज्यादा होती है। पहले लोग कोल्हू चला कर गुड़ बनाते थे और चार पांच महीने जीविका लोगों की चल जाती थी जब कि दोपहर को वे खाना नहीं बनाते थे तो उनका काम रस से चल जाता था, लेकिन अब चूंकि मिलें बन गयी हैं और सारा गन्ना उन मिलों को चला जाता है। इसी प्रकार से प्रदेश के और भी उद्योग-धंधे बड़े बड़े कारखानों के बन जाने के कारण नष्ट हो रहे हैं। जिस प्रकार बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ लगा दिया जाता है और बड़ा पेड़ उसकी सारी खूराक को खा जाता है, ठीक उसी तरह से ये बड़े-बड़े कारखाने इन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के विकास को हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिये जब तक इन बड़े-बड़े कारखानों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा तब तक छोटे उद्योगों का किसी भी प्रकार से विकास नहीं हो सकता। एक धंधा साबुन का ही लीजिये। मिलों से कह दिया जाय कि वह नहाने का साबुन बना सकती हैं और कपड़े धोने का साबुन घरेलू उद्योगों के लिये छोड़ दिया जाय। जब तक आप इस प्रकार का प्रतिबन्ध कारखानों पर नहीं लगायेंगे तब तक छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो सकता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अनुदान को बड़े गौर से पढ़ा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें आजमगढ़ जिले को छोड़ दिया गया। यह वह जिला है, जिसमें २३ नदियां बहती हैं। हर साल उसके किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आ जाया करती है। इसके अतिरिक्त वहां पर अनावृष्टि से भी बहुत सी फसलें नष्ट हुआ करती हैं। अभी मैंने ऐसे एक क्षेत्र का दौरा किया। वहां लोहरा एक गांव है, उसके आस-पास के २० के करीब गांवों का एक क्षेत्र है उसमें खरीफ़ की फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी थी और धान की फसल में भी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यहां जो मैंने देखा तो मालूम हुआ कि माननीय मंत्री महोदय ने आजमगढ़ को बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में तो रक्खा है, लेकिन अनावृष्टि वाले क्षेत्र में उसको नहीं रक्खा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इस अनुदान में देखा तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है ---

"इस राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में विशेष कर मिर्जापुर, बनारस, बांदा, जालौन, के जिलों में और जौनपुर एवं गाजीपुर जिले के कुछ भाग में अनावृष्टि से भीषण परिस्थिति के बढ़ने की संभावना है जब कि जौनपुर, गाजीपुर के जिलों में बाढ़ का भी प्रकोप था।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह आजमगढ़ जिले की उपेक्षा न करे। और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह आजमगढ़ जिले में भी आबपाशी में छूट दें और वहां की जो खराब हालत है उस पर ध्यान दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---अध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष की कटौती का जो प्रस्ताव माननीय रामसुभग जी वर्मा ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि १८८४ ई० में बने हुये दुर्भिक्ष कानून को बदलें। वह इतना पुराना हो गया है, लेकिन अभी तक चला आता है। स्वराज्य हो गया और उसके बाद

न जाने क्या क्या बातें नयी हो गयीं लेकिन फिर भी अकाल के सम्बन्ध में वही पुराना कानून चलता आ रहा है । लेकिन मैं तो देखता हूं कि वह नियम भी ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जाता, उसकी पाबन्दी भी सरकार भली प्रकार से नहीं करती । अगर उस नियम की पाबन्दी सरकार करती तो लोगों को काफी राहत मिलती । पिछले बजट में करीब ५ लाख रुपये का अनुदान मांगा गया था, वह मंजूर हुआ, और उसके द्वारा गवर्नमेंट ने यह तय किया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को नावें दी जायेंगी । नावों का आधा रुपया गांव सभा देगी और आधा सरकार देगी, एसा तय हुआ था । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितनी नावें कितने जिलों को दी गयीं । आजमगढ़ जिले को एक भी नाव नहीं दी गयी । अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि लगभग पांच हजार रुपया इसलिये मंजूर हुआ था कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांवों के लोग जो ऊपर आकर बसना चाहते हैं तो जमीन एक्वायर कर के उनको दी जाय । मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि किस किस जिले में कितनी जमीन एक्वायर की गयी है ? दो साल से अध्यक्ष महोदय, अपने गांव के पास बरोहा और मोलनापुर के बारे में इस सदन में कितनी बार चर्चा की है । मेरा ख्याल है अध्यक्ष महोदय कि सदन के सामने कहना और मंत्रियों से इस सम्बन्ध में कहना बिलकुल बेकार है । कई बार मैंने सवाल किया तो सरकार ने जवाब दिया कि जमीन ली गयी है । मैंने एक दो बार नहीं, बीसों बार सरकार को पत्र लिखा कि बरोहा, मोलनापुर के बसने वालों को जमीन दी जाय । वे बेचारे दूसरे के वरद उर में रह कर किसी तरह से अपनी गुजर कर रहे हैं । सरकार ने पारसाल ५ हजार रुपया मंजूर किया था लेकिन उसकी वह कोई खोज खबर नहीं ले रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने २३ नवम्बर को ही टेस्ट वर्क के मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने का प्रश्न उठाया था और एक दो बार नहीं बीसों बार कामरोको प्रस्ताव आप के सामने प्रस्तुत किया था कि मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है और अगर मजदूर मजदूरी मांगते हैं तो उनको मारा जाता है । देवरिया जिले में मजदूरों को मारा गया है और आजमगढ़ जिले में हमारे घर के समीप ही के राजपत नाम के एक धोबी को मारा गया है । उसने सरकार के पास दरख्वास्त दी और मैंने भी सरकार के पास चिट्ठी लिखी, लेकिन मेरा अन्दाजा है कि सरकार का आसन नहीं डोला और आज तक कोई अफसर राजपत से नहीं पूछने गया कि पंचायत इंस्पेक्टर ने तुमको मारा था या नहीं मारा था । अध्यक्ष महोदय इसके आगे आप देखें कि टेस्ट वर्क हमारे क्षेत्र में हो रहा है मधुवन से दरगाह तक । २२ जनवरी को ६०० मजदूर काम करते थे । मैंने २२ जनवरी को स्वयं वहां जा कर पूछा तो मालूम हुआ कि २२ जनवरी तक उनको मजदूरी नहीं मिली है । हमने गवर्नमेंट के पास चिट्ठी लिखी लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहो हुई । मुझे नहीं मालूम है कि अब तक उनको मजदूरी मिली भी है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, एक बार मैंने कामरोको प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की थी और विवाद मांगा था लेकिन सदन का सत्रावसान हो जाने की वजह से उस वक्त समय नहीं मिल सका । मैं आप को पढ़ कर सुनाऊं कि लोक सभा में श्रीराम नगीना सिंह ने एक सवाल किया था कि सारे देश में टेस्ट वर्क पर मजदूरों को कहां कहां कितनी मजदूरी मिलती है ? जो वहां उत्तर दिया गया था वह इस प्रकार है--विन्ध्य प्रदेश में मर्द को १० आने, औरत को ८ आने, राजस्थान में मर्द को १२ आने, औरत को १० आने, लड़के को ८ आने, मध्यप्रदेश में मर्द को ९ आने से ले कर १२ आने तक, औरत को ६ आने से सवा ९ आने तक, लड़के को सवा ३ आने से से ८ आने तक मजदूरी मिलती है । अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कितनी मजदूरी मिलती है जरा इसको भी सुन लें -- बस्ती में मर्द को ६ आने, देवरिया में सवा ७ आने, आजमगढ़ में ६ आने और गोंडा में १० आने मजदूरी मिलती है । इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एक औरत को बस्ती में ५ आने, देवरिया में ६ आने , आजमगढ़ में ५ आने और गोंडा में ८ आने मजदूरी मिलती है । इसी प्रकार से एक बच्चे को बस्ती में ४ आने, देवरिया में ५ आने, आजमगढ़ में ४ आने और गोंडा में ६ आने मजदूरी मिलती है । अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय माल मंत्री जी को

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जो चिट्ठी लिख कर भेजी थी उसका जो जवाब मुझे मिला है उसे मैं आप को पढ़ कर सुनाऊं तो आप को ताज्जुब होगा । उसमें लिखा है कि सारे प्रदेश के लिये सब जिलों में एक ही तरह की मजदूरी है । जो मैंने अपने प्रदेश की मजदूरी पढ़ कर सुनाई उससे आप को भली-भांति मालूम हो गया होगा कि यहां की मजदूरी किस तरह से एक सी है । मालूम होता है कि हमारी चिट्ठी को माननीय माल मंत्री के सामने पेश ही नहीं किया गया और इसी तरह से यह जवाब भेज दिया गया । यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन समय खत्म हो गया इसलिये मैं बैठ जाता हूं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, इस में कोई शक नहीं कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस प्रदेश में और खास तौर से हमारे पूर्वी जिलों में मजदूरों की हालत अच्छी नहीं है और दुर्दशा है और उनके संबंध में जितनी बात माननीय सदस्य ने कही है उस को मैं स्वीकार करता हूं । वहां की इस दुर्दशा को दूर करने के लिये और जो विपत्ति वहां आती है उसको मिटाने के लिये और उस पर काबू पाने के लिये इस सरकार ने जो कुछ भी मुनासिब काम हो सकता है वह किया है और मैं कह सकता हूं कि हम सब उस दुर्दशा को मिटाना चाहते हैं । आप की भी उन के साथ हमदर्दी है इसके लिये आप को बधाई है, लेकिन उस गरीबी और दुर्दशा के साथ कोई खिलवाड़ न की जानी चाहिये और उस के साथ राजनैतिक आन्दोलन उठाने की कोशिश न की जाय, बल्कि उस समस्या को ठीक सुलझाने की कोशिश की जाय । यहां बार-बार प्रश्न किये जाते हैं और उन के जवाब भी दिये जाते हैं । लेकिन फिर भी वही बातें दोहरायी जाती हैं । मैं सदन में बताना चाहता हूं कि हर जगह एक सी चीज हो, यह नहीं हो सकता । सब जगह मजदूरी के रेट अलग-अलग हैं । रूल्स में भी दिया हुआ है जो अंग्रेजों के जमाने में बने थे और उन्हीं पर आज भी काम हो रहा है, उन में इजाफा भी हो रहा है, अगर वह रूल्स अंग्रेजों के जमाने के हैं तो क्या उनमें कोई बुरी चीज है ? आपने कहा कि राजस्थान में ये रेट्स हैं और देवरिया में यह दिया जाता है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह रेट्स का बेसिक प्रिन्सिपिल कृपया एक बार समझ लें तो उन को आसानी होगी । जो रेट्स मुख्तलिफ जिलों में फेमीन रिलीफ के अनुसार थे वह कम थे, ये रेट्स जो सब से सस्ता गल्ला होता है उस के दामों को देख कर मुकर्रर किये जाते हैं और यह मानी हुई बात है कि हर जिले में चीप ग्रेन की कीमत अलग होती है, गोंडा में कुछ हो सकती है और देवरिया में कुछ और हो सकती है । यह तो माननीय सदस्य कह सकते हैं कि फलां जगह इस वक्त ये रेट्स हैं और वहां के रेट्स अब रिवाइज होने चाहिये लेकिन इस तरह से कहने की कि बड़ी भारी आपत्ति हो गई, वह कोशिश न करें । मैंने जैसा अभी कहा कि जो वहां का सबसे सस्ता अनाज होता है उसकी दरों को देखकर रेट्स मजदूरी के तय किये जाते हैं । अगर आप किसी प्रिन्सिपल के अनुसार सुझाव दें तो उस पर फौरन कार्यवाही की जा सकती है ।

दूसरी बात मैं इस मौके पर यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम आप की सहायता भी नहीं कर पाते हैं, जब कटौती प्रस्ताव आते हैं तो उन में सिवा एक रुपये की कमी के सुझाव के और कुछ नहीं होता जिस का नतीजा यह होता है कि हम तैयार नहीं हो पाते हैं कि आप को किस बात पर जवाब देना है । अगर माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव के साथ अपना उद्देश्य भी लिख दें तो हम उस पर तैयार हो कर आ सकते हैं और उनकी बात का समुचित उत्तर भी दे सकते हैं और इस तरह से जिस सबजेक्ट पर वह चाहें उनको उस का डेफिनिट जवाब मिल सकता है । जिस तरह से फौरन शिकायत कर दी गई और कह दिया कि हमारे पास खत मौजूद है, तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि अगर आप के पास खत मौजूद था तो डेफिनिट हो कर पहले से लिख भेजते, तो हम भी उन को जवाब तैयार हो कर दे सकते थे । जैसा कि मैंने बताया कि रेट्स हर जगह के सस्ते गल्ले के दाम के हिसाब से देखकर तय किये जाते हैं और ऐसी बात नहीं है कि किसी जिले के लिये रियायतन रेट दूसरे रखे जाते हों और दूसरे जिलों के लिये दूसरे ।

इसी तरह से यह बात भी बार बार कही जाती है कि लेबर को रोजाना मजदूरी नहीं दी जाती है। हजारों आदमियों को कोई पेमेंट की शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर आने-जाने में मुसीबत होती है और रुपया ले जाने में हर समय सेफ्टी नहीं होती और आज कल हमारे कुछ मित्रों ने ऐसी हवा पैदा कर दी है कि रुपया ले जाना सेफ नहीं है। वह गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है। तो ऐसे लोग जो चाहते हों कि रुपया ले जाया जाय तो वह रुपया बजाय गरीबों के पास जाने के ऐसे लोगों के जेब में चला जायगा यह गवर्नमेंट कभी नहीं करने देगी। वह पैसा सरकार ले जाती है गरीबों को देने के लिये और यदि दूसरे लोग नजर रखते हैं और ले जाना चाहते हैं तो नहीं ले पायेंगे। तो उन स्थानों पर जहां पर सेफ्टी नहीं है वहां कुछ देर अवश्य लगती है, लेकिन वह भी उतनी नहीं है जितनी उन्होंने बतलाई है। इसके बाद भी अगर माननीय सदस्य कहीं कोई देर हुई है तो उसको लिखकर भेज देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी, यद्यपि हमारे पास अभी तक कोई चीज ऐसी नहीं है। मैंने मुहकमे में भी दरियाफ्त किया और वहां से भी मालूम हुआ कि वहां भी कोई ऐसी चीज नहीं आई, लेकिन अगर लिखकर भेज देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितनी हमदर्दी से वह उम्मीद करते होंगे उतनी हमदर्दी से मैं और उससे अधिक हमदर्दी से माननीय मन्त्री जी भी उसको देखेंगे और उस पर काम करेंगे। यह रुपया जो खर्च किया जाता है खिलवाड़ करने के लिये नहीं किया जाता, अफसरों के देने के लिये या गड़बड़ी करने के लिये नहीं करते, पूर्वी जिलों के लोगों की मदद के लिये किया जाता है। यही नहीं दूसरे जिलों में भी फ्लड्स आते हैं। जैसे झांसी जिले में फ्लड्स आता है। लेकिन वहां तो इतनी तारीफ हो रही है कि वहां जो टेस्ट वर्क कायम किया गया है उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है लेकिन वही अफसर जब पूर्वी जिलों में आते हैं तो पता नहीं उनको किस तरह से छूत की बीमारी लग जाती है, लेकिन अगर लग जाती है उस स्थान पर यदि कोई ऐसी बात है तो हम उस छूत की बीमारी को खत्म करना चाहते हैं और इसलिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो भी ऐसी बात है उनके लिये हमें बतायें। जैसा मैंने आपको बतलाया उन कामों पर काफी रुपया खर्च किया गया। उनका पूरा-पूरा उपयोग भी होना चाहिये।

आप एक तरफ तो कहते हैं कि ज्यादा टेस्ट वर्क खोले जायं और दूसरी तरफ कहें कि काफी काम लोगों को नहीं मिलता तो यह दोनों चीजें एक साथ कैसे मिलती हैं। जब वहां काम होता है तभी टेस्ट वर्क्स खोले जाते हैं। और जितनी डिमान्ड्स वहाँ से आती हैं उसके अनुसार रुपया पहले से नहीं था तो हमने कंटिंजेंसी से निकाल कर उसमें खर्च किया और वह रुपया खर्च करके इस सदन के माननीय सदस्यों के पास आये कि वह इस रुपये को मंजूर करने की कृपा करें। अभी दूसरा बजट आपके सामने आने वाला है। इसमें कुछ ज्यादा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जब वह मूल आय व्ययक आवेगा तब आप उसमें कह सकते हैं और तब हमें खुशी होगी और हम जितनी सहायता पूर्वी जिलों की खासकर कर सकेंगे करने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस मांग को मंजूर करेगा और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लिया जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतने सुन्दर शब्दों में इन क्षेत्रों के लिये हमदर्दी प्रकट की है। लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आप कब तक इन टेस्ट्स वर्क्स को कब तक टेस्ट करते रहेंगे। तीन वर्ष तो हो गये, क्या पांच वर्ष तक आपके टेस्ट्स चलते रहेंगे ? अब दूसरी ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि बहुत शिकायत की जाती है लेकिन वास्तविकता तो यही है किया क्या जाय ? दुर्भिक्षग्रस्त इलाके में पांच महीने के लिये हुआ कि उन इलाकों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी फीस माफ कर दी जायगी। लेकिन उन दुर्भिक्षग्रस्त इलाकों के जो छात्र हैं उनमें से हजारों लड़कों को अपने स्कूलों को छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि उनको फीस नहीं मिलती और फीस न दे सकने के कारण वे पढ़ नहीं सके। अब उनके बारे में माननीय

[श्री रामसुभग वर्मा]

मंत्री जी ने क्या हमदर्दी प्रकट की। तो आप बारबार पूछते हैं कि आप कोई ठोस सुझाव नहीं देते। मैं आपसे बारबार कहता हूं कि आप टेस्ट वर्क्स कर चुके लेकिन अब कोई ठोस कदम उठाइये और उद्योग धंधों को बढ़ाइये। फिर देखिये कि दुर्भिक्ष दूर हो जाता है या नहीं। मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि से संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत २०,००,००० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न अनुदानों के लिये निर्धारित समय में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष--जो समय नियुक्त किया गया था कुछ मदों के लिये वह अब नहीं दिया जा सकता क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। इसलिये मैं समय निर्धारित कर देता हूं। ३६ नम्बर ग्रांट के लिये २० मिनट रक्खे गये थे, अब १० मिनट इसमें मिल सकेंगे और बाकी जितनी मांगें हैं उन पर कोई बहस नहीं होगी। मैं उन पर सीधी राय ले लूंगा। गिलोटिन का समय ४ १/२ बजे का था लेकिन अनुपूरक अनुदानों के लिये मुझे अधिकार है कि मैं समय में थोड़ा परिवर्तन कर सकूं। तो समय का हिसाब लगाकर मैं समझता हूं कि ५ बजने में जब १० मिनट रह जायेंगे उस वक्त मैं राय लेना शुरू कर दूंगा बाकी मांगों पर, जो उस समय बच रहेंगे।

अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५५-बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

श्री जगमोहन सिंह नेगी--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५५-बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत १७,११,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६-लेखा शीर्षक ५५-बुढ़ौती भत्ते और पेंशनों के अन्तर्गत १७,११,३०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७-लेखा शीर्षक ५६-लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष सुरक्षित निधि-सरकारी छापाखाना

श्री बनारसीदास--गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७-लेखा शीर्षक ५६-लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष सुरक्षित निधि-सरकारी छापाखाने के अन्तर्गत ३३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ३७ के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७-लेखा शीर्षक ५६-लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष सुरक्षित निधि-सरकारी छापाखाने के अन्तर्गत ३३,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८-लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय

श्री हुकुम सिंह---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८---विविध व्यय---लेखा शीर्षक ५७---विविध के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अन्दर १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८-विविध व्यय-लेखा शीर्षक ५७-विविध के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९-लेखा शीर्षक ५७-अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान

श्री हरगोविन्द सिंह---गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९-अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान-लेखा शीर्षक ५७-विविध व्यय के अन्तर्गत १९,१८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री राजेश्वर लाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ३९ को अगर हम गौर से देखें तो उसमें पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के उत्थान के संबंध में व्यय करने के लिये रुपया मांगा गया है। इसके साथ ही साथ पिछड़ी हुई जातियों के अध्ययन काल में उनको रुपया देने के संबंध में भी इसमें रुपये की मांग की गई है। अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के निमित्त जो मांग की गई है, उसमें कुटीर उद्योग, कृषि के विकास और अन्य मदों में भी उनको रोजी रोजगार में लगाने के लिये रुपये की मांग की गई है। मैं नहीं समझता कि सरकार एक तरफ पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के निमित्त यह उचित समझती है कि कुटीर उद्योगों का विकास किया जाय और कुटीर उद्योगों के द्वारा उनको रोजी रोजगार दिया जाय और दूसरी तरफ सरकार का उनके प्रति सहानुभूति और उसका कर्त्तव्य है उससे च्युत होती है। मैं यह उचित समझता हूं कि अगर सरकार यह उचित समझती है कि कुटीर उद्योगों का विकास करके पिछड़ी हुई जातियों को सहायता दी जाय तो कम से कम उसके लिये कुछ ऐसे फारमूले होने चाहिये, कुछ ऐसे काम होने चाहिये कि जिनको अपनाया जाय। कुटीर उद्योगों में अगर हम देखें तो मुख्यतः तीन चार काम खास कर इस समय चलाये जा रहे हैं। चरखे-करघे का काम, चमड़े का काम और साबुन इत्यादि का काम। लेकिन मैं उचित समझता हूं कि सरकार को कुटीर उद्योगों को

[श्री रामेश्वर लाल]

प्रोत्साहन देने के पहले और उनको इस काम में लगाने के पहले यह घोषणा करनी चाहिये कि उनके विभाग के सरकारी कर्मचारी जो विभिन्न पदों पर काम करते हैं वह केवल कुटीर उद्योग के द्वारा ही बनाये गये कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। आज देश में बेकारी है और आप यह घोषणा कर सकते हैं कि जो कुटीर उद्योग का बना कपड़ा पहनेगा वही सरकारी नौकरी में आगे लिया जायगा। मैं समझता हूं कि आज जो हिन्दुस्तान के नवयुवक बेकार हैं वह अगर इस शर्त के साथ इम्प्लायड होते हैं तो वह अपनी बेकारी दूर करने के लिये कुटीर उद्योगों का बना कपड़ा ही पहनेंगे और सरकारी नौकरी करना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान में अपराधी जातियों का जिक्र किया गया है और उनके उत्थान के लिये रुपया मांगा गया है। मैं तो इसको आज सरकार पर एक कलंक मानता हूं कि जो वह अपने को जनतांत्रिक कहती है और अपने को सोशलिस्ट पैटर्न पर चलने की बात कहती है और उसके राज्य में ऐसे आदमी हैं। मैं जानता हूं और सारा सदन इस बात को जानता है कि अपराध करने वाले लोग किसी खास जाति तक ही सीमित नहीं हैं। हम जिन्हें बड़ा से बड़ा स्थान अपने समाज में देने को तैयार हैं वह भी अपराधों की तरफ जाते हुये दीखते हैं, उनकी कोई खास कौम है नहीं। हैं जो भी भुखमरी और बेरोजगारी की वजह से मजबूर होते हैं वे क्राइम्स की तरफ जाते हैं। मैं उस समय की भी याद दिला सकता हूं कि जब हमारा देश फूला फला था और कहीं चोरी डकैती का नाम नहीं था। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूं पिछले जमाने की तरफ जब विदेशी हमारे देश में आये थे और उनका बयान हमारे सामने है कि घरों में लोग ताले नहीं लगाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार यह मानने को तैयार है कि एक जाति विशेष है जो अपराधी है। मुझे दुख हुआ कि इसमें कुछ जिलों का नाम लिया गया, कुछ जातियों का नाम लिया गया है। मैं तो जानता हूं कि आज गांवों में दफा १०९ और ११० में खूब चालान किये जाते हैं और पुलिस गवाही देती है कि इसके पास रोजगार नहीं है, खेत नहीं है और इसलिये यह लाजिमी तौर पर अपराधी है। आज उन गरीबों पर मुकदमा चलता है और सरकार के सिपहसालार उन पर मुकदमा चलाते हैं। तो मैं सदन का ध्यान आपके जरिये इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को इन अपराधी जातियों का नाम इसमें से निकाल देना चाहिये। आज समाज के लोग, सभी लोग जो अपने को ऊंचा समझते हैं वह भी अपराध करने को बाध्य हो जाते हैं, जब परिस्थितियां उनको मजबूर करती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों की चर्चा की गई। मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान बख्शी के तालाब की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि एक खास काम के लिये अब तक उनको ४० रुपया वजीफा के तौर पर मिलता था लेकिन वह अब २५ रुपया कर दिया गया है। इसके लिये उन्होंने प्रदर्शन किया तो उस पर झोरी, प्रभूदयाल नाम के विद्यार्थियों को निकाल दिया गया है औरों को भी निकालने की साजिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार के लिये उचित नहीं है, मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। हम पिछड़ी जातियों के लिये रुपया देने के लिये मजबूर हैं, लेकिन साथ-साथ यह भी आश्वासन चाहते हैं कि अगर रुपया दिया जाय तो जाति पांति और उसके साथ-साथ राजनीतिक पार्टी का प्रतिबन्ध न लगाया जाय और यह न कहा जाय कि विशेष पार्टी के लोगों को ही सहायता मिलेगी।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं बड़े गौर से सुन रहा था और उस सारे भाषण को टटोल भी रहा था, साथ ही साथ कौन सी बात का जवाब देना होगा? तो एक बात बख्शी के तालाब वाली तो समझ में आयी और बाकी बातों के समझने में मैं अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं। आपने यह कहा कि क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता है। मैं समझता हूं कि यह दोषारोपण सर्वथा गलत इस माने में है कि जिनको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था वह कानून तोड़ दिया गया और अब वे रहे नहीं। उनको सिर्फ

बसाने का प्रयत्न किया। चूंकि उनको पहले से क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था तो इसका मतलब यह नहीं कि यह जातियां जुर्म करने वाली हैं। हम तो उनको बसा रहे हैं, काम दे रहे हैं। कुटीर उद्योग की बात कही वह ठीक ही कहा लेकिन सब पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि सिवाय कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित कपड़ा ही इस्तेमाल करें, मैं समझता हूं कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ होगा और लोगों को इस्तेमाल करना चाहिये लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्य से पूछूंगा कि खुद वे कितनी कुटीर उद्योग की चीजें इस्तेमाल करते हैं?

तीसरी बात बख्शी के तालाब की कही। जी हां, वह ठीक किया गया, जो प्रदर्शन हुआ उसमें निकाला गया और अगर प्रदर्शन होगा तो फिर निकाले जायंगे। कोई शिक्षण शिविर इसलिये नहीं खोला जाता है कि वहां प्रदर्शन हों। अगर हम यह समझते हैं कि जितना धन हम देते हैं उसमें से उनका खर्चा चल सकता है तो उतना ही दिया जायगा। अगर २५ में खर्चा चल सकता है तो उतना ही दिया जायगा। उनको हम काम सिखाते हैं इसलिये कि आगे चल कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसलिये नहीं कि प्रदर्शन करें, अगर प्रदर्शन होगा तो निकालने की बात तो दूर रही वह सेंटर ही तोड़ दिया जायगा। मैं सदन को यह बता दूं कि अगर राजनीतिक पार्टियां वहां राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहें तो हम नहीं बनने देंगे। यह मैं स्पष्ट कहता हूं।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९––अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान––लेखा शीर्षक ५७––विविध, के अन्तर्गत १९,१८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०–लेखा शीर्षक ६३–असाधारण व्यय

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०––लेखा शीर्षक ६३––असाधारण व्यय के अन्तर्गत २६,४८,८०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१–लेखा शीर्षक ६३–क–युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय–६३–ख––सामूहिक योजनायें

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१––योजना और एकीकरण लेखा शीर्षक : ६३–क––युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय––६३–ख––सामूहिक योजनाओं के अन्तर्गत १,२५,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—लेखा शीर्षक ६८—सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों के सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)—लेखा शीर्षक : ६८—सिंचाई, नौ-चालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों के निर्माण के अन्तर्गत ५५,१७,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत —लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ८१—क—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्थापना व्यय को छोड़ कर)—लेखा शीर्षक ८१—क के अन्तर्गत २०० रु० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि-इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत—लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ९९,६०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ८५—क—राजस्व व्यापार की योजनायें

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—राज्य व्यापार की योजनायें—लेखा शीर्षक ८५—क—राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १३,१६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०–लेखा शीर्षक द–ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०––ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण––लेखा शीर्षक द––राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत २,१०,६७,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९५४–५५ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५५ का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष––अब विनियोग विधेयक बांट दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) पारित न हो जाय यह सदन बैठा रहे।

श्री अध्यक्ष––तो इसमें तो किसी को कोई आपत्ति है नहीं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)––अध्यक्ष महोदय, मैं १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक) विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा मांगता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––श्रीमन्, माननीय मंत्री जी धीरे से कुछ कह रहे हैं सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष––वह कह रहे हैं कि गवर्नर साहब की आज्ञा आ चुकी है। आपका अगर यह आक्षेप हो कि आज्ञा नहीं है इसलिये अनुमति न दी जाय, तो यह आक्षेप मत कीजिएगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि १९५५ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक) विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––जनाबवाला, मैं १९५५ के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

जिन-जिन अनुदानों पर अभी बहस हुई उनका रुपया इसमें लिखा हुआ है और कंसालिडेशन फंड से विदड्रा करने के लिए बिल पेश किया गया है।

* श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं यह जरूर चाहता था कि यह जो विनियोग विधेयक माननीय वित्त मंत्री पेश करें उस पर विरोध की बात न हो, मगर जब एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

डिप्टी मिनिस्टर साहब को सुन रहा था और आप भी बहुत ही अचम्भे के साथ उनकी बात सुने होंगे, उन्होंने कहा कि उनके कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो समुचित रूप से रुपया खर्च करने के लिये जाता है उस रुपये को रास्ते से छीन ले सकते हैं। तो मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा कि आया वह मंत्री महोदय कुछ जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं या किस ढंग की बात कर रहे हैं? एक तरह से सारे प्रशासन पर यह कलंक की बात माननीय मंत्री महोदय ने कही। एक तरफ तो श्रीमन्, गरीब जनता दुर्भिक्ष से परेशान हो, मरे और उस जनता को ठीक समय पर मजदूरी न मिले, उसकी सफाई सरकार की ओर से यह दी जाती है कि रास्ता बड़ा खराब है और कुछ उनके मित्र हैं, मंत्री महोदय के जो कि उस रुपये को उन तक नहीं पहुंचने देते। वे रुपया रास्ते ही में ले लेते हैं। तो अब जब कि ऐसी हालत है सारे प्रान्त में, तो आप स्वतः चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी को खर्च करने की इजाजत क्यों दी जाय? हम तो खर्च करने की इजाजत इसलिये देते हैं कि समुचित तरीके से उचित रूप में उसका खर्चा हो। तो चूंकि मूल बजट आने वाला है इसलिये विशेष बातों को इस समय नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जब खर्च करने की इजाजत दी जाती है तो समुचित खर्च होना चाहिये। जितनी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट निकली हैं उनको माननीय मंत्री जी पढ़ें कि कितनी आपत्तियां उठायी गयी हैं और उन पर कार्य नहीं किया जाता। जब कार्य हो तो रुपया कैसे खर्च होना चाहिये, किसको कब मिलना चाहिये, ये सारी की सारी बातें आगे सब हो सकती हैं, लेकिन यह एक ऐसा रोटीन सा बन गया है कि माननीय मंत्री जी विनियोग विधेयक लायेंगे, गवर्नर महोदय का आदेश आयेगा, उस आदेश के मुताबिक प्रस्ताव सदन में पुरः स्थापित कर दिया जायगा, चाहे खर्च हो या न हो। इसको स्वयं माननीय मंत्री जी समझते हैं कि यह सरकार के लिए और जनतन्त्र के लिए कितनी खतरनाक चीज है। श्रीमन्, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उनको हटना पड़ा। उसमें स्वतः उनका कोई दोष नहीं था, मगर उनके विभाग में इतनी गड़बड़ी हुई कि वैभागिक गड़बड़ी के कारण उन मंत्री को जिम्मेदार माना गया और वह मंत्री स्वतः निर्दोष था, मगर यहां पर हम यह देखते हैं कि हर विभाग में अनुचित तरीके से खर्च होता है। मगर मंत्रियों को कुछ राजनीतिक बेहयाई हो गई है और वह कुछ सोचते नहीं हैं, उन्हें इस पर सोचना चाहिये। इर्रीगेशन विभाग में लाखों रुपये की गड़बड़ी हुई है। श्रीमन्, हमारे पास आंकड़े आ गये हैं। मैं चाहता था कि इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी और कमलापति जी त्रिपाठी होते तो उनके सामने सब बातें होतीं। अभी सूचना विभाग ने बांध का ठेका कुछ ऐसे लोगों को दिया है जिन पर राजनीतिक विरोध के ऊपर कुछ मुकद्दमे दायर हैं और यह बातें छिप नहीं सकती हैं और उसमें सम्मानित सदस्यों का भी हाथ है। इसलिये इन सब बातों को जब फुल हाउस होगा तब समुचित रूप से रखूंगा और ऐसी बातों पर जोर दूंगा ताकि प्रजा के धन का दुरुपयोग न हो सके। यह धन सरकारी मंत्रियों का नहीं होता है, यह जनता का धन है इस बात को पहले समझ लीजिये। जनता के ऊपर बहुत से टैक्स लगाये जाते हैं, उनकी गरीबी बढ़ाई जाती है, मुसीबतें बढ़ाई जाती हैं। सरकार कमेटी बैठाने जा रही है कि किन-किन साधनों से नये-नये कर लगाये जा सकते हैं। मंशा यह है कि किसी तरीके से रुपया सरकारी खजाने में आये। इतनी मुसीबतें लादने के बाद, जिनकी केपैसिटी टु-पे नहीं है, उन पर भी करों का भार बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके धन की एक पाई भी अगर अनुचित तरीके से खर्च हो तो हमारे लिये यह बड़े कलंक की बात है। लेकिन हमारे मंत्रीगण अपने को अछूता समझते हैं। इस समय मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को खर्च करने का अधिकार नहीं होना चाहिये क्योंकि हमने उनके काले कारनामे देखे हैं। जो पैसा उनको

दिया गया है उसका जब हम दुरुपयोग होते देखते हैं तो हम इसकी इजाजत देकर पाप का भार अपने ऊपर लादना नहीं चाहते हैं कि हम लोग कहें कि मंत्री जी खर्च करें।

श्रीमन्, बनारस के घाटों के सम्बन्ध में मैंने बयान किया था कि कैसा विकास हो रहा है, कैसी तरक्की हो रही है? घाटों में एक सीढ़ी भी नहीं लगी है और कितना रुपया २८ तारीख को खर्च हुआ? इसी तरीके से श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि आप हमें क्षमा करेंगे इसके लिये कि हमने जो समय लिया है हम अपने भावों के उद्गार को रोक नहीं सकते थे। लेकिन फिर कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार चल रही है हमारे देश की, तो हम एक पैसा खर्च करने की इजाजत देने की बात को उठा नहीं सकते हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इस विधेयक पर सामान्य विवाद के अवसर पर मैं तीन बातों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह कि मैं अपने सुझावों को फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि शायद हमारे मंत्री जी उनको ठीक तरह से न समझे हों। अब नये विकास के कार्यक्रम को माननीय मंत्री जी ठीक तरह से और समुचित रूप से समझते हैं तो उन्हें अपने कंटिन्जेन्सी फंड को ४ करोड़ से बढ़ा कर ६ करोड़ कर देना चाहिये। जब मैंने इसको पेश किया तो मैं आशा करता था कि माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे क्योंकि वह बराबर मांग किया करते हैं कि आलोचनायें तो बहुत हुआ करती हैं लेकिन सुझाव नहीं आते हैं। लेकिन हमारा अनुभव है कि जब सुझाव दिये जाते हैं तो उनका जवाब तक नहीं मिलता है कि वह विचाराधीन हैं या क्या बात है।

दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें गवर्नमेंट आफ इंडिया जितना लोन देती है वह उन कामों में पूरा खर्च नहीं किया जाता है। और दूसरे अन्य कामों के लिये उसमें से दे दिया जाता है। अब आप इसी में देखिये कि जो अनुसूची आपके सामने है उसमें बभनान कोआपरटिव डेवलपमेंट स्कीम के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने ६,६२,००० रुपया टयूबवेल्स के लिये लोन दिया तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि ६ लाख ६२ हजार में से ६ लाख ही दिये और ६२ हजार गोल कर गये। तो जितना मिलता है गवर्नमेंट आफ इंडिया से जिस काम के लिये उतना दिया जाना चाहिये।

श्री रामनरेश शुक्ल—यह "गोल कर गये", इसका क्या मतलब है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप अर्थ लगाइये। बहरहाल, हम यह जानते हैं कि ६,६२,००० में से केवल ६ लाख ही दिये गये। तो मेरा कहना यह है कि जो सबसिडी जिस काम के लिये मिलती है उसी काम के लिये उन्हें उसको खर्च करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि इसमें २–४ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें इंडस्ट्रीज को लोन देने की बात कही गयी है। मिसाल के लिये विभूति ग्लास वर्क्स, रामनगर को ६ लाख रुपये लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जिनको जरूरत है लोन की उनको देना चाहिये जांच के बाद, लेकिन ऐसे लोन्स डिपार्टमेंट्स नहीं देते हैं जब कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन बन गया है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन काम करने लगा है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को डिपार्टमेंटल ग्रांट्स दी जाती हैं। यह मैं समझता हूं बहुत अनुचित है। तो मैं इन तीन बातों की तरफ इस सामान्य वादविवाद के अवसर पर सरकार का ध्यान

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दिलाना चाहता हूं और यह भी चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका उत्तर दें बजाय इसके कि शेर पढ़ने लगें, नहीं तो मैं समझता हूं कि एक दिन मुक़र्रर कर दिया जाय जब कि शेर और कविता ही इधर और उधर से हो।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल आज हमारे सामने उपस्थित है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि बभनान का, जैसे मेरे भाई नारायण दत्त तिवारी ने कहा, तो वहां हमारे सारे ट्यूबवेल्स त्रिशूल की तरह रखे हुये हैं। यह बड़ा अच्छा किया सरकार ने जो इंटरफियर किया। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी कहा था कि यह काम आप अपने हाथ में ले लें। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट खुद इसको अपने हाथ में ले और अपने इंजीनियरों के द्वारा उसकी देखभाल कराये, वह हमारी कांस्टीटुएंसी है। नारायणदत्त जी ने तो सुना होगा परन्तु मैं वहां देख कर आ रहा हूं, जनता बहुत परेशान है और वह चाहती है कि सरकार इस काम को अपने हाथ में ले ले।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—वहां काम क्या हो रहा है?

श्री शिवनारायण—मैं तो कह रहा हूं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिये तो मैं अपनी सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वह इसे अपने हाथ में ले ताकि विरोधियों का मुंह बन्द हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कोई बिल नहीं आया है। यह हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड है। तमाम लोग बहुत परेशान हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक इस सदन के सामने लाये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जो शिक्षा विभाग के छोटे अध्यापक हैं वे इस नवीन सरकार से यह आशा लगाये हुये हैं कि सब की तनख्वाह १०० रुपये तक कर दी जायगी। तो सरकार इस तरफ भी नजर रखे ताकि उन गरीबों को एहसास हो कि यह सरकार उनके हितों का ध्यान रखती है। मैं लाल टोपी वालों की तरफ सिर्फ गालियां देने के लिये नहीं हूं। बल्कि रीयल बात गवर्नमट से कहना चाहता हूं कि क्या हम लोग सरकार का विरोध नहीं करते हैं? हम भी सरकार का विरोध करते हैं और लड़ते हैं और झगड़ते हैं। मैं सरकार से यह आशा करता हूं कि वह इस तरफ अपना ध्यान देगी।

दूसरी बात पिछड़े वर्ग के लिये कही गयी कि सरकार उनकी बहुत मदद कर रही है। उनके लिये सरकार जो रुपया खर्च कर रही है उसके लिये हम अहसानमन्द हैं लेकिन इतना निवेदन अवश्य करना चाहते हैं कि उस रुपये का सदुपयोग नहीं होता है और वह ठीक ढंग से खर्च नहीं होता है। हमारे वहां प्रचारक जो रखा जाता है वह हमारा काम नहीं कर सकता है। वहां पर पंडित या लाला या ठाकुर रख दिया जाता है जो हमारा काम नहीं कर पाता है। इस प्रकार से हमारा काम नहीं चल सकता है। हरिजन का काम हरिजन ही कर सकता है। यहां से हमारे मंत्री जी रुपया स्वीकार करते हैं लेकिन वह रुपया हमारे बच्चों को इन टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ अपना ध्यान दे और रुपये का ठीक ढंग से उपयोग हो इसका प्रबन्ध करने का प्रयत्न करे।

जो लोग प्रचारक रखे जायं उनके पास एक डायरी रहे और उनके २ महीने और ३ महीने के काम को देखा जाय कि उन्होंने क्या काम किया है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी से इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां इतनी तो गरीबी है लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग के दफ्तरों के क्लर्क हमारे लड़कों से ६०, ६० रुपया ले लेते हैं। हमको लड़कों ने बताया है कि उनको ऐसा करना पड़ता है, जब कहीं जाकर लड़कों को रुपया मिल पाता है। इस प्रकार से रुपया एजूकेशन विभाग के लोग लेते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो रुपया स्वीकार करे उसका सदुपयोग होना चाहिये और लड़कों के लिये अगर मंजूर होता है तो वह उस काम में पूर्णरूप से खर्च होना चाहिये, चाहे सरकार अपने नौकर रखकर इस काम को कराये। सरकार को चाहिये कि ठेकेदार को वहां से हटा दे और इस सब काम को अपने हाथ में सम्भाल ले। मैंने देखा है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में काम हो रहा है, वहां पर ५ आना, ६ आना और ७ आना मजदूरी मिल रही है लेकिन जो काम मिट्टी उठाने का हो रहा है वह बाद में व्यर्थ हो जायगा। बरसात के दिनों में वह मिट्टी बह जायगी और जो रुपया वहां पर लगाया गया है वह सब बेकार हो जायगा। अगर कुछ और खर्च करके इसको पक्का कर दिया जाय तो फिर यह काम सालिड हो जाय और पैसा भी ठीक तरह से इस्तेमाल होगा। अब तो अगर सरजू की बाढ़ आयी तो वह सब मिट्टी को बहा ले जायगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो खर्च किया जाय वह सही तरीके से खर्च किया जाय। बाज़ काम के लिये बहुत सा रुपया रख दिया जाता है लेकिन बाद में वह लैप्स हो जाता है। यह ठीक है कि ऐसा होता है मगर उसका ठीक प्रकार से उपयोग होना जरूरी है। हम तो यह समझते हैं कि यहां सेक्रेटेरियट में जो लोग काम करते हैं वह यह समझते हैं कि हम ही इस देश के मालिक हैं क्योंकि वह यह समझते हैं कि हम लोग तो ५ वर्ष यहां पर रह कर चले जायंगे और वह ५५ वर्ष तक उसी तरह से बने रहेंगे और शासन का काम करते रहेंगे। लेकिन हम तो यह समझते हैं कि वह और हम दोनों मिल कर इस सरकार के जिम्मेदार हैं और दोनों के कंधे पर ही यह शासन का भार है। इसलिये एक-एक पाई ठीक तरह से खर्च हो और उसमें कुछ गोलमाल न होने पावे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, यह बातें जो इस वक्त यहां पर सुनी गयीं वह आगे जो नया बजट आने वाला है उस वक्त भी सुनी जायंगी। लिहाजा इसका जवाब मैं उसी वक्त दे दूंगा जब कि बजट का जवाब दूंगा। मैंने यह अर्ज किया कि ये बातें बजट के वक्त भी दुहराई जायंगी इसलिये उसी वक्त जवाब दे दिया जायगा। अब नावक्त हो गया है और कोई खास बात नहीं कही गयी जिसका जवाब देने की इस वक्त जरूरत हो। इतना जरूर कहे देता हूं कि जो मेरा कंटिन्जेंसी का फंड है उसको बढ़ाने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई इसलिये उसके बढ़ाने पर ख्याल नहीं किया गया है। इन्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है इसलिये इंडस्ट्री वालों को गवर्नमेंट ने रुपया अपने पास से दे दिया। जब उस कार्पोरेशन का फुल वर्किंग शुरू हो जायगा तो वहां से दिया जायगा। इधर से मेरे दोस्त ने जो बातें कहीं वे उनको फिर भी कहेंगे इसलिये उनका जवाब भी बजट के वक्त ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ के द्वितीय अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५४–५५ के लिये ६,५२,९२,३००रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़े, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग ६,५२,९२,३०० (केवल छः करोड़ बावन लाख बानबे हजार तीन सौ) होता है, अधिक न हो।

विनियोग।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ व ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
	क—राजस्व लेखा (रेवेन्यू एकाउन्ट)			
२	मालगुजारी (लैण्ड रेवेन्यू) ..	१००	..	१००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) ..	१००	..	१००
४	स्टाम्प	६७,०००	..	६७,०००
५	वन (फारेस्ट) ..	१२,८०,०००	..	१२,८०,०००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	१७,६०,५००	..	१७,६०,५००
८	अन्य-कर और शुल्क के कारण व्यय ..	१,१०,६००	..	१,१०,६००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इरिगेशन) के निर्माण कार्य	४३,४५,१००	..	४३,४५,१००
१०	सिंचाई (इरिगेशन) स्थापना पर व्यय	९,९०,५००	..	९,९०,५००
११	रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ..	३००	..	३००
१२	सामान्य प्रशासन (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) के कारण व्यय ..	१,०००	६१,६००	६२,६००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय ..	४००	..	४००
१५	न्याय प्रशासन ..	१,६१,३००	१००	१,६१,४००
१६	जेल	११,५५,१००	..	११,५५,१००
१७	पुलिस	१८,२३,९००	..	१८,२३,९००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१८	शिक्षा ..	६००	..	६००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	८,७८,४००	..	८,७८,४००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	९००	..	९००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऐंड रिसर्च)	८,२७,०००	..	८,२७,०००
२२	कृषि इंजीनियरिंग और उपनिवेशन (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ऐंड कालोनाइजेशन) ..	११,११,८००	..	११,११,८००
२३	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी) ..	३००	..	३००
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	७,०२,७००	..	७,०२,७००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१००	..	१००
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण (कोआपरेटिव क्रेडिट) ..	१००	..	१००
२७	उद्योग	७,९६,८००	..	७,९६,८००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या ..	९,०००	..	९,०००
२९	वाहन विभाग ..	१००	..	१००
३०	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	१,१००	..	१,१००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)	४००	..	४००
३२	सार्वजनिक निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय	२००	..	२००
३३	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स–इन–एड आफ सिविल वर्क्स)	३,८३,७००	..	३,८३,७००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फ़ेमीन रिलीफ)	२०,००,०००	..	२०,००,०००
३६	बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें ..	१७,११,३००	८,०००	१७,१९,३००
३७	लेखन-सामग्री और छपाई ..	३३,०००	..	३३,०००
३८	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज)	९००	..	९००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	१९,१८,४००	..	१९,१८,४००
४०	असाधारण व्यय ..	२६,४८,८००	..	२६,४८,८००
४१	योजना और एकीकरण ..	१,२५,००,२००	..	१,२५,००,२००
	योग .. क	३,७२,२१,७००	६९,७००	३,७२,९१,४००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
	ख—राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४२	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन ..	५५,१७,०००	..	५५,१७,०००
४५	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	१,०००	..	१,०००
४६	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत	२००	..	२००
४७	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	९९,६००	..	९९,६००
४९	राज्य व्यापार की योजनायें ..	१३,१६,१००	..	१३,१६,१००
	योग—ख ..	६९,३३,९००	..	६९,३३,९००
	ग—ऋणों और अग्र-ऋणों (लोन्स ऐण्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—			
५०	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज) ..	.. २,१०,६७,०००	..	२,१०,६७,०००
	योग—ग ..	२,१०,६७,०००	..	२,१०,६७,०००
	कुल योग ..	६,५२,२२,६००	६९,७००	६,५२,९२,३००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

१९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का द्वितीय पूरक) विधेयक

३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों को भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम, १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का द्वितीय पूरक) अधिनियम कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५५ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५४–५५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ फरवरी, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५४ पर)

गवर्नमेन्ट सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क, मिर्जापुर द्वारा जिलेवार वितरित की गई सीमेन्ट का विवरण-पत्र

जिला	अक्टूबर १९५४	नवम्बर १९५४	दिसम्बर १९५४	जनवरी १९५५	फरवरी १९५५ (१०-२-५५ तक)
१—कानपुर	..	..	५४९	६६	१७५
२—फतेहपुर	..	..	..	..	४५
३—इलाहाबाद	..	८५	१७७	१३०	३३०
४—बांदा	..	..	८९	४५	..
५—हमीरपुर	..	८८	८७	..	..
६—बनारस	..	३५४	४५८	४०१	३४८
७—मिर्जापुर	..	८८	८८	८८	..
८—जौनपुर	..	१७४	२२	१५४	६५
९—गाजीपुर	..	१७५	३२४	१७४	१५६
१०—बलिया	..	८६	..	६६	४४
११—गोरखपुर	..	८८	२६०	५४८	१०६
१२—देवरिया	..	..	८८	१५४	८५
१३—बस्ती	..	८४	८९	..	१११
१४—आजमगढ़	..	..	..	३५३	८५
१५—लखनऊ	..	..	३३०	१९	६३९
१६—उन्नाव	..	८५	..	१५१	..
१७—रायबरेली	..	८६	..	६६	..
१८—सीतापुर	..	८८	८८	..	८८
१९—फैजाबाद	..	..	..	..	१७४
२०—गोंडा	..	..	..	८८	८८
२१—बहराइच	..	६६	११०	१५३	१७९
२२—सुल्तानपुर	..	८९	..	८८	..
२३—प्रतापगढ़	..	८८	८८	८८	४३
२४—बाराबंकी	..	८८	१९५	८८	६७
२५—सरकारी विभाग (उ० प्र०)	५,७२८	६,७७४	७,२४७	६,५३४	१,४६५
२६—बिहार	..	४४	३,१३२	२,५९०	४१५
२७—उड़ीसा (हीराकुंड)		..	..	३,६१४	८७१

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

जिला आजमगढ़ में जनवरी, १९५३ से दिसम्बर, १९५४ तक जिला नियोजन कमेटी द्वारा तहसीलवार व्यय का विवरण

अनुदान का नाम	तहसील सदर	तहसील लालगंज	तहसील सगड़ी	तहसील मुहम्मदाबाद	तहसील फूलपुर	तहसील घोसी	टोटल
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१—डीस्क्रिशनरी ग्रांट	४६७६–४–९	४७३०–०–६	५६४६–११–६	३३११–८–३	४२९४–११–०	६६३२–१५–९	२९२९२–३–९
२—सेल्फ हेल्प ग्रांट	६१७५–०–०	१५२७५–६–०	५७५३–०–०	१३५५०–२–०	१५३२५–१५–०	३४००–६–०	५९७९–१३–०
३—हरिजन वाटर सप्लाई	७५६८–०–०	३००८–१२–०	३३७७–०–०	४०५३–७–०	७०७१–०–०	६६९३–२–९	३१७७१–५–९
४—हरिजन हाउस	६००–०–०	६००–०–०	६८०–०–०	२८०–०–०	४५०–०–०	६८०–०–०	३२९०–०–०
५—सेल्फ हेल्प स्कीम (कानस्ट्रक्शन आफ गुल्स)	..	..	..	१०००–०–०	२०००–०–०	..	२०००–०–०
६—अनटचेबिलिटी (छुआछूत)	२५–०–०	१२०–०–०	१२०–०–०	१२०–०–०	१२०–०–०	१२०–०–०	६२५–०–०
७—लोकल डेवलपमेंट	१०,८६५–१०–०	११,६३३–१०–३	८८७०–४–६	१३,०७४–६–०	३५८३७–२–३	६५६५–२–९	८६८४६–३–९
८—इमप्रूवमेंट आफ हायर सेकेंड्री स्कूल	..	..	..	९९००–०–०	..	..	९९००–०–०
९—पब्लिसिटी ग्रांट	८४–०–०	९१–५–०	९२–०–०	८५–०–०	९३–०–०	८५–८–०	५३०–१३–०
१०—फिजीकल कल्चर	८९४–४–६	८९४–४–६	८९४–४–६	८९४–४–६	८९४–४–६	८९७–६–६	५३६८–१३–०
११—एनीमल हस्बेंड्री	१८१–२–६	१८१–९–६	१८१–९–६	१८१–९–६	१८१–९–६	१८१–९–६	१०८९–९–०
१२—हरिजन अपलिफ्ट	४६–२–६	४६–२–६	४६–२–६	४६–२–६	४६–२–६	४६–३–३	२७६–१५–९
टोटल ..	३१,११५–१५–३	३६,५८१–२–३	२५,६६१–०–६	४६,४९६–७–९	६६,३१३–१२–९	२५,३०२–६–६	२,३१,४७०–१३–०

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३०६ एल० ए०–१९५५—८००।